

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (INTERNATIONAL ORGANIZATIONS)

विषय सूची (CONTENTS)

| क्रमांक | अध्याय | पृष्ठ संख्या |
|---------|--|--------------|
| 1 | संयुक्त राष्ट्र (The United Nations) | 01 - 09 |
| 2 | संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण (United Nation's Special Agencies) | 10 - 13 |
| 3 | अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष - 1945 (International Monetary Fund - 1945) | 14 - 18 |
| 4 | विश्व बैंक समूह (World Bank Group) | 19 - 21 |
| 5 | एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) | 22 - 23 |
| 6 | दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन - दक्षेस (South Asian Association of Regional Co-Operation - SAARC) | 24 - 27 |
| 7 | यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय संघ (European Economic Community & European Union) | 28 - 29 |
| 8 | ब्रिक्स (BRICS) | 30 - 31 |
| 9 | दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (Association of South-East Asian Nations - ASEAN) | 32 - 33 |
| 10 | राष्ट्रमण्डल (Commonwealth) | 34 |
| 11 | जी-20 (G-20) | 35 - 36 |
| 12 | गुटनिरपेक्ष आन्दोलन (NAM) | 37 - 38 |
| 13 | शंघाई सहयोग संगठन (SCO) | 39 |
| 14 | विश्व व्यापार संगठन एवं भारत पर इसके प्रभाव (WTO & its Effect on India) | 40 - 49 |
| 15 | नाभिकीय प्रौद्योगिकी व विनाशक हथियार के नियंत्रण से संबंधित संगठन | 50 |
| 16 | दक्षिणी चीन सागर विवाद (South China Sea Dispute) | 51 - 52 |

| | |
|----------------------------------|---|
| 10. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन | |
| 10.1 | संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसके सहयोगी संगठन। |
| 10.2 | अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक। |
| 10.3 | सार्क, ब्रिक्स, अन्य द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूह। |
| 10.4 | विश्व व्यापार संगठन एवं भारत पर इसके प्रभाव। |

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

- ♦ 2016
 - 1) भारत और यू.एस.ए. का 123 समझौता क्या है तथा इसकी महत्ता को स्पष्ट कीजिए।
 - 2) विश्व व्यापार संगठन (WTO) के उद्देश्य एवं संगठन को स्पष्ट कीजिए।
 - 3) सार्क (SAARC) के उद्देश्यों, संगठन और भविष्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
 - 4) विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है?
 - 5) विश्व स्वास्थ्य संगठन की संरचना पर प्रकाश डालिए।
- ♦ 2015
 - 1) राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए।
 - 2) संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों के क्रियान्वयन में भारत की भूमिका का उल्लेख कीजिए।
 - 3) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को लिखिए।
 - 4) आई.एम.एफ. में मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
 - 5) विश्व बैंक के मुख्य प्रकार्य क्या हैं?
- ♦ 2014
 - 1) यू.एन.डी.पी. (UNDP) द्वारा दिए गए 'मानव विकास सूचकांक' के घटकों को चिह्नित करें।
 - 2) यू.एन.ओ.।
 - 3) आई.एम.एफ.।
 - 4) सार्क।
 - 5) डब्ल्यू.टी.ओ.।
 - 6) यू.एन.डी.पी. का उद्देश्य।
 - 7) यूनेस्को की भूमिका।
 - 8) एशियाई विकास बैंक के कार्य।
 - 9) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत।
- 10) भारत पर विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव।
- 11) सार्क में भारत की स्थिति।
- 12) दक्षिण एशिया में सार्क की भूमिका एवं महत्व का वर्णन कीजिए।

♦ 2013

- 1) तीन बीघा कॉरिडोर।

♦ 2012

- 1) भारत की विदेश नीति।
- 2) मैकमोहन रेखा।

संयुक्त राष्ट्र The United Nations

□ संयुक्त राष्ट्र का जन्म (Birth of The United Nations)

संयुक्त राष्ट्र को मानवता की आशा कहा गया है। भूतपूर्व महासचिव डैग हैमरशोल्ड (Dag Hammarskjold) के अनुसार यह इस बात की आशा है कि शांति संभव है। संयुक्त राष्ट्र 193 संप्रभुता-सम्पन्न देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1945 ई. में दुर्भाग्यग्रस्त राष्ट्रसंघ का स्थान लेने के लिए की गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय धुरी (Axis) राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए मित्र राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ को पुनर्जीवित करने की बजाय एक नए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का निर्णय लिया था। मित्र राष्ट्र (Allies) युद्ध में अधिनायकवाद को समाप्त करके विश्व को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित करना चाहते थे। मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करते हुए 12 जून, 1941 ई. को लंदन घोषणा (London Declaration) में अन्य स्वतंत्र देशों के साथ मिलकर संघर्ष करने और ऐसे विश्व की स्थापना करने का संकल्प किया था, जिसको आक्रमण के भय से मुक्ति मिल जाएगी और जहां सबको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होगी। उसके पूर्व, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कांग्रेस को भेज गए एक संदेश में (जनवरी 1941 ई.) चार प्रमुख स्वतंत्रताओं का उल्लेख करते हुए उन्हें सार्वभौमिक महत्व का बताया था। ये 4 स्वतंत्रताएं थीं -

- 1) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- 2) उपासना करने (धर्म) की स्वतंत्रता।
- 3) निर्धनता की स्वतंत्रता।
- 4) भय से स्वतंत्रता।

उस समय लंदन घोषणा 'युद्ध' और 'निर्धनता' से मुक्ति पाने की मानवता की इच्छा की अभिव्यक्ति थीं। राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 14 अगस्त, 1941 ई. को अपनी प्रसिद्ध अटलांटिक घोषणा (Atlantic Charter) जारी की। उसमें यह आशा व्यक्त की गई कि "एक ऐसी शांति की स्थापना हो सकेगी, जिसके द्वारा सभी राष्ट्रों को अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षा से जीवित रहने के साधन उपलब्ध होंगे, सभी राष्ट्र भय-मुक्त तथा निर्धनता-मुक्त होंगे और सामान्य सुरक्षा की एक व्यापक तथा स्थायी व्यवस्था" की स्थापना की जा सकेगी। अटलांटिक घोषणा (चार्टर) तथा लंदन घोषणा में उल्लिखित सिद्धान्तों का 1 जनवरी, 1942 ई. को उन 26 देशों ने अनुमोदन किया जो उस समय युद्ध में मित्र राष्ट्र थे। इस सहमति को "संयुक्त राष्ट्र घोषणा" (United Nations Declaration) के नाम से जाना गया। वाशिंगटन में हस्ताक्षर की गई इस घोषणा का मुख्य संबंध युद्ध से था, शांति से नहीं। इसका उद्देश्य धुरी राष्ट्रों (Axis) के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों के सहयोग पर बल देना था और एक-दूसरे को यह आश्वासन देना था कि कोई भी मित्र राष्ट्र अकेले किसी भी शत्रु देश के साथ शांति स्थापित नहीं करेगा।

एक नए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का औपचारिक निर्णय 30 अक्टूबर, 1943 ई. को "सामान्य सुरक्षा के लिए 4 राष्ट्रों की माँस्को घोषणा" में लिया गया। ये चार मित्र राष्ट्र थे - ब्रिटेन, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। उन्होंने घोषणा की कि "वे एक सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की शीघ्र स्थापना की आवश्यकता अनुभव करते हैं, जो सभी शांति-प्रिय राज्यों की संप्रभु समानता के सिद्धान्त पर आधारित होगा, वह छोटे या बड़े सभी राज्यों को सदस्यता के अवसर प्रदान करेगा, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाई रखी जा सके।" प्रश्न यह है कि एक नया अन्तर्राष्ट्रीय संगठन क्यों स्थापित किया गया और इसका नाम संयुक्त राष्ट्र (United Nations) क्यों रखा गया? अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री कॉर्डेल हल (Cordell Hull) ने केवल इतना कहा - "यह निर्णय किया गया है कि एक नया संगठन स्थापित किया जाए।" इसका स्पष्ट कारण यह था कि राष्ट्रसंघ शांति बनाए रखने में बुरी तरह विफल रहा था तथा वह असम्मानित एवं कुख्यात हुआ था। सोवियत संघ को राष्ट्रसंघ ने निष्कासित किया था तथा संयुक्त राज्य अमेरिका कभी उसका सदस्य बना ही नहीं था। जैसा कि एच. जी. निकोलस ने कहा कि "1942 ई. तक सही या गलत, राष्ट्रसंघ से विफलता की दुर्गंध आ रही थी। राष्ट्रसंघ द्वारा निन्दा किए जाने तथा बाद में रूस-फिनिश युद्ध के समय निष्कासित किए जाने से रूसी गौरव को गंभीर धक्का लगा था तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में यह सामान्य धारणा बन गई थी कि नए संगठन के पक्ष में जनमत का समर्थन प्राप्त करना सरल होगा, बजाय इसके कि राष्ट्रसंघ में अमेरिका के प्रवेश को लेकर पुराने विवाद को पुनर्जीवित किया जाए।"

मित्र राष्ट्रों के मध्य, शत्रु के विरुद्ध एकता के प्रतीक के रूप में एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को 'संयुक्त राष्ट्र' नाम दिया गया। इस शब्द का चयन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया था। राष्ट्रसंघ के स्थान पर संयुक्त राष्ट्रसंघ की रचना करने के निर्णय के पश्चात् अगस्त, 1944 ई. में डम्बार्टन ओक्स नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के आरंभ में ब्रिटेन, अमेरिका एवं सोवियत संघ ने फिर बाद में ब्रिटेन, अमेरिका और चीन ने भाग लिया। डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर का प्रारूप तैयार किया गया। परन्तु कुछ विषयों पर सहमति नहीं हो सकी, जिनमें सुरक्षा परिषद् मतदान की प्रक्रिया तथा सोवियत संघ की अपनी सभी 16 गणराज्यों को अलग से संयुक्त राष्ट्र सदस्य बनाए जाने की मांग शामिल थी।

1945 ई. में पुनः एक और सम्मेलन याल्टा में हुआ, जिसमें चर्चिल, रूजवेल्ट एवं स्टालिन शामिल हुए, जिसमें उपरोक्त लिखी गई समस्याओं पर चर्चा की गई। चार्टर के प्रारूप को 1945 ई. में ही सैनफ्रांसिस्को में हुए सम्मेलन में स्वीकृत कर लिया गया। ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस एवं चीन चार्टर के प्रस्तावक बने। लगभग 2 माह के विचार-विमर्श के पश्चात् उन 50 देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था। इस प्रकार 1945 ई. में 51 प्रारंभिक देश शामिल थे। रूजवेल्ट की मृत्यु के पश्चात् अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 25 अप्रैल, 1945 ई. को सम्मेलन का उद्घाटन किया। चार्टर के अनुच्छेद 110 में यह प्रावधान था कि जब 5 बड़ी शक्तियों (प्रस्तावक) तथा शेष हस्ताक्षरकर्ता के बहुमत द्वारा चार्टर का अनुमोदन हो जाएगा, तब संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक स्थापना की जाएगी। अतः सभी अपेक्षित देशों द्वारा अनुमोदन के पश्चात् 24 अक्टूबर, 1945 ई. को संयुक्त राष्ट्र की विधिवत स्थापना हो गई।

चार्टर के अनुसार संगठन की संरचना का कार्य एक आयोजनात्मक आयोग (Preparatory Commission) को सौंप दिया गया, जिसने 1945 ई. में ही लन्दन में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। इसी आयोग ने महासभा का प्रथम अधिवेशन बुलाया, जिसमें कार्यविधि (Functioning) के कुछ नियमों का प्रारूप तैयार किया गया। कुछ समय पश्चात् संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लिए न्यूयार्क को स्थायी रूप से चुन लिया गया।

□ संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य

संयुक्त राष्ट्र को सुदृढ़ता के नाम पर भागीदारी (Sharing in The Name of Solidarity) कहा गया है। भूतपूर्व महासचिव डेगहेमर शोल्ड ने इस कथन का प्रयोग करते हुए इसे मानवता की महती आवश्यकता कहा था। मानवता की आशा और उसकी सहभागिता चार्टर की प्रस्तावना में ही प्रतिबिम्बित होती है। प्रस्तावना के अनुसार "हम संयुक्त राष्ट्र के लोग जो कि युद्ध की व्यापक व्याधि से, जिसने हमारे जीवनकाल में ही 2 बार मानवता को अवर्णनीय दुःख में धकेल दिया था, भविष्य की पीढ़ियों को मुक्त कराने के लिए कृतसंकल्प है। संयुक्त राष्ट्र नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करते हैं।" इस प्रकार राष्ट्रसंघ के विपरीत संसार का जनमानस संयुक्त राष्ट्र की शक्ति का स्रोत है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों का चार्टर के अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है। संक्षेप में ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

- 1) अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना और इस उद्देश्य के लिए प्रभावी सामूहिक सुरक्षा उपाय करना।
- 2) सभी राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना।
- 3) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना।
- 4) इन सभी उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए एक केन्द्र की तरह कार्य करना।

चार्टर के अनुच्छेद 2 में संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शन के लिए 7 सिद्धान्तों का उल्लेख है, जो निम्नलिखित हैं -

- 1) संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की सम्प्रभु समानता।
- 2) संयुक्त राष्ट्रों द्वारा ग्रहण किए गए चार्टर के सभी उत्तरदायित्वों का स्वेच्छा से पालन करना।
- 3) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा व न्याय खतरे में न पड़े।
- 4) किसी भी सदस्य द्वारा कोई ऐसा कार्य न करना, जिससे अन्य देशों की प्रादेशिक अखण्डता एवं सम्प्रभुता पर कोई संकट आए।

- 5) सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएंगे तथा ऐसे देश को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देंगे, जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कोई कार्यवाही कर रहा होगा।
- 6) संयुक्त राष्ट्र इस बात का प्रयास करेगा कि जो देश संगठन के सदस्य नहीं हैं, वे भी चार्टर के सिद्धान्तों के अनुकूल आचरण करें।
- 7) जो मामले मूलरूप से किसी भी देश के आन्तरिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, उनमें संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। इन सिद्धान्तों से संयुक्त राष्ट्र के वे उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं, जिनके लिए इसकी स्थापना हुई थी।

□ संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता

संसार के सभी सम्प्रभुता सम्पन्न और शांति प्रिय देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन सकते हैं। चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार वे सभी देश जिन्होंने सैनफ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था और जिन्होंने 1 जनवरी, 1942 ई. संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, वे सभी इस संगठन के प्रारंभिक सदस्य घोषित किए गए। इन प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 51 थीं।

अनुच्छेद 4 के अनुसार “वे सभी शांति प्रिय राज्य जो वर्तमान चार्टर का उत्तरदायित्व निभा सके”, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन सकते हैं। महासभा नए सदस्यों को सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर संगठन में प्रवेश देती है। बहुत से देश जो 1945 ई. में सदस्य नहीं बन सके थे, वे बाद में इसी प्रक्रिया से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बनाए गए। इसी प्रकार से बहुत से देश जो उस समय साम्राज्यवादी शासन के अधीन थे, उपनिवेशवाद की समाप्ति पर स्वतंत्र राज्यों के रूप में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त करते रहे। दिसम्बर, 1991 ई. में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो उसके सभी 15 गणराज्य स्वतंत्र सम्प्रभु देशों के रूप में संयुक्त राष्ट्र में शामिल कर लिए गए। भारत भी उन 51 देशों में शामिल था, जो 1 जनवरी, 1942 ई. के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बने। पाकिस्तान 1947 ई. में तथा बांग्लादेश 1974 ई. में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना।

शीतयुद्ध के परिप्रेक्ष्य में चीन के प्रतिनिधित्व की समस्या काफी गंभीर हो गई थी। जिस समय चार्टर स्वीकृत हुआ था, तब राष्ट्रवादी चीन या चीन का गणराज्य संयुक्त राष्ट्र का प्रारंभिक सदस्य बना था और बड़ी शक्ति के रूप में वह सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य और निषेधाधिकार (वीटो) प्राप्त राष्ट्र स्वीकार किया गया था। जब 1949 ई. में चीन की मुख्यभूमि से च्यांग-काई-शेक सरकार को पराजित होकर भाग जाना पड़ा था और वह ताईवान में स्थापित हो गई थी, तब नई साम्यवादी सरकार ने माओत्से तुंग और चाऊ एन लाई के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र से प्रार्थना की कि च्यांग सरकार के स्थान पर चीन की मुख्यभूमि स्थापित चीन की जनवादी गणतंत्र (People's Republic of China) की सरकार को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाए।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन की नई साम्यवादी सरकार को मान्यता नहीं दी, परन्तु सोवियत संघ ने चीन की नई सरकार को प्रतिनिधित्व दिलवाने का हरसंभव प्रयास किए और यह प्रश्न शीतयुद्ध की राजनीति में उलझ गया। अमेरिका ने निषेधाधिकार (वीटो) का प्रयोग करके लम्बे समय तक चीन की साम्यवादी सरकार को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने से रोके रखा। इसी बीच कुछ समय के लिए सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र का बहिष्कार कर दिया, उन्हीं दिनों कोरियाई युद्ध की स्थिति में सोवियत संघ की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर सुरक्षा परिषद् ने उत्तर कोरिया को आक्रामक देश घोषित कर दिया। आगे चलकर 1971 ई. में अमेरिका की सहमति से राष्ट्रवादी चीन को निष्कासित करके चीन की जनवादी गणतंत्र को संयुक्त राष्ट्र ने सदस्यता प्रदान की। इस प्रकार साम्यवादी चीन को सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता एवं निषेधाधिकार भी मिला।

स्वीट्जरलैण्ड एकमात्र ऐसा स्वतंत्र एवं सम्प्रभु देश था, जिसने स्वेच्छा से स्वयं को संयुक्त राष्ट्र से बाहर रखा था। 2002 ई. में हुए जनमत संग्रह में स्वीट्जरलैण्ड की जनता ने बहुमत से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने का निर्णय लिया। अतः सितम्बर, 2002 ई. उसे 190वां सदस्य बना लिया गया। इसी प्रकार मोण्टेनीग्रो जो पूर्व में यूगोस्लाविया के एक अंग था, यूगोस्लाविया से विघटन के पश्चात् यह प्रदेश सर्बिया मोण्टेनीग्रो नामक प्रदेश बन गया, 2006 ई. में सर्बिया व मोण्टेनीग्रो एक-दूसरे से अलग हो गए। तत्पश्चात् मोण्टेनीग्रो संयुक्त राष्ट्र का 192वां सदस्य बना। 2011 ई. में साऊथ सूडान संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य बना।

□ संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग

संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, जिनका प्रावधान चार्टर में किया गया है। ये अंग हैं - महासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक व सामाजिक परिषद्, न्यास परिषद्, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इन प्रमुख अंगों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र की अनेक विशिष्ट एजेंसियां भी हैं, जो कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, विमानन, संचार व्यवस्था, शरणार्थी समस्या तथा बाल कल्याण जैसे अनेक कार्य करती हैं।

♦ महासभा (The General Assembly)

महासभा वह अंग है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों का प्रतिनिधित्व होता है, इसीलिए इसे विश्व की संसद भी कहा जाता है। इसमें सभी सदस्य देशों की सरकारों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि भाग लेते हैं। प्रत्येक वर्ष महासभा का एक सामान्य अधिवेशन होता है। महासभा चार्टर के क्षेत्राधिकार के किसी भी विषय पर विचार-विमर्श कर सकती है। यह अपने निर्णयों को सदस्य राष्ट्रों, सुरक्षा परिषद् अथवा महासचिव के पास भेज सकती है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे महासभा के निर्णयों को लागू करेंगे। सामान्य अधिवेशन के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद् के कहने पर या संयुक्त राष्ट्र के आधे सदस्यों की प्रार्थना पर महासचिव महासभा का एक या अधिक विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। महासभा अपनी प्रक्रिया संबंधी नियम स्वयं ही निर्धारित करती है। प्रतिवर्ष महासभा अपना एक अध्यक्ष निर्वाचित करती है। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष 1952 ई. में भारत की श्रीमति विजयलक्ष्मी पंडित रहीं। 2003 ई. के महासभा के 58वें अधिवेशन में एक अत्यन्त छोटे से द्वीप सेन्ट लूसिया की विदेश मंत्री जूलियन हंटे को अध्यक्ष चुना गया। जब भी महासभा का अधिवेशन होता है, उसमें भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य 1 से लेकर 5 प्रतिनिधियों शिष्टमण्डल भेज सकता है। प्रत्येक देश को महासभा में केवल 1 ही मत देने का अधिकार है। महासभा सभी गैर-प्रक्रिया संबंधी विषयों पर 2/3 बहुमत से निर्णय कर सकती है। प्रक्रिया संबंधी निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। महासभा अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी किसी भी विषय पर विचार कर सकती है। इसके अन्य कार्यों में ये कार्य शामिल हैं -

- 1) महासभा सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्य देशों का निर्वाचन करती है, वह आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा न्यास परिषद् का भी निर्वाचन करती है। वह सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर नए सदस्य देशों को प्रवेश देती है तथा महासचिव की नियुक्ति करती है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद् अलग-अलग मतदान करते हैं।
- 2) महासभा अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी किसी विषय पर विचार करके सदस्यों के पास अपनी सिफारिशें भेज सकती है। वह विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उपाय सुझा सकती है, परन्तु किसी ऐसे प्रश्न पर विचार नहीं कर सकती, जो सुरक्षा परिषद् के विचाराधीन हो।
- 3) महासभा सुरक्षा परिषद् सहित सभी अंगों से वार्षिक व विशेष रिपोर्ट प्राप्त कर उन पर विचार करती है। महासभा बजट पर विचार करके उसको पास करती है। सदस्य देश कितनी धनराशि संयुक्त राष्ट्र को देंगे इसका निर्णय स्वयं महासभा करती है।
- 4) अनुच्छेद 10 के अधीन महासभा किसी भी प्रश्न पर सिफारिशें कर सकती है। इसके विपरीत सुरक्षा परिषद् बाध्यकारी निर्णय ले सकती है। अतः महासभा को ही वाद-विवाद का मंच बनाया गया, परन्तु जब 1950 ई. में सोवियत संघ द्वारा निषेधाधिकार के बार-बार प्रयोग के कारण सुरक्षा परिषद् कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ हो गई, तब इस प्रकार की परिस्थितियों में समस्याओं के निदान के लिए महासभा ने, अमेरिका की पहल पर शांति के लिए एकता प्रस्ताव पास किया। इसके अधीन महासभा भी बाध्यकारी निर्णय ले सकती है, परन्तु ऐसा तभी होता है, जब सुरक्षा परिषद् निषेधाधिकार के प्रयोग के कारण पंगु हो गई हो।

♦ सुरक्षा परिषद् (The Security Council)

सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र की निरन्तर कार्यरत संस्था है। अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व है। यह अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करती है। वह युद्ध एवं शांति भंग हो जाने की स्थिति में आक्रमक देश की पहचान कर सामूहिक सुरक्षा के अन्तर्गत उसके विरुद्ध प्रतिबंध लगाने का निर्णय करती है। परिषद् किसी भी युद्ध को बंद करवाने के

लिए आवश्यक निर्णय ले सकती है। परिषद् ही निरस्त्रीकरण तथा अस्त्र नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है। सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर ही महासभा द्वारा किसी अन्य देश को सदस्य बनाया जाता है। इसी की सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। सुरक्षा परिषद् तथा महासभा अलग-अलग मतदान करके अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करती है।

सुरक्षा परिषद् में 15 सदस्य होते हैं। प्रारंभ से ही 5 मान्यता प्राप्त प्रस्तावक शक्तियों को परिषद् की स्थायी सदस्यता प्राप्त है। ये देश हैं - ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस व चीन। 5 स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त महासभा 2-2 वर्ष के लिए 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है। कोई भी अस्थायी सदस्य लगातार 2 बार सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं हो सकता। चार्टर के अनुच्छेद 27 के अनुसार सुरक्षा परिषद् प्रक्रिया संबंधी विषयों पर किन्हीं भी 9 सदस्यों के सकारात्मक मत से निर्णय ले सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण या गैर-प्रक्रिया संबंधी विषयों (शांति, सुरक्षा, आक्रमण, युद्ध तथा महासचिव व न्यायाधीशों के चुनाव आदि) पर सुरक्षा परिषद् के निर्णय तभी मान्य होते हैं, जब 15 में से 9 सदस्यों के सकारात्मक मत से निर्णय किए जाए। परन्तु यह परम आवश्यक है कि इन 9 मतों में 5 स्थायी सदस्यों के सकारात्मक मत शामिल हो, अर्थात् - एक भी स्थायी सदस्य विरोध में मत दे दें, तो चाहे शेष 14 का बहुमत ही क्यों न हो परिषद् कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। इस अधिकार को स्थायी सदस्यों का निषेधाधिकार (वीटो) कहा जाता है। शीतयुद्धकाल में निषेधाधिकार का इतना अधिक प्रयोग किया गया कि अनेक बार सुरक्षा परिषद् कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ रही।

♦ आर्थिक और सामाजिक परिषद् (The Economic & Social Council)

संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों ने शांति तथा आर्थिक-सामाजिक समृद्धि के बीच के घनिष्ठ संबंध को भलीभाँति पहचान लिया था। इसीलिए चार्टर में यह प्रावधान किया गया कि आर्थिक-सामाजिक स्थायित्व के लिए तथा राष्ट्रों के मध्य शांतिपूर्ण और मैत्री संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से, संयुक्त राष्ट्र “उच्च जीवनस्तर, पूर्ण रोजगार, आर्थिक और सामाजिक प्रगति तथा विकास की परिस्थितियाँ” प्रोत्साहित करेगा। विश्व की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए तथा विकास और प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आर्थिक और सामाजिक परिषद् (ECOSOC) की स्थापना की गई। यह परिषद् संयुक्त राष्ट्र एक प्रमुख अंग है, जिसमें 54 सदस्य देश होते हैं। यह परिषद् एक स्थायी संस्था है, परन्तु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। इसके सभी सदस्य महासभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। प्रतिवर्ष 1/3 स्थानों के लिए चुनाव होता है। अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य दुबारा भी चुना जा सकता है। उनके कार्यकाल की कोई सीमा नहीं रहती है। 5 बड़ी शक्तियाँ तथा भारत सहित कई देश निरन्तर इसके सदस्य चुने जाते रहे हैं।

आर्थिक और सामाजिक परिषद् सामाजिक-आर्थिक कार्य करने वाली अनेक विशिष्ट एजेंसियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। चार्टर के अनुसार परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक-सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य तथा अन्य संबंधित विषयों पर अध्ययन करवा कर रिपोर्ट के रूप में अपनी सिफारिशें महासभा के पास भेजती है। यह परिषद् मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी है। आर्थिक व सामाजिक परिषद् अनेक आयोगों की सहायता से कार्य करती है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विशिष्ट एजेंसियाँ तथा गैर-सरकारी संगठन (NGOs) हैं, जिनका निरीक्षण और जिनके कार्यों का समन्वय आर्थिक और सामाजिक परिषद् करती है। संयुक्त राष्ट्र की अनेक विशिष्ट एजेंसियाँ (Specialised Agencies) एवं उनके प्रमुख निम्नलिखित हैं -

- 1) तकनीकी विषयों से संबद्ध विशिष्ट एजेंसियों अर्थात् - अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) विश्व मौसम संगठन (WMO) सार्वभौमिक डाक संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ।
- 2) वे एजेंसियाँ जो सामाजिक एवं मानवीय गतिविधियों में संलग्न हैं, जैसे - अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन (UNESCO), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) तथा कृषि व खाद्य संगठन (FAO)।
- 3) वे एजेंसियाँ जो अन्तर्राष्ट्रीय वित्त समस्याओं को सुलझाती हैं, जैसे - अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक (World Bank) तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (IDA)।
- 4) इनके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जिसकी स्थापना 1957 ई. वियाना में की गई। दो अन्य महत्वपूर्ण संस्थान संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल कोष तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हैं।

इन सभी के कार्यों का समन्वय भी आर्थिक और सामाजिक परिषद् करती है।

♦ न्यास परिषद् (The Trusteeship Council)

न्यास परिषद् की स्थापना न्यास प्रदेशों के प्रबंध और उनके निरीक्षण के लिए की गई थी। ये न्यास प्रदेश वे प्रदेश थे, जो राष्ट्रसंघ व्यवस्था में, प्रथम विश्वयुद्ध के पराजित देशों से छीनकर मैनडेट के नाम से मैनडेट व्यवस्था के अधीन किसी विजयी देश के प्रबंध में रखे गए थे। जो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाए थे, उन्हें नई न्यास व्यवस्था में न्यास प्रदेश बनाया गया। इनके अतिरिक्त द्वितीय विश्वयुद्ध में पराजित इटली व जापान के अधिकारों से पृथक किए गए उपनिवेश थे, जिन्हें न्यास व्यवस्था के अन्तर्गत किसी विजयी देश के निरीक्षण में तब तक के लिए रखा गया था, जब तक वे स्वतंत्रता प्राप्ति के योग्य न हो जाए। न्यास परिषद् न्यास प्रदेशों तथा अन्य पराधीन देशों के हितों को संरक्षित करने तथा उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करवाने में सहायता देने के लिए स्थापित की गई थी।

न्यास प्रदेशों की सदस्य संख्या निश्चित नहीं थी। इसमें कुछ पदेन सदस्य होते थे तथा कुछ महासभा द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। इसके पदेन सदस्य वे राष्ट्र थे, जिनके अधीन कोई न कोई न्यास प्रदेश था तथा सुरक्षा परिषद् के वे स्थायी सदस्य जिनके अधीन कोई न्यास प्रदेश नहीं हो। महासभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या पदेन सदस्यों के बराबर होती है। यह परिषद् न्यास प्रदेशों से शिकायत प्राप्त करती है। उन पर विचार करके शासक देशों को निर्देश देती थी तथा महासभा के सम्मुख समय-समय पर रिपोर्ट भेजती थी। न्यास परिषद् ने उपनिवेशवाद उन्मूलन तथा पराधीन देशों को स्वतंत्रता दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1994 ई. में जब पलाऊ स्वतंत्र होकर संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया, तब न्यास परिषद् ने निर्णय किया कि उसका कार्य अब पूरा हो गया, उसमें अब केवल 5 स्थायी सदस्य बचे थे। अतः अब यदि कभी आवश्यक हुआ, तभी उसकी बैठक बुलाई जाएगी, अन्यथा नहीं। औपचारिक रूप से अब भी यह संयुक्त राष्ट्र का एक अंग बनी हुई है, परन्तु व्यवहारिक रूप से यह समाप्त (Redundant) हो गई है।

♦ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)

चार्टर के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग होगा, यह नीदरलैंड के हैग में स्थित है। गैर-राजनीतिक विवादों को सुलझाने के लिए राष्ट्रसंघ की व्यवस्था में एक अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का एक स्थायी न्यायालय (PCIJ) स्थापित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी की रूप में न्याय की अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) स्थापित किया गया। वे सभी देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, स्वयं ही न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं। यह राष्ट्रों के मध्य उन विवादों को निपटाता है, जो कि किसी संधि की अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या से संबंधित है, अर्थात् - राजनीतिक विवाद इसकी परिधि में नहीं आते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जो कि 15 अलग-अलग देशों के निवासी होते हैं। ये 15 विख्यात न्यायविद् सुरक्षा परिषद् तथा महासभा के द्वारा पृथक मतदान में चुने जाते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, परन्तु उनमें 1/3 प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात् अवकाश ग्रहण कर लेता है। अवकाश ग्रहण करने वाले न्यायाधीश पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। न्यायालय के 15 न्यायाधीश अपने में से एक प्रधान एक उपप्रधान चुनते हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायालय की अध्यक्षता करता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। प्रमुख भारतीय न्यायविद् न्यायमूर्ति आर. एस. पाठक, बी. एन. राव तथा डॉ. नागेन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं। डॉ. नागेन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान पद पर भी रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करके उसके अनुसार राष्ट्रों के मध्य मुकदमों का निर्णय करता है। कोई व्यक्ति या संस्था इस न्यायालय से न्याय की मांग नहीं कर सकता है। सामान्यतः कोई भी देश अपना विवाद पारस्परिक सहमति से इस न्यायालय के समक्ष लाता है। कोई एक देश दूसरे देश की सहमति के बिना उसके विरुद्ध मुकदमा शुरू नहीं कर सकता है। इसे स्वेच्छा क्षेत्राधिकार माना जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार से भी मुकदमे चलाए जा सकते हैं, उसे ऐच्छिक धारा (Optional Protocol) कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जिन देशों ने अपनी इच्छा से स्वयं को धारा के अन्तर्गत घोषित कर दिया है, केवल वे ही देश एक-दूसरे की पूर्व अनुमति के बिना मुकदमा चला सकते हैं। न्यायालय के निर्णय बाध्य होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। इसके निर्णय यदि सर्वसम्मति से न हो पाए, तो बहुमत से लिए जाते हैं। न्यायालय के निर्णयों को भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान प्राप्त होता है।

♦ सचिवालय (The Secretariat)

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय स्थायी रूप से कार्य करते रहने वाला गैर-राजनीतिक अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय (न्यूयार्क) में स्थित है। सचिवालय में अनेक देशों से योग्यता एवं अनुभव के आधार पर चुने हजारों अधिकारी, लिपिक तथा अन्य कर्मी कार्य करते हैं। सचिवालय का प्रधान, महासचिव (Secretary General) इस अन्तराष्ट्रीय लोक सेवा (International Civil Service) का अध्यक्ष होता है। चार्टर के अनुच्छेद 57 के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी होता है। सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर उसको महासभा नियुक्त करती है। उसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है, परन्तु वह प्रायः दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुन लिया जाता है। अधिकांश महासचिवों ने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। घाना के वरिष्ठ राजनयिक कोफी अन्नान 1997 ई. में महासचिव चुने गए एवं 10 वर्षों तक इस पद पर बने रहे। 2007 ई. में दक्षिण कोरिया के राजनयिक बान-की-मून महासचिव चुने गए।

विश्व में शांति बनाए रखने की प्रमुख जिम्मेदार महासचिव की होती है। वह ही सचिवालय के हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करता है और उनका मार्गदर्शन एवं उनके कार्यों का नियमन और निरीक्षण करता है। वह अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण राजनीतिक और राजनयिक भूमिका भी निभाता है। उदाहरण के लिए डॉ. बूट्स घाली ने 3 वर्ष से ऊपर चले, पूर्व यूगोस्लाविया के सर्वो तथा बोल्नियो के मध्य युद्ध को समाप्त करवाने के लिए सराहनीय प्रयास किए। खाड़ी युद्ध के पश्चात् 1998 ई. में इराक को अमेरिकी धमकी के समय भी महासचिव कोफी अन्नान ने व्यक्तिगत मध्यस्थता करके इराक को अस्त्र निरक्षण के लिए मना लिया था और संभावित अमेरिकी आक्रमण टल गया। वर्तमान में महासचिव केवल एक प्रशासनिक अधिकारी न होकर विश्व का एक प्रधान राजनयिक हो गया है।

□ संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कार्य

संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कार्यों का संबंध उसके इस घोषित उद्देश्य से है कि आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की भीषण पीड़ा से बचाना है। अतः अन्तराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उत्तरदायित्व है। यदि विश्व के किसी भाग में युद्ध आरंभ हो जाए, तो उस युद्ध को शीघ्र समाप्त करवाने का प्रयास करना है। यदि कोई और मार्ग न बचे, तो संयुक्त राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था भी कर सकता है। इसके अधीन, आक्रमण से पीड़ित देश को मुक्त करवाने के लिए सामूहिक बल प्रयोग का प्रबंध किया जाता है।

चार्टर के अनुच्छेद 1(3) के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र इस बात के निरन्तर प्रयत्नशील है कि आर्थिक-सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय परोपकारी (Humanitarian) प्रकृति की अन्तराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान किया जा सके। सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों का समन्वय आर्थिक और सामाजिक परिषद् करती है। चार्टर के अनुसार राष्ट्र के उद्देश्यों में से एक है - “मानव अधिकारों तथा सभी के लिए मूलभूत स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहित करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना”। अतः संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों एवं विश्व शांति को बनाए रखने के लिए हरसंभव और आवश्यक कार्य करता है।

□ संयुक्त राष्ट्र भूमिका तथा निष्पादन (United Nation Role & Performance)

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की व्यापक व्याधि से सुरक्षित करने के लिए की गई थी। अनेक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए आज यह अपने स्थापना के 70वें वर्ष में है। संयुक्त राष्ट्र संघ युद्धों का उन्मूलन एवं निरस्तीकरण करवाने में तो पूर्णरूपेण सफल नहीं हुआ, परन्तु अन्तराष्ट्रीय शांति बनाए रखने में इसने कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। शांति व सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद् का है। चार्टर के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत सदस्य देश परिषद् के निर्णय को स्वीकार करने और लागू करने के लिए वचनबद्ध है। केवल सुरक्षा परिषद् के निर्णय ही सदस्य राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अन्य सभी अंग केवल सिफारिश कर सकते हैं, परन्तु वर्तमान में विश्व जनमत के प्रभाव के कारण कई सिफारिशों को सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र के जीवन के पहले कुछ दशकों में शीतयुद्ध की राजनीति के परिवेश में निषेधाधिकार का बहुत अधिक प्रयोग किया गया। फलस्वरूप शांति एवं सुरक्षा के लिए सुरक्षा परिषद् प्रभावी निर्णय नहीं ले सकी। इस कठिनाई का सामना करना के लिए महासभा ने “शांति के लिए एकता प्रस्ताव” पारित करके यह प्रावधान कर दिया कि जब भी निषेधाधिकार के प्रयोग के कारण सुरक्षा परिषद् में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तब उस प्रश्न पर महासभा विचार कर सकती है। इसके अलावा महासचिव की भूमिका में इतनी वृद्धि हो गई

कि वह राजनयिक अधिक और प्रशासक कम हो गया। जिन देशों में गंभीर मतभेद होते हैं, महासचिव प्रायः उनके बीच मध्यस्थता के द्वारा समाधान करने का प्रयास करता है एवं सामान्यतः सफल भी होता है। अफगानिस्तान, ईरान-ईराक युद्ध, नामीबिया, कम्बोडिया, केन्द्रीय अमेरिका तथा ईराक में अस्त्र निरीक्षण की कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं थीं, जिनके समाधान के लिए महासचिवों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में सदस्य राष्ट्रों से कहा गया है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए प्रत्यक्ष बातचीत तथा अन्य शांतिपूर्ण उपायों का प्रयोग करेंगे और शांति भंग होने की स्थिति में सामूहिक सुरक्षा के साधन अपनाए जाएंगे। शांति निर्वाहन संक्रिया (Peacekeeping Operation) के द्वारा संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने की चष्टा करेगा। इस संक्रिया में सैनिक पर्यवेक्षक दल हो सकते हैं, जिनमें शस्त्रहीन अधिकारी या सशस्त्र शांति निर्वाह बल अथवा दोनों ही हो सकते हैं। शांति निर्वाह बल में विभिन्न देशों की सैनिक टुकड़ियां शामिल होती हैं और उन पर होने वाला व्यय अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय वहन करता है।

शीतयुद्ध के पश्चात् शांति निर्वाहन बलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्वाहन बलों को 1988 ई. में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आरंभ में भेजे गए दल बाल्कन प्रदेश में, इंडोनेशिया में, भारत-पाकिस्तान के संघर्ष के संबंध में भेजे गए थे। औपचारिक रूप से प्रथम सुसंगठित शांति निर्वाहन बल स्वेज नहर के राष्ट्रीकरण के पश्चात् 1956 ई. में मिस्र पर ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजराइल द्वारा किए गए आक्रमण के स्थिति का सामना करने के लिए भेजे गए थे।

शीतयुद्ध के पश्चात् 1990 के दशक में शांति निर्वाहन बल यूगोस्लाविया के हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में (1992 ई.), मोजाम्बिक, सोमालिया, लाइबेरिया, हैती तथा अफगानिस्तान (2001 ई.) में भी भेजे गए थे। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रकाशन के अनुसार 1995 ई. में जब शांति निर्वाह अपने चरम पर था, उस समय 77 देशों के लगभग 70,000 सैनिक व असैनिक अधिकारी संयुक्त राष्ट्र की संक्रिया में कार्यरत थे, जिसमें लगभग 3 अरब डालर प्रतिवर्ष खर्च हो रहा था। 30 अप्रैल, 2003 ई. को 89 देशों के लगभग 37,000 कर्मी इसमें भाग ले रहे थे, जिनमें से 2,735 भारत के थे। वर्तमान में भारत सर्वाधिक संख्या में शांति बल सैनिक उपलब्ध कराने वाला देश है।

□ शांति की कार्यसूची (Agenda for Peace)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की एक विशेष और अभूतपूर्व बैठक 31 जनवरी, 1992 ई. को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में हुई। इसे सुरक्षा परिषद् की शिखर बैठक के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में यह प्रथम अवसर था कि जब सभी 15 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लेने आए। भारत उस समय सुरक्षा परिषद् का अस्थायी सदस्य था, भारत के प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंह राव ने इस शिखर बैठक में भाग लिया।

शिखर बैठक के घोषणा पत्र में महासचिव से कहा गया कि वह संयुक्त राष्ट्र की निरोधक कूटनीति (Preventive Diplomacy), शांति स्थापना तथा शांति निर्वाहन संक्रिया में सुधार के उपयों की सिफारिश करें। अतः महासचिव डॉ. बुतरस घाली (मिस्र) ने जून, 1992 ई. में शांति की कार्यसूची जारी की। महासचिव की रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव दिए गए। महासचिव के प्रस्तावों का लक्ष्य यह था कि सम्भावित संघर्षों की पहले से पहचान कर ली जाए, ताकि उनके अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान संभव हो सके। इनकी विस्तृत समीक्षा आगे इस उद्देश्य के साथ की गई कि संघर्ष के उपरान्त शांति को किसी तरह सुदृढ़ किया जाए।

□ द्वितीय खाड़ी युद्ध तथा संयुक्त राष्ट्र का भविष्य (Gulf War-II & The Future of UN)

शीतयुद्ध के उपरान्त संसार एक ध्रुवीय हो गया था एवं ऐसा प्रतीत होता था कि संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों का नियमन संयुक्त राज्य अमेरिका ही करेगा। 1990 ई. में ईराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर उसे अपने साथ मिला लेने के विरुद्ध समस्त विश्व ने अमेरिका के नेतृत्व का समर्थन किया। राष्ट्रपति जार्ज बुश (Senior) विश्व नेता बनकर उभरे। उस समय सुरक्षा परिषद् ने अमेरिकी नेतृत्व में एक गठबंधन को यह अधिकार दिया था कि वह ईराकी आक्रमण समाप्त करवाकर कुवैत की सम्प्रभुता तथा उसके अमीर की सत्ता को बहाल करवाए। अतः प्रथम खाड़ी युद्ध संयुक्त राष्ट्र की अनुमति में अमेरिका के नेतृत्व में लड़ा गया तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की जीत में उसे विजय प्राप्त हुई।

ईराक पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए एवं कुवैत को स्वतंत्र करवा लिया गया। उसी समय संयुक्त राष्ट्र ने ईराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को आदेश दिया की वह नरसंहार के अस्त्रों (Weapons of Mass Destruction) को शीघ्र नष्ट कर दें, जो ईराक के पास थे। परन्तु एक दशक से अधिक समय तक ईराक एवं संयुक्त राष्ट्र के मध्य इस मुद्दे पर तनाव चलता रहा। 1998 ई. में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान को ईराक जाना पड़ा था।

2002-03 ई. में परिस्थिति और भी गंभीर हो गई एवं निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सुरक्षा परिषद् ने सुप्रसिद्ध प्रस्ताव संख्या 1441 पारित किया। इस प्रस्ताव में ईराक को अंतिम अवसर दिया गया कि वह अपने निरस्त्रीकरण के दायित्व का निर्वहन करें। यह कार्य संयुक्त राष्ट्र की निगरानी, प्रमाणीकरण एवं निरीक्षण आयोग (UN Monitoring Verification & Inspection Commission, UNMOVIC) तथा अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को करना था। ईराक को 30 दिनों के भीतर अपने सभी रासायनिक, जैविक एवं परमाणु अस्त्रों (आशंका) के संबंध में पूरी जानकारी देनी थी। अस्त्र निरीक्षकों को ईराक से आशानुरूप सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, जिसे बहाना बनाकर अमेरिका ने केवल ब्रिटेन व स्पेन के समर्थन से ईराक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।

18 मार्च, 2003 ई. को अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने विश्व जनमत की परवाह किए बगैर सद्दाम हुसैन को 48 घंटों के भीतर ईराक छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दिया। 20 मार्च को अल्टीमेटम समाप्त होते ही संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् की अनुमति के बिना अमेरिका तथा उसके सहयोगी देशों ने ईराक पर भीषण आक्रमण बोल दिया। इस आक्रमण की विश्वव्यापी निंदा हुई। ब्रिटेन में 122 सांसदों ने युद्ध के विरुद्ध मतदान किया, अमेरिका में जनता द्वारा इस युद्ध का भारी विरोध किया गया, फ्रांस व रूस के राष्ट्रपतियों ने पहले ही सुरक्षा परिषद् में युद्ध के विरुद्ध वीटो की धमकी दी थी। अतएव कहा जा सकता है कि यह आक्रमण पूर्णरूप से अवैध था। 21वीं सदी के आरंभ में ही संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका के युद्ध उन्माद को रोकने में असफल हुआ एवं उसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर सुधार की आवश्यकता महसूस की गई।

अमेरिकी, ब्रिटिश कार्यवाही से संयुक्त राष्ट्र को गहरा धक्का लगा था, परन्तु इसे संयुक्त राष्ट्र की असफलता नहीं माना जा सकता। संयुक्त राष्ट्र केवल विवादों का शांतिपूर्ण समाधान एवं सामूहिक सुरक्षा ही नहीं करता, वरन् वह बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां भी चलाता है, जिन पर 2003 ई. के इस खाड़ी युद्ध का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। पूरे विश्व के साथ-साथ भारत ने भी दोनों सदनों में सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव प्रारित किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान ने भी बार-बार कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की सहमति के बिना कोई भी कार्यवाही चार्टर के विरुद्ध होगी एवं विश्व व्यवस्था के लिए यह विनाशकारी होगी। विश्व की आम जनता ने भी संयुक्त राष्ट्र की अनुमति को किसी भी वैश्विक समस्या को सुलझाने में अतिआवश्यक माना एवं संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर बल दिया, जिसमें सुरक्षा परिषद् में भारत, जर्मनी एवं जापान जैसे देशों की स्थायी सदस्यता पर विचार करने एवं बिना सर्वसम्मति के भविष्य में किसी भी प्रकार के युद्ध को वर्जित करने की बात कही गई।

हाल ही में अमेरिकी-रूस विवाद, सिरिया पर विदेशी शक्तियों का आक्रमण, अफ्रीका के देशों में नृजातीय संहार, चीन के द्वारा दक्षिणी-चीन सागर मुद्दे पर अन्तर्राष्ट्रीय अधिकरण के निर्णय को स्वीकार नहीं करने आदि मुद्दों के कारण संयुक्त राष्ट्र की वास्तविक भूमिका पर कई प्रश्न-चिह्न लगे हैं। यद्यपि कई देशों में चल रहे गृहयुद्धों को समाप्त करने तथा कई देशों के मध्य सीमा विवाद को सुलझाने के कारण वर्ष 2016 संयुक्त राष्ट्र के लिए मिश्रित सफलताओं का वर्ष रहा। 2017 के प्रारंभ में अमेरिकी चुनाव के नाटकीय घटनाक्रम ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष नई चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। उदाहरणार्थ - ट्रम्प प्रशासन द्वारा कुछ देशों पर वीजा प्रतिबंध लगाना, जहां संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं।

□ संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण

♦ स्वास्थ्य, मानवाधिकार एवं जनसंख्या

| संगठन | स्थापना | मुख्यालय | भूमिका |
|--|------------------|------------------------|--|
| विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) | 7 अप्रैल, 1948 | जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) | विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। भारत की श्रीमती अमृत कौर संगठन की अध्यक्ष रह चुकी हैं। यह विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट का प्रकाशन करता है तथा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। |
| संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग कार्यालय (UNHCR) | 14 दिसम्बर, 1950 | जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) | युद्ध, संघर्ष एवं प्राकृतिक आपदाओं जैसी परिस्थितियों के कारण निर्वासित लोगों की सहायता एवं उनका पुनर्वास करना। 1954 व 1981 में नोबल पुरस्कार प्राप्त। |
| मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCHR) | 1951 | जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) | अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम स्तर का दायित्व निभाना। |
| संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) | 1969 | न्यूयार्क (यू. एस. ए) | जनसंख्या और परिवार नियोजन से संबंधित आवश्यकताओं हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षमताएं विकसित करना। जनसंख्या कार्यक्रम एवं परियोजनाएं विकसित करने में विकासशील देशों की सहायता करना। |

♦ संस्कृति, शिक्षा एवं सामाजिक विकास

| संगठन | स्थापना | मुख्यालय | भूमिका |
|--------------------------|----------------|-----------------------|---|
| यूनेस्को (UNESCO) | 4 नवम्बर, 1946 | पेरिस (फ्रांस) | विश्वभर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना। |
| विश्व पर्यटन संगठन (WTO) | 1925 | मैड्रिड (स्पेन) | पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करना। पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना तथा पर्यटन के माध्यम से विश्व में लोगों को निकट लाना। |
| यू. एन. विमन (UN WOMEN) | 1 जनवरी, 2011 | न्यूयार्क (यू. एस. ए) | विश्व से महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभाव को मिटाना। महिलाओं का सशक्तिकरण करना। महिलाओं का विकास, मानवाधिकार, मानवीय कार्यों, सुरक्षा एवं शांति के क्षेत्र में समान रूप से मदद करना। 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। |

| संगठन | स्थापना | मुख्यालय | भूमिका |
|--|------------------|------------------------|--|
| संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) | 1965 | न्यूयार्क (यू. एस. ए) | सतत् मानव विकास को सशक्त माध्यम बनना एवं इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को मजबूत करना। यह प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। |
| संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) | 11 दिसम्बर, 1946 | न्यूयार्क (यू. एस. ए) | बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उपेक्षित बच्चों के संरक्षण को बढ़ावा, बच्चों की दशा सुधारने हेतु हेतु सरकारों की मदद करना। 1965 में यूनीसेफ को नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया। |
| संयुक्त राष्ट्र का प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (UNITAR) | 1965 | जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) | संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु आधार के रूप में एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करना। |
| संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (UNU) | 1975 | टोक्यो (जापान) | शैक्षणिक संस्थान के रूप में तत्कालीन भू-मंडलीय समस्याओं के निराकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। |
| अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) | 11 अप्रैल, 1919 | जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) | श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन-स्तर को उन्नत करना। 1969 में संगठन को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार मिला। यह प्रतिवर्ष विश्व रोजगार रिपोर्ट जारी करता है। भारत के जगजीवनराम इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। |

♦ विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं संचार

| संगठन | स्थापना | मुख्यालय | भूमिका |
|--|--|------------------------|---|
| अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (IAEA) | 29 जुलाई, 1957 | विना (ऑस्ट्रिया) | परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना। भारत के डॉ. एच. जे. भाभा संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं। |
| सार्वभौम डाक संघ (UPU) | 9 अक्टूबर, 1874 1948 में संयुक्त राष्ट्र अभिकरण बना | बर्न (स्विट्जरलैण्ड) | लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्वभर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। |
| अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ (ITU) | 1 जनवरी, 1961 | जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) | दूरसंचार के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग करना। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। |
| अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) | 7 दिसम्बर, 1944 | मांट्रियल (कनाडा) | अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदण्ड तथा नियम निश्चित करना तथा नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन तथा उनका निदान करना। |
| रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW) | 29 अप्रैल, 1997 | द हेग (नीदरलैण्डस) | रासायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास निर्माण भण्डारण तथा प्रयोग को रोकना। |

♦ वित्त एवं व्यापार

| संगठन | स्थापना | मुख्यालय | भूमिका |
|--|---|------------------------|---|
| विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (WIPO) | 26 अप्रैल, 1970 1974 में संयुक्त राष्ट्र का अभिकरण बना | जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) | बौद्धिक सम्पदा (औद्योगिक और कॉपीराइट) के लिए सम्मान बढ़ाना व बौद्धिक सम्पदा को संरक्षण प्रदान करना। |
| अन्तर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन (IMO) | 17 मार्च, 1958 | लंदन (ब्रिटेन) | नौ-परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। |
| संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) | 1 जनवरी, 1967 | विएना (ऑस्ट्रिया) | विश्वभर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जीवन-स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना। |
| संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन (UNCTAD) | दिसम्बर, 1964 | जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) | अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से विकासशील देशों के व्यापार और विकास को बढ़ावा देना। यह प्रतिवर्ष ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। |
| अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र (ITC) | 1964 | जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) | उत्पादन एवं बाजार विकास, व्यापार सहयोग सेवाओं का विकास, व्यापारिक संचार, मानव संसाधन विकास एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। |
| संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) | 1 जनवरी, 1967 | विएना (ऑस्ट्रिया) | विश्वभर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जीवन-स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना। |

♦ पर्यावरण, खाद्य एवं कृषि

| संगठन | स्थापना | मुख्यालय | भूमिका |
|--|------------------|-----------------|---|
| संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) | 16 अक्टूबर, 1945 | रोम (इटली) | विश्वभर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन-स्तर को बढ़ाना। यह विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सहायता कार्यक्रम है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। |
| अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) | 13 जून, 1976 | रोम (इटली) | विकासशील देशों में निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना। |
| संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) | 1972 | नैरोबी (केन्या) | वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की मॉनीटरिंग करना, पर्यावरण मुद्दों पर लोगों को जागरूक बनाना तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में पर्यावरण गतिविधियों को बढ़ावा देना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। |
| विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) | 1963 | रोम (इटली) | प्राकृतिक आपदाओं एवं संकट के समय विकासशील देशों की गरीब जनता को खाद्य सहायता देना। |

| संगठन | स्थापना | मुख्यालय | भूमिका |
|----------------------------------|-------------|---------------------------|--|
| संयुक्त राष्ट्र वन मंच (UNFF) | 2000 | न्यूयार्क (यू. एस. ए) | विश्व में वनों का संरक्षण तथा उनका यथोचित प्रबंध एवं वैश्विक स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण करना। |
| विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) | मार्च, 1950 | जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) | मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि करना। प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान में शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना। |

♦ अन्य

| संगठन | स्थापना | मुख्यालय | भूमिका |
|---|-----------------|------------------|---|
| व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन (CTBTO) | 19 नवम्बर, 1996 | विना (ऑस्ट्रिया) | व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि (सी. टी. बी. टी.) के प्रावधानों का भू-मण्डलीय स्तर पर प्रमापीकरण। |



अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष - 1945

International Monetary Fund - 1945

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund - IMF) की स्थापना ब्रेटनवुड्स एग्रीमेंट (1944 ई.) के तहत वर्ल्ड बैंक के साथ 1945 ई. में की गई। यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित संस्था है। इसके 188 सदस्य (2014) हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है एवं इसने 1947 ई. से अपना कार्य प्रारंभ किया। वर्तमान में इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिना लेगार्ड (फ्रांस) हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक सदस्य को कोटा (Quota) आवंटित किया जाता है, जिसका निर्धारण विश्व अर्थव्यवस्था पर उसकी अवस्था से किया जाता है। किसी भी सदस्य राष्ट्र का कोटा उसके सम्बन्ध में मुख्यतः 3 बातों की जानकारी प्रदान करता है -

- 1) उस सदस्य द्वारा IMF में सदस्य बनने के लिए दी जाने वाली राशि।
- 2) वोटिंग अधिकार।
- 3) IMF से प्राप्त की जा सकने वाली वित्तीय सहायता।

IMF की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात् एक देश को अपने कोटे का एक चौथाई (1/4) मूल्य के बराबर का धन 4 वैश्विक मुद्रा (डॉलर, यूरो, येन या पाउण्ड स्टर्लिंग) या SDR (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) के रूप में IMF के पास जमा करना पड़ता है। शेष तीन चौथाई (3/4) उस देश को अपनी मुद्रा में जमा कराना पड़ता है।

IMF में प्रति 5 वर्षों में कोटे का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष 2010 के मूल्यांकन के अनुसार भारत का वोटिंग प्रतिशत 2.75 प्रतिशत कर दिया गया है। यह व्यवस्था लागू होने के पश्चात् भारत IMF में 8वां सबसे बड़ा कोटा धारी देश बन जाएगा एवं उसकी SDR बढ़कर 13,114.4 मिलियन हो जाएगी। यदि भारत को उसकी क्षेत्रीयता (बांग्लादेश, भूटान व श्रीलंका) से जोड़ दिया जाए, तो वह 24 क्षेत्रों में से 17वें नम्बर पर आता है।

□ 14वीं कोटा समीक्षा लागू

189 सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने सदस्य देशों के कोटों की बहुप्रतीक्षित 14वीं सामान्य समीक्षा (14th General Review of Quotas) लागू की घोषणा 27 जनवरी, 2016 को की थी। इस कोटा सुधार के लागू होने से IMF का स्वयं का पूंजी आधार 238.5 अरब एसडीआर (लगभग 329 अरब डॉलर) से दोगुना होकर 477 अरब एसडीआर (लगभग 657 अरब डॉलर) हो गया है तथा साथ ही कोटों का पुनर्वितरण कुछ इस प्रकार से हो गया है, जिसमें 6 प्रतिशत से कुछ अधिक कोटा उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं व अन्य विकासशील देशों के पक्ष में हस्तांतरित हुआ है। इससे भारत, चीन, रूस व ब्राजील अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 10 बड़े कोटे वाले देशों में शामिल हो गए हैं। कोटों में सापेक्षिक वृद्धि के चलते इन देशों के मताधिकार में भी वृद्धि होगी।

IMF के संसाधनों में वृद्धि व इसके प्रशासन में सुधार के लिए 14वीं कोटा समीक्षा को दिसम्बर, 2010 में अन्तिम रूप दिया गया था, किन्तु कोटा समीक्षा लागू करने के लिए सभी आवश्यक दशाएं 26 जनवरी, 2016 को पूरी की गई, जिससे 14वीं समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे लागू हो गए हैं। इससे IMF में भारत का कोटा 2.44 प्रतिशत से बढ़कर 2.7 प्रतिशत तथा मताधिकार 2.34 प्रतिशत से बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गया है। नई कोटा संरचना से भारत, चीन, रूस व ब्राजील IMF के 10 बड़े कोटाधारकों में शामिल हो गए हैं। कोष के बड़े कोटाधारकों में भारत का स्थान अभी तक 11वां था, जो अब 8वां हो गया है।

कोष के 10 बड़े कोटाधारकों में 6 अन्य राष्ट्र अमरीका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन व इटली होंगे, चीन का पहले ही इसमें 7वां स्थान था, जो अब अमरीका व जापान के पश्चात् तीसरा हो गया है। 14वीं कोटा समीक्षा के तहत स्वीकार किए गए एक अन्य सुधार के तहत कोष के निदेशकमण्डल के सभी सदस्य अब चुनाव द्वारा ही चुने जाएंगे तथा 5 बड़े कोटाधारकों द्वारा एक-एक निदेशक के मनोनयन की व्यवस्था अब समाप्त हो गई है।

□ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के उद्देश्य

- 1) अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना।

- 2) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भुगतान संतुलन को बनाए रखने के लिए सदस्य देशों को सहायता प्रदान करना।
- 3) सदस्य देशों की आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित रूप से बढ़ावा देना।
- 4) मुद्रा के पारस्परिक विनिमय को नियमित करना एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सदस्य राष्ट्रों द्वारा किए जाने वाले मुद्रा के अधिमूल्यन को हतोत्साहित करना (Competitive Exchange Rate Revaluation)।

□ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के प्रमुख कार्य

- 1) अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु IMF विश्व अर्थव्यवस्था पर पैनी नजर (Surveillance) रखता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आने वाले किसी भी संकट को रोका जा सके।
- 2) IMF सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक मंदी से बचाए रखने के लिए आर्थिक सुझाव एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करता है।
- 3) भुगतान असंतुलन की स्थिति आने पर यह सदस्य देशों को अल्पकालिक अवधि के लिए धन उपलब्ध कराता है।
- 4) गरीब देशों को गरीबी उन्मूलन हेतु कम ब्याज पर ऋण प्रदान करता है।
- 5) सदस्य देशों को आर्थिक विकास के लिए तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- 6) वैश्विक स्तर पर मुद्रा की कालाबाजारी एवं आतंकवादियों को धन प्राप्ति से रोकता है।

□ स्पेशल ड्राइंग राइट्स (Special Drawing Rights)

यह एक अन्तर्राष्ट्रीय रिजर्व एसेट है, जिसे 1969 ई. में IMF ने प्रारंभ किया गया, ताकि सदस्य देशों के कुल मुद्रा भण्डार को बढ़ाया जा सके। इसका मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बास्केट (डालर, यूरो, येन व पाउण्ड) में किया जाता है। सदस्य देश SDR के बदले अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। SDR न तो एक मुद्रा है और न ही IMF के ऊपर सदस्य देशों का कोई ऋण, बल्कि यह सदस्य देशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली मुद्रा पर एक व्यवहारिक मांग है। प्रत्येक देश अपने SDR के मूल्य के बराबर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बास्केट से मुद्रा प्राप्त कर सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बास्केट का प्रत्येक 5 वर्ष में मूल्यांकन किया जाता है, ताकि विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण मुद्राओं का इसमें सम्मिलित किया जा सके। वर्तमान में चीन अपनी राष्ट्रीय मुद्रा युआन को इसमें सम्मिलित करवाने के लिए प्रयासरत है।

□ IMF एवं भारत

भारत IMF का 1945 ई. से एक महत्वपूर्ण सदस्य है तथा इसके वास्तविक संस्थापक देशों में शामिल है। साथ ही IMF को ऋण देने वाले देशों में से एक है। 2008 के वैश्विक मंदी के फलस्वरूप यूरोप में फैली आर्थिक मंदी को खत्म करने की दिशा में भारत के प्रयास उल्लेखनीय हैं। IMF द्वारा न्यू अरेंजमेंट टू बारी (New Arrangements to Borrow - NAB), जो एक बहुदेशीय एजेंसी है, के अन्तर्गत जमा की गई 580 बिलियन डालर की सहायता राशि में भारत ने भी 10 बिलियन डालर का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो एक विकासशील देश का वैश्विक मंदी के वातावरण में वैश्विक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

भारत IMF द्वारा 2002 में शुरू की गई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्लान (FTP) में भी सहयोगी है, जिसके अन्तर्गत सदस्य देशों को ऋण एवं भुगतान संतुलन के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। भारत ने G-20 की मैक्सिको समिट-2012 में यूरोजोन क्राइसिस के लिए 10 बिलियन डालर का ऋण दिया था।

□ भारत अब IMF के वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल

भारत, जो अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से समय-समय पर अपनी आवश्यकतानुसार ऋण लेता रहा है, अब इसके वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल हो गया है। दूसरे शब्दों में अब भारत इस बहुपक्षीय संस्था को ऋण उपलब्ध कराने लगा है। मई व जून, 2003 में दो अलग-अलग किशतों में कुल मिलाकर 205 मिलियन SDR (291.70 मिलियन डॉलर) की राशि भारत ने IMF को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्लान (FTP) के तहत उपलब्ध कराई थी।

सितम्बर-नवम्बर, 2002 की तिमाही से भारत को कोष के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्लान की सदस्यता हेतु चुना लिया गया था। FTP में योगदान के लिए ऐसे राष्ट्रों को चुना जाता है, जिनकी स्वयं की भुगतान संतुलन (BOP) की स्थिति सुदृढ़ हो तथा जिनके पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा कोष उपलब्ध हो।

ऐसे राष्ट्रों से FTP में वित्तीय योगदान की अपेक्षा की जाती है, ताकि दुर्बल भुगतान संतुलन वाले राष्ट्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। रिजर्व बैंक की विज्ञप्ति में कहा गया कि मुद्रा कोष के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्लान के लिए भार का चयन पहली बार ही किया गया है तथा यह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए देश के मजबूत वैदेशिक क्षेत्र (External Sector) का संकेत है।

□ IMF द्वारा दिए जाने वाले ऋण के प्रकार

IMF प्रमुख रूप से भुगतान संतुलन के लिए ही अपने सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। प्राप्त सहायता से ही सदस्य देश अपने विदेशी मुद्रा कोष को संतुलित रखते हैं, अपनी मुद्रा का मूल्य गिरने से बचाते हैं एवं आयात की गई वस्तुओं का भुगतान करते हैं। IMF विश्व बैंक की तरह किसी विशेष परियोजना के लिए धन उपलब्ध नहीं करवाता। ऋण देने के लिए IMF में कई तरह की संस्थाएं हैं, जैसे – PRGF (Poverty Reduction and Growth Facility), ESF (Exogenous Shocks Facility)।

1) **PRGF (Poverty Reduction and Growth Facility)** – इसके अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन एवं विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए धन दिया जाता है, जिसमें ब्याज की दर बहुत कम होती है।

2) **ESF (Exogenous Shocks Facility)** – इसके अन्तर्गत कम आय वाले देशों एवं अतिगरीब देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई अनापेक्षित विकट परिस्थितियों से बचाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें भी ब्याज की दर काफी कम होती है। उदाहरणार्थ – अनाज की किमतों में आई अचानक गिरावट से अर्थव्यवस्था को सम्भालने हेतु।

इसके अलावा भी IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट (SBA) के तहत ऋण उपलब्ध कराती है, लेकिन इस प्रकार के ऋण में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाती है। इसके तहत ऋण मुख्यतः उन देशों को दिया जाता है, जिनकी आर्थिक स्थिति एवं नीति निर्माण अपेक्षाकृत सुदृढ़ एवं दूरदर्शिता युक्त होती है।

एक्सटेंडेड फण्ड फेसिलिटी (EFF) के अन्तर्गत भी कम आय करने वाले सदस्य देशों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो मुख्यतः उनके विदेशी व्यापार भुगतान संतुलन को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक अवधि के लिए दिया जाता है। सदस्य देश IMF से ऋण मुख्यतः अपने कोटे के गुणक के रूप में प्राप्त करते हैं। ऋण इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसकी प्रकृति क्या है। कुछ विशेष परिस्थितियों में निर्धारित कोटे से अधिक ऋण भी प्राप्त किया जा सकता है।

नोट – IMF वैश्विक आर्थिक विकास के संबंध में प्रतिवर्ष 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' पत्रिका भी जारी करता है, जिसकी सहायता से सदस्य देशों के वित्त मंत्री एवं उनके केन्द्रीय बैंक के गवर्नर वैश्विक अर्थव्यवस्था के एकनिष्ठ स्वरूप की चर्चा करते हैं। IMF वर्ष में 2 बार 'ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट' भी जारी करता है, जिससे विश्व व्यापार एवं अर्थव्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। IMF के कार्यों का एक स्वतंत्रत कार्यालय द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है।

□ IMF एवं ऋण की शर्तें

IMF द्वारा प्रदान किए गए ऋणों पर कई शर्तें लागू होती हैं, जिन्हें कई देश सामाजिक एवं मानवीय विकास में बाधा मानते हैं। IMF द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि ऋण का अधिकाधिक लाभ लेने एवं वित्तीय व आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लगाई गई शर्तें अतिआवश्यक हैं। परन्तु कई मौकों पर यह देखा गया है कि यह शर्तें गरीबी उन्मूलन, विकास कार्यों तथा कृषि को दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगाती है, जिससे विकासशील एवं गरीब देशों की समस्या और बढ़ जाती है। कुछ शर्तें निम्नलिखित हैं –

- | | |
|---|---|
| 1) राजकोषीय घाटे में कमी करना। | 2) निजीकरण को बढ़ावा देना। |
| 3) राष्ट्रीय मुद्रा में सरकारी हस्तक्षेप बंद करना। | 4) सरकार में सदस्यों की संख्या कम करना। |
| 5) श्रमिक क्षेत्रों में सुधार के कार्यक्रमों में तेजी लाना। | 6) सब्सिडी को कम से कम करना। |

□ IMF एवं वैश्विक आर्थिक मंदी

2008 के पश्चात् पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, जिसके कुछ नकारात्मक परिणाम भारत एवं चीन में भी देखने को मिले। ऐसी विकट आर्थिक परिस्थिति में IMF द्वारा कई महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए गए, जो निम्नलिखित हैं –

- 1) दिए जाने वाली ऋण की राशि को बढ़ाया गया, जिसमें कम दरों पर गरीब देशों को दिए जाने वाले ऋण ने उल्लेखनीय वृद्धि की गई।
- 2) आर्थिक मोर्चे पर किए गए अनुसंधान एवं उनसे प्राप्त परिणामों से सदस्य देशों को अवगत कराया गया, जिससे वे आवश्यक सुधार कार्य कर सके।
- 3) IMF की ऋण पद्धति को लचीला बनाया गया, जिससे सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार ऋण उपलब्ध हो सके।
- 4) वित्तीय सुरक्षा जाल (Financial Safety Net) का सृजन किया गया, ताकि मंदी को फैलने से रोका जा सके।
- 5) इस मंदी सीख लेकर ऐसे उपायों एवं आर्थिक सुधारों पर बल दिया गया, जो केवल मंदी आने के पश्चात् उसके प्रभाव को ही कम न करें, बल्कि आने वाले मंदी को रोक भी सके।

□ IMF एवं BRICS

वैश्विक मंदी के असर को कम करने के लिए IMF ने द्विपक्षीय ऋण कार्यक्रम का प्रस्ताव BRICS के समक्ष रखा, जिससे सदस्य देशों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन का सृजन किया जा सके। यह प्रस्ताव G-20 की मैक्सिको की बैठक में 2012 में रखा गया। BRICS देशों ने इसके समर्थन में ऋण उपलब्ध कराया, जिसमें भारत, ब्राजील, रशिया एवं चाइना ने क्रमशः 10, 10, 10 एवं 43 बिलियन डालर की राशि प्रदान की।

उपर्युक्त शर्तों से स्पष्ट है कि कोई भी सरकार इन शर्तों का पालन एक प्रबल जनमत से नहीं कर सकती है एवं प्रत्येक देश की अपनी अलग-अलग परिस्थितियां होती हैं, जिससे वे सभी शर्तों का पालन करने में असमर्थ होते हैं। वर्तमान में मुद्रा कोष ने भी स्वीकार किया है कि कुछ शर्तों में सुधार की आवश्यकता है, परन्तु यह भी कहा है कि शर्तों का मूलभूत आधार राष्ट्रों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। भारत ने IMF को यह सुधाव दिया है कि ऋण पर शर्तें प्राप्तकर्ता देश की आन्तरिक परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए।

□ IMF में सुधार के कारण

- 1) गरीब देशों द्वारा यह शिकायत की जाती है कि IMF द्वारा थोपी गई शर्तें सभी देशों के लिए एक समान होती हैं, जिसको पूरा करना आर्थिक रूप सम्पन्न देशों के लिए तो आसान होता है, किन्तु गरीब देशों के लिए बहुत मुश्किल।
- 2) शर्तों में गरीबों पर खर्च किए जाने वाले धन में कटौती की बात कही जाती है, जिससे गरीबी उन्मूलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- 3) IMF द्वारा प्रदान किया जाने वाला ऋण आज भी निजी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण से काफी कम है। साथ ही IMF पर ऋण देने में एशियायी एवं अफ्रीकी देशों के साथ पक्षपात का आरोप भी लगाया जाता है (2010 की आर्थिक मंदी के बाद ऋण मुख्यतः ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन आदि यूरोपीय देशों को दिया गया)।
- 4) IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर मासम्परिक रूप से एक यूरोपीय व्यक्ति (वर्तमान में क्रिस्टिन लिगार्ड-फ्रांस) होता है, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ क्षेत्रीयता हावी है। भारत व चीन सहित कई विकासशील देश इसका विरोध करते आए हैं।
- 5) भारत इस बात पर भी आपत्ति करता है कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं को कम वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, जैसे - भारत व चीन को।
- 6) IMF द्वारा 2008-09 की वैश्विक मंदी के प्रभाव का गलत अनुमान लगाने पर भी इसकी आलोचना की जाती है।

□ IMF में किए गए सुधार

- 1) IMF के पुराने स्वरूप को बदलकर एक नया स्वरूप में लाया गया है, जिसमें चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका एवं ब्राजील जैसे देशों के वोटिंग अधिकार बढ़ाए गए हैं, ताकि इसे केवल पश्चिमी देशों की संस्था न कहा जाए।
- 2) दिए जाने वाले ऋण की मात्रा को यथासंभव बढ़ाने का प्रयास किया गया है।
- 3) गरीब देशों एवं निम्न आय वाले देशों को प्राथमिकता दी गई है एवं दी जाने वाली ब्याजरहित ऋण को बढ़ाया गया है।
- 4) भविष्य में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए एक स्वतंत्र चुनाव की बात कही गई है।

5) IMF द्वारा ऋण पर थोपी जाने वाली शर्तों को सरल किया गया है।

□ SDR एवं US डालर के मध्य प्रतिस्पर्धा

आज के बहुध्रुवीय विश्व में जहां डालर निरन्तर अपनी साख खोता जा रहा है, वहीं SDR की महत्ता चीन, भारत एवं ब्राजील जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के कारण निरन्तर बढ़ती जा रही है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आधारभूत सुधार की आवश्यकता है। वैश्विक रूप से आज भी कई देश अपना विदेशी मुद्रा भण्डार केवल डालर में एकत्र करते हैं, जो कि अमेरिका राष्ट्रीय मुद्रा है।

वर्ष 2008 के वैश्विक मंदी के पश्चात् अमेरिका की अर्थव्यवस्था निरन्तर उच्च राजकोषीय घाटा एवं चालू खाते के घाटे से प्रभावित है, जिससे डालर की आपूर्ति विश्व के कई देशों में कम होने का खतरा उत्पन्न हुआ है। उच्च राजकोषीय घाटा एवं चालू खाते का घाटा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अमेरिका के कर्ज को बढ़ाता है। फलस्वरूप अमेरिका द्वारा डालर की आपूर्ति करने की बजाय घरेलू स्तर पर डालर की खपत बढ़ जाती है, जो विश्व के उन देशों के लिए खतरा है, जिनका विदेशी मुद्रा भण्डार केवल डालर में है।

SDR को वैश्विक मुद्रा बनाने से किसी एक देश के अर्थव्यवस्था का प्रभाव सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा एवं मांग एवं आपूर्ति के मध्य एक संतुलन की स्थिति का निर्माण किया जा सकेगा। इससे विश्व के देश अपना विदेशी मुद्रा भण्डार डालर में रखने हेतु बाध्य नहीं होंगे एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव से विश्व को बचाया जा सकेगा। चूंकि SDR अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की ही उपज है एवं उन्हीं के संरक्षण से इसने एक मुद्रा विनिमय का रूप लिया। अतः डालर के प्रतिद्वंदी के रूप SDR को विश्व मुद्रा बनने का कार्य कठिन प्रतीत होता है।



विश्व बैंक समूह World Bank Group

विश्व बैंक समूह में मुख्यतः 5 अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जिनका मुख्य कार्य गरीब देशों को ऋण उपलब्ध कराना है। विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन (1944 ई.) के पश्चात् 1945 ई. में की गई। इसके द्वारा ही प्रतिवर्ष **वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट** तैयार किया जाता है। इसने 1946 ई. से कार्य करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में इसका कार्य युद्ध से क्षतिग्रस्त विश्व का पुनर्निर्माण करना था, परन्तु वर्तमान समय में यह विश्व के गरीब देशों को विकास कार्यों एवं गरीबी उन्मूलन के लिए ऋण उपलब्ध कराती है।

विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है तथा यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था के रूप में कार्य करता है, परन्तु इसकी संरचना में एक मुख्य अन्तर यह है कि विश्व बैंक संस्था का संचालन इसके सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया जाता है। सदस्य राष्ट्रों के वोटिंग अधिकार बैंक में उनकी शेरधारिता पर निर्भर करता है। धनी राष्ट्रों के वोटिंग अधिकार अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक होते हैं, जिसका मुख्य कारण उनके द्वारा दिया जाने वाला अत्याधिक धन है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जिमयांग किम हैं, जो एक दक्षिणी कोरियाई मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। पारम्परिक रूप से एक अमेरिकी ही विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है।

सामान्यतः यदि कोई राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो वह स्वतः ही विश्व बैंक का भी सदस्य बन जाता है। किसी भी सदस्य देश द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता का परित्याग करने पर उसकी बैंक की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। यह भी व्यवस्था है कि कोष के 75 प्रतिशत सदस्यों की सहमति से कोई भी सदस्य राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता त्यागने पर भी बैंक का सदस्य बना रह सकता है। कोई भी सदस्य राष्ट्र, निम्नलिखित आधार पर भी, बैंक की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है -

- 1) कोई भी सदस्य देश सूचना मात्र देकर बैंक की सदस्यता का परित्याग कर सकता है।
- 2) किसी भी सदस्य राष्ट्र द्वारा बैंक के नियमों एवं दायित्वों के प्रतिकूल कार्य करने पर गवर्नरमण्डल के प्रस्ताव द्वारा उसे हटाया जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भाँति इसके भी 2 प्रकार के सदस्य हैं - मौलिक एवं सामान्य सदस्य। इसके 30 मौलिक सदस्य हैं, जिन्होंने 31 दिसम्बर, 1945 तक विश्व बैंक की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भाँति विश्व बैंक का भी संस्थापक सदस्य देश है। जनवरी, 2017 तक विश्व बैंक के 189 सदस्य राष्ट्र हैं। इसका 189वां सदस्य देश नौरू है।

□ विश्व बैंक समूह की संस्थाएं

विश्व बैंक समूह में मुख्यतः 5 संस्थाएं हैं -

- 1) इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD)।
- 2) इंटरनेशनल डेवलपमेंट असोसिएशन (IDA)।
- 3) इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC)।
- 4) मल्टीनेशनल इनवेस्टमेंट गारंटी एजेंसी (MIGA)।
- 5) इंटरनेशनल सेन्टर फॉर सेटलमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट डिस्प्यूट्स (ICSID)।

वर्तमान में विश्व बैंक से आशय मुख्यतः IBRD एवं IDA से है। इनका मुख्य कार्य विकासशील देशों को मानव विकास (शिक्षा एवं स्वास्थ्य), कृषि एवं ग्रामीण विकास (सिंचाई एवं अन्य सहायता), पर्यावरण सुरक्षा (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियमिकरण), आधारभूत ढांचे का विकास (सड़क, रेल, बिजली, पानी आदि) और सरकारी कार्यक्रमों (विकास योजनाएं एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन) के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। दी जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर काफी कम होती है एवं कई गरीब देशों के लिए ऋण बिना ब्याज (ग्रान्ट) के भी दिया जाता है। जबकि IFC एवं MIGA द्वारा दिया ऋण निजी क्षेत्र एवं बीमा कंपनियों को दिया जाता है।

♦ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्सट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD)

सामान्य रूप से विश्व बैंक का तात्पर्य IBRD से ही समझा जाता है। यह विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाओं में से एक है, जिसका मुख्य कार्य द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् नष्ट हुए राष्ट्रों का पुनर्निर्माण एवं विकास कार्य के लिए धन उपलब्ध कराना था। वर्तमान में इसका मुख्य कार्य गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि के साधन बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। यह मुख्यतः मध्य-आय वाले देशों में पूंजी निवेश करती है एवं इनसे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर दिशा-निर्देश देती है।

♦ इंटरनेशनल डेवलपमेंट असोसिएशन (IDA)

इसकी स्थापना 1960 ई. में की गई, जिसका मुख्यकार्य निम्नतम आय वाले गरीब देशों को ऋण उपलब्ध कराना है। IDA के वर्तमान में 173 सदस्य हैं। यह विश्व के 80 प्रतिशत गरीब देशों को दीर्घकालिक ब्याजरहित ऋण उपलब्ध कराती है, जहां ऋण की अवधि 35 से 40 वर्ष होती है। गरीब देशों को दिया जाने वाला ऋण IDA के धनी सदस्य उपलब्ध कराते हैं। अतिरिक्त धन की प्राप्ति IBRD एवं IDA की आय से प्राप्त होती है। प्रत्येक 3 वर्षों में IDA के सदस्य ऋण की उपलब्धता पर चर्चा करते हैं। इसकी 15वीं बैठक में गरीब देशों के लिए 2008-2011 के बीच कुल 41.6 अरब अमेरिकी डालर की व्यवस्था की गई। IDA की 16वीं की बैठक में 2011-2014 के बीच 50 अरब अमेरिकी डालर की व्यवस्था की गई है। कुल 51 देशों ने ऋण अनुदान देने का वचन दिया।

♦ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC)

इसकी स्थापना 1956 ई. में हुई। IFC अपने सदस्य देशों में निजी संस्थागत निवेश को बढ़ावा देती है, विशेषकर विकासशील देशों में निवेश को महत्व दिया जाता है, जिससे उन्हें गरीबी कम करने एवं लोगों का जीवनस्तर सुधारने में मदद मिले। इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन में है। इसका मुख्य कार्य विकासशील देशों में रह रहे लोगों के जीवनस्तर को सुधारना है।

♦ मल्टीनेशनल इनवेस्टमेंट गारंटी एजेन्सी (MIGA)

इसकी स्थापना 1988 ई. में विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए की गई। इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन में है। MIGA द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जाता है -

- 1) Green Filed से जुड़े निवेश (Investment)।
- 2) लम्बे समय से चल रहे विकास कार्यक्रमों के स्वरूप को बढ़ाने, आधुनिक बनाने एवं वित्तीय कमी को पूरा करने के लिए निवेश।
- 3) सरकारी कंपनियों के निजीकरण के लिए निवेश (Privatization of State Enterprises)।

♦ इंटरनेशनल सेन्टर फॉर सेटलमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट डिस्प्यूट्स (ICSID)

इसकी स्थापना 1966 ई. में हुई, जिसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन में है। इसका एक प्रशासनिक विभाग होता है, जिसका प्रमुख विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है। ICSID का मुख्य कार्य विश्व बैंक के सदस्य देशों तथा निजी निवेशकर्ताओं के मध्य निवेश संबंधित मतभेदों को दूर करना तथा सुलाह कराना होता है।

□ भारत एवं विश्व बैंक

भारत एवं विश्व बैंक का आपसी सहयोग 1945 ई. से प्रारंभ हुआ। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत विगत 70 वर्षों (1945-2015) में बैंक से सर्वाधिक ऋण (92.1 बिलियन डॉलर) प्राप्त करने वाला देश है। यह ऋण दीर्घकालिक अवधि के लिए दिया गया है, जो सामान्यतः 35 से 40 वर्ष बाद देय होता है एवं इस ऋण पर 10 वर्ष की अतिरिक्त अवधि प्रदान की जाती है। ऋण की वार्षिक ब्याज दर लगभग 0.75 प्रतिशत होती है। इस प्रकार का ऋण भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपर्युक्त है।

विश्व बैंक द्वारा भारत को सर्वशिक्षा अभियान, स्वास्थ्य सेवा मिशन, कृषि विकास व सिंचाई, बिजली, प्राकृतिक गैस, सड़क आदि परियोजनाओं के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार को प्राप्त यह ऋण विश्व के सबसे कम ब्याज दरों पर प्राप्त ऋणों में से एक है, इससे भारत को गरीबी हटाने, कम दर पर आवास उपलब्ध कराने एवं मानव विकास सूचकांक में अपनी स्थिति सुधारने में मदद मिलती है।

बिहार में कौसी नदी प्रोजेक्ट (बाढ़ रोकथाम) एवं गंगा सफाई अभियान में भारत को विश्व बैंक का सहयोग प्राप्त है। वैश्विक मंदी के दौरान भी घरेलू स्तर पर सुधार के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत को 3 अरब अमेरिकी की सहायता प्रदान की गई। इसमें से 2 अरब डालर सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों को उनके वित्त की कमी को दूर करने एवं दिए जाने वाले ऋण को बढ़ाने के लिए दिए गए हैं।

फरवरी, 2017 में 201.50 मिलियन डॉलर की ऋण योजना पर भारत व विश्व बैंक के मध्य हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके द्वारा भारत के 200 इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाएगा। 2 फरवरी, 2017 को ही विश्व बैंक समूह के द्वारा भारत के MSME (Micro Small and Medium Enterprises) क्षेत्र के लिए तीव्र गति से पूंजी आपूर्ति हेतु समझौता किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को उनकी चलित संपत्ति के आधार पर ऋण प्रदान करने की योजना लागू की जाएगी।

वर्तमान में भारत IBRD का 7वां सबसे बड़ा शेयरधारक सदस्य देश है, जिसकी वोटिंग शक्ति 3.02 प्रतिशत है। क्षेत्रीयता (बांग्लादेश, भूटान व श्रीलंका) को जोड़ देने पर भारत की वोटिंग शक्ति 3.64 प्रतिशत हो जाती है। भारत के अलावा चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, मैक्सिको, तुर्की आदि विकासशील देशों के भी वोटिंग अधिकार उनकी क्षमता के अनुसार बढ़ाए गए हैं। चीन जर्मनी, फ्रांस एवं ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए बैंक में तीसरा सबसे बड़ा वोटिंग अधिकार प्राप्त करने वाला देश बन गया है। वर्तमान में इसके 4.59 प्रतिशत वोटिंग अधिकार हैं। समस्त विकासशील देशों का कुल वोटिंग अधिकार लगभग 50 प्रतिशत है। इससे साबित होता है कि अब विश्व बैंक में किए जा रहे सुधार में गरीब एवं विकासशील देशों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है।

□ विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अन्तर

| विश्व बैंक | अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष |
|--|---|
| 1) विश्व के गरीब देशों का आर्थिक विकास करना। | 1) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित नीति-निर्माण करना। |
| 2) विकासशील देशों को विकास कार्यों के लिए दीर्घावधि के ऋण प्रदान करना। | 2) अपने सदस्य देशों के मध्य मुद्रा के विनिमय को स्थिर एवं नियमित करना। |
| 3) अतिगरीब देशों, जिनकी प्रतिव्यक्ति आय 865 डॉलर प्रतिवर्ष से कम है, उन्हें IDA के तहत विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करना। | 3) अपने सदस्य देशों को भूगतान संतुलन की स्थिति में अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना। |
| 4) विकासशील देशों में अन्य देशों के निजी संस्थाओं को निवेश के लिए IFC के तहत प्रोत्साहित करना। | 4) SDR प्रदान कर सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भण्डार को सुदृढ़ करना। |
| 5) यह मुख्यरूप से धन अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार से प्राप्त करती है। | 5) यह मुख्यरूप से धन सदस्य देशों द्वारा कोटा अधिकार प्राप्त करने के लिए दिए गए धन से प्राप्त करती है। |
| 6) इसकी कुल अधिकृत पूंजी 184 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसका लगभग 10 प्रतिशत सदस्य द्वारा दिया जाता है। | 6) सभी सदस्यों के कोटे का कुल मूल्य SDR 145 अरब है, जो अमेरिकी डॉलर में लगभग 215 अरब है। |

एशियाई विकास बैंक Asian Development Bank

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 22 अगस्त, 1966 ई. को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपिन्स में है और इसके प्रतिनिधि कार्यालय पूरे विश्व में हैं। यह बैंक यू. एन. (UN) इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट (अब यूएनईएससीएपी – UNESCAP) और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करता है। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी, अब एडीबी के पास अब 67 सदस्य हैं – जिसमें से 48 एशिया पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं। एडीबी (ADB) का प्रारूप काफी हद तक वर्ल्ड बैंक के आधार पर बनाया गया था और वर्ल्ड बैंक के समान यहां भी भारित वोट प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें वोटों का वितरण सदस्यों के पूंजी अभिदान अनुपात के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों के ही पास शेयरों का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कुल का 12.756 प्रतिशत है।

□ संगठन

बैंक की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है जो प्रत्येक सदस्य देश के एक प्रतिनिधि के द्वारा बनी है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपने समूह में से 12 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके सहायक के रूप में चुनते हैं। इन 12 सदस्यों में से 8 सदस्य क्षेत्रीय सदस्यों (एशिया-पैसिफिक) से लिए जाते हैं, जबकि अन्य गैर-क्षेत्रीय सदस्यों में से होते हैं।

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बैंक के अध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी अध्यक्ष होता है और एडीबी (ADB) का प्रबंधन देखता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इसे पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। परंपरागत रूप से अब तक अध्यक्ष सदैव जापान से ही रहे हैं और यह संभवतः इसलिए भी है, क्योंकि जापान बैंक के सर्वाधिक बड़े शेयरधारकों में से है। वर्तमान अध्यक्ष ताकाहीको नकाओ हैं, जिन्होंने 2010 में हारुहिको कुरोदा से पदभार लिया था।

□ एडीबी (ADB) ऋण

एडीबी (ADB) ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेज (ओसीआर- सामान्य पूंजी संसाधन) से व्यापारिक शर्तों पर 'हार्ड' लोन देता है और एडीबी (ADB) से सम्बद्ध एशियन डेवलपमेंट फंड (एडीएफ) विशिष्ट कोष से रियायती दरों पर 'सॉफ्ट' लोन देती है। एडीबी (ADB) अन्तरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों (इंटरनैशनल कैपिटल मार्केट) से अपनी पूंजी की गारंटी पर ऋण लेती है।

2009 में, एडीबी ने अपनी सार्वजनिक पूंजी में 200 प्रतिशत की वृद्धि के पाँचवें सत्र के लिए सदस्यों से योगदान प्राप्त किया, यह जी-20 के नेताओं की उस संबोधन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किया गया था, जिसमें उन्होंने बहुपक्षीय बैंकों के संसाधन में वृद्धि की बात की थी, जिससे कि वैश्विक वित्त संकट के इस समय में विकासशील देशों के विकास को सहायता मिल सके। 2010 ई. और 2011 ई. के लिए 200 प्रतिशत की जी. सी. आई. द्वारा 2010 ई. में 12.5-13.0 अरब डॉलर और 2011 ई. में 11.0 अरब डॉलर का ऋण दे पाना संभव हो सका। इस वृद्धि के साथ बैंक का पूंजी आधार 55 अरब डॉलर से बढ़कर तिगुना, अर्थात् - 165 अरब डॉलर हो गया।

• एडीबी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को दिए ऋण

- अफगान डायस्पोरा परियोजना।
- थाईलैण्ड में दक्ष श्रमिकों को लाने के लिए उताह स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित परियोजनाएं के लिए वित्त पोषण।
- इंडोनेशिया में भूकम्प और सुनामी के लिए आपातकालीन सहायता परियोजना।
- ग्रेटर मेकांग उप क्षेत्रीय कार्यक्रम।
- आरओसी पिंग हू ऑफशोर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट।
- फिलीपींस में नगरीय गरीबी उन्मूलन हेतु निजी क्षेत्र के साथ कूटनीतिक भागीदारी।
- ट्रांस अफगानिस्तान गैस पाइप लाइन फीजिबिलिटी एसेसमेंट।

- पकिस्तान में आसन्न आर्थिक संकट से बचाने के लिए 1.2 अरब डॉलर का ऋण दिया गया, जिससे उसकी बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार वित्त पोषण हो सका।
- सरकार के संयोजन से निजी संस्थाओं को सूक्ष्म वित्त सहायता, जिसमें भारत और पाकिस्तान शामिल थे।

□ एडीबी एवं भारत

वर्षों से एडीबी भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराता रहा है। यह सहायता ऋण के साथ-साथ तकनीकी रूप में भी उपलब्ध रही है। 2009 ई. में भी एडीबी ने भारत में प्रस्तावित परियोजना के लिए 2.9 अरब डॉलर के योजनागत कोष को मंजूरी दे दी थी। जून, 2015 एडीबी के अध्यक्ष ताकाहीको नकाओ ने 7-9 अरब डालर का ऋण भारत में मूलभूत ढांचे के विकास, रेल एवं सड़क परियोजना, युवाओं में कौशल वृद्धि, रोजगार बढ़ाने के अवसर आदि के लिए स्वीकृत किया। बैंक के अनुसार भारत भविष्य में 9-10 प्रतिशत वार्षिक जी. डी. पी. वृद्धि दर को प्राप्त कर सकता है। भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम में विश्वास व्यक्त करते हुए एडीबी ने भारत को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक सुधार कार्यक्रमों को जल्द से जल्द पूरा करने का सुझाव दिया। एडीबी द्वारा भारत में संचालित प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं -

- 1) मध्य प्रदेश में पारगमन तंत्र के विस्तार और उसे मजबूत बनाने के लिए प्रोजेक्ट को दिसम्बर, 2016 में मंजूर दी गई।
- 2) मध्य प्रदेश में कौशल विकास प्रोजेक्ट को ऋण उपलब्ध कराने हेतु 1 दिसम्बर, 2016 को मंजूरी दी गई।
- 3) स्मार्ट सिटी मिशन हेतु ऋण उपलब्ध कराने हेतु दिसम्बर, 2016 को मंजूरी दी गई।
- 4) भारत के नगरों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऋण प्रदान करना।
- 5) हरित ऊर्जा के लिए विभिन्न राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग देना।

□ आलोचना

एडीबी (ADB) के शुरुआती दिनों से ही आलोचक, 2 प्रमुख प्रदाताओं जापान और संयुक्त राज्य पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वह व्यापक स्तर पर ऋण देने, नीतियों और कर्मचारियों की भर्ती से सम्बंधित निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया ने स्थानीय समुदायों के प्रति गैर-संवेदनात्मक रवैये के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की आलोचना की है। “वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हुए ये बैंक, गरीबों और अधिकारहीन समुदाय के प्रति अपर्याप्त परिणाम और शोचनीय परियोजनाओं के माध्यम से लोगों के मानव अधिकारों को कमजोर समझते हैं।” बैंक को संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय कार्यक्रम की ओर से भी आलोचना मिली, जिसने एक रिपोर्ट में कहा “घटित विकास में ग्रामीण जनसंख्या के 70 प्रतिशत से भी अधिक भाग की उपेक्षा की है, जिसमें से अधिकांश अपनी आय व जीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं।”

यह आलोचना भी की गयी है कि एडीबी (ADB) की वृहत स्तरीय परियोजनाएं दूरदर्शिता की कमी के कारण सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति पहुंचाती हैं। एडीबी (ADB) से सम्बंधित परियोजनाओं में एक सर्वाधिक विवादित परियोजना थाईलैण्ड का मे मोह कोयला-चालित पावर स्टेशन रहा है। पर्यावरणीय और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि एडीबी (ADB) की पर्यावरणीय सुरक्षा नीति और साथ ही साथ मूल निवासियों और अनैच्छिक रूप से व्यवस्थित लोगों के सम्बन्ध में नीतियां, कागजों में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती हैं, लेकिन प्रायः अभ्यास के दौरान उनका पालन नहीं किया जाता है, वे प्रभावकारी हो पाने की दृष्टि से बहुत ही अस्पष्ट और कमजोर होती हैं, या सीधे शब्दों में, बैंक के अधिकारियों द्वारा उन्हें लागू ही नहीं किया जाता है।

अन्न संकट के सम्बन्ध में इसकी भूमिका और औचित्यता के लिए भी बैंक की निंदा की गई है। नागरिक सभा द्वारा एडीबी (ADB) पर यह आरोप लगाया है कि उसने संकट के सम्बन्ध में दी गई चेतावनियों की अनदेखी की है और अनेक लोगों के विचार में बैंक ने ऋण की शर्तों को जानबूझ कर ऐसा कर दिया है कि राष्ट्रीय सरकारें कृषि क्षेत्र के निजीकरण और विनियमन के लिए विवश हो गई, जिससे अन्य समस्याओं को जन्म मिला, जैसे - दक्षिण-पूर्व एशिया में चावल की आपूर्ति में आई कमी, इस प्रकार बैंक ने संकट पैदा करने में योगदान ही किया है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन - दक्षेस

South Asian Association of Regional Co-Operation - SAARC

□ परिचय

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association of Regional Co-Operation) की स्थापना 7 व 8 दिसम्बर, 1985 ई. को ढाका (बांग्लादेश) में की गई। इसकी स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1981 ई. में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान ने किया था।

प्रारंभ में दक्षेस का मुख्यालय ढाका में था एवं इसके संस्थापक देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका व मालदीव थे। वर्तमान में इसका मुख्यालय काठमाण्डू में है और 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान ने 2007 ई. में सदस्यता ग्रहण की। इसके पर्यवेक्षक देश ऑस्ट्रेलिया, जापान, ईरान, मॉरीशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, चीन, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका आदि हैं। इसकी स्थापना दक्षिण एशियाई देशों के मध्य आपसी व्यापार, शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के उद्देश्य से की गई थी।

□ शिखर सम्मेलन

1st शिखर सम्मेलन - ढाका (1985 ई.)।

अध्यक्ष - एच. एम. इरशाद (बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति)।

भारत का प्रतिनिधित्व - राजीव गांधी (तत्कालीन प्रधानमंत्री)।

19th शिखर सम्मेलन - इस्लामाबाद (नवम्बर, 2016)।

भारत में हुए उड़ी हमले के कारण भारत सहित अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं मालदीव ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था।

□ उद्देश्य

सार्क चार्टर के अनुच्छेद-1 में इसके निम्नलिखित उद्देश्यों की व्याख्या की गई है -

- 1) सदस्य राष्ट्रों के लोगों के कल्याण को प्रोत्साहन देना तथा उनके जीवनस्तर में सुधार करना।
- 2) क्षेत्र में आर्थिक प्रगति, सामाजिक उन्नति एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना।
- 3) सदस्य राष्ट्रों में सामूहिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करना।
- 4) पारस्परिक विकास एवं समस्याओं को समझने में सहयोग देना।
- 5) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- 6) अन्य विकासशील देशों के सहयोग को मजबूत करना।
- 7) अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर सामान्य हित के मामलों में सहयोग करना।
- 8) समान लक्ष्य एवं उद्देश्यों वाले अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों का सहयोग करना।

□ सिद्धान्त

सार्क चार्टर के अनुच्छेद-2 में निम्नलिखित सिद्धान्तों की व्याख्या की गई है -

- 1) सार्क के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग - सम्प्रभुता का सम्मान, प्रादेशिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप तथा पारस्परिक लाभ के सिद्धान्तों पर आधारित होगा।
- 2) ऐसा क्षेत्रीय सहयोग द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग का स्थान नहीं लेगा, बल्कि उसका पूरक होगा।
- 3) ऐसा क्षेत्रीय सहयोग द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय उत्तरादायित्वों के विरुद्ध नहीं होगा।
- 4) अनुच्छेद-3 के अनुसार, सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि वर्ष में एक बार अवश्य मिलेंगे।
- 5) अनुच्छेद-4 के अनुसार सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे तथा द्विपक्षीय व विवादास्पद मामले सम्मेलन से दूर रखे जाएंगे।

इस प्रकार सार्क के उद्देश्य एवं सिद्धान्त स्पष्ट एवं व्यापक हैं। इसकी क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। सार्क देशों में 1.5 अरब से ज्यादा लोग निवास करते हैं। इस दृष्टि से यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला संगठन है। हालांकि यह क्षेत्र प्राकृतिक साधनों, जनशक्ति एवं प्रतिभा से भरपूर है। फिर भी सार्क देशों की जनता कई समस्याओं से पीड़ित है। सार्क के सदस्य राष्ट्रों में भी कई द्विपक्षीय विवाद हैं।

□ सार्क देशों की समस्याएं एवं सार्क की सफलता में बाधाएं

सार्क देशों की समस्याओं को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत देखा जा सकता है -

♦ राजनीतिक समस्याएं

राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रों के मध्य अविश्वास, भारत को छोड़कर अन्य राष्ट्रों में वास्तविक लोकतंत्र का अभाव, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, शरणार्थियों की समस्या, सीमा विवाद, हथियारों की होड़, परमाणु प्रसार का खतरा, सदस्य राष्ट्रों का बढ़ता हुआ रक्षा व्यय, द्विपक्षीय विवाद आदि।

1) द्विपक्षीय विवाद

| | |
|---------------------------|--|
| भारत - पाक के मध्य | - कश्मीर विवाद एवं आतंकवाद का प्रश्न। |
| भारत - बांग्लादेश के मध्य | - चकमा शरणार्थी समस्या, तीस्ता नदी विवाद एवं न्यू मूर द्वीप का प्रश्न। |
| भारत - श्रीलंका के मध्य | - सिंहली - तमिल विवाद। |
| भारत - नेपाल के मध्य | - मधेशी, व्यापार व पारगमन संधि विवाद। |
| नेपाल - भूटान के मध्य | - नेपाल में भूटान से आए शरणार्थियों का प्रश्न। |

राजनीतिक विवादों के निराकरण में राष्ट्रों की आन्तरिक शक्तियों का हस्तक्षेप भी बना रहता है। उदाहरणार्थ - भारत व बांग्लादेश के मध्य विवादों के निराकरण में पश्चिम बंगाल सरकार का हस्तक्षेप, भारत व श्रीलंका के मध्य विवादों के निराकरण में तमिलनाडू सरकार का हस्तक्षेप, भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादों के निराकरण में आईएसआई का हस्तक्षेप आदि।

♦ आर्थिक समस्याएं

जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, भ्रष्टाचार, अन्तर्राष्ट्रीय कर्ज का बोझ, विदेशी शक्तियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आदि।

♦ सामाजिक समस्याएं

मादक पदार्थों की तस्करी, महिलाओं व शिक्षा का निम्न स्तर, उच्च मातृत्व व बाल मृत्यु दर, जाति व प्रजाति संघर्ष आदि।

♦ सांस्कृतिक समस्याएं

संस्कृति की असुरक्षा, धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद, साम्प्रदायिकता आदि।

इस प्रकार सार्क देशों में कई गंभीर समस्याएं एवं पारस्परिक विवाद हैं। इन समस्याओं के निराकरण हेतु एवं आपसी सहयोग व समन्वय की स्थापना हेतु सार्क राष्ट्रों में वार्षिक सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, जिनमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

□ क्षेत्रीय सहयोग व सुरक्षा को प्रोत्साहित करने में सार्क की भूमिका

1985 ई. में अपनी स्थापना के समय से ही सार्क के माध्यम से सदस्य राष्ट्रों ने क्षेत्र की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समस्याओं के निदान हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, जैसे -

♦ राजनीतिक समस्याओं के निदान में

राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक समस्याओं के समाधान में सार्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके विभिन्न शिखर सम्मेलनों में आतंकवाद को रोकने हेतु आम सहमति बनी है। 1987 ई. में काठमाण्डू में आयोजित पांचवें सार्क सम्मेलन में 'आतंकवाद निरोधक समझौता' सम्पन्न हुआ था। हालांकि पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के कारण इसे पूर्णतः लागू नहीं किया जा सका है।

इसी प्रकार समय-समय पर सार्क सम्मेलनों में शरणार्थी कानूनों के अनुपालन, परमाणु हथियारों के अप्रसार, परमाणु संयंत्रों पर अनाक्रमण एवं लोकतांत्रिक आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

जहां तक द्विपक्षीय विवादों का प्रश्न है, सार्क के चार्टर के अनुसार इसके शिखर सम्मेलनों में द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठाए जा सकते हैं। इसके बावजूद शिखर सम्मेलनों के अवसर पर ही द्विपक्षीय वार्ता हेतु साझा मंच बनाने पर सहमति बनी है। साथ ही सार्क के अन्तर्गत ही एक सलाहकार समिति गठित करने पर विचार किया जा रहा है, जो द्विपक्षीय विवाद पर विचार कर सकेगी तथा समाधान सुझा सकेगी।

♦ आर्थिक समस्याओं के निदान में

विभिन्न सार्क शिखर सम्मेलनों में सदस्यों राष्ट्रों द्वारा कुपोषण, भूखमरी, गरीबी उन्मूलन, अधोसंरचनात्मक विकास हेतु साझा पूंजी निवेश, विदेशी ऋणभार घटाने हेतु समझौते हुए हैं। कुपोषण एवं भूखमरी के निदान हेतु 1987 ई. में काठमाण्डू में आयोजित तीसरे सार्क सम्मेलन में 'सामूहिक खाद्य सुरक्षा भण्डार' बनाने का निर्णय लिया गया था। इस खाद्य सुरक्षा भण्डार में वर्तमान में 2 लाख 43 हजार मीट्रिक टन अनाज का भण्डार है, जिसमें भारत ने सर्वाधिक 1 लाख 53 हजार टन खाद्यान्न का योगदान दिया है।

गरीबी उन्मूलन हेतु 2005 ई. में ढाका में आयोजित तेरहवें सार्क सम्मेलन में 'गरीबी उन्मूलन कोष' का गठन किया गया है। इसी प्रकार सार्क देशों की परियोजनाओं में साझा पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु 1996 ई. में 'दक्षिण एशियाई विकास कोष' की स्थापना की गई है। 30 करोड़ की राशि वाले इस कोष में सर्वाधिक योगदान (1/4) भारत का है।

ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु श्रीलंका में 'सार्क उर्जा केन्द्र' स्थापित किया गया है। साथ ही 'दक्षिण एशिया उर्जा फोरम' का गठन किया जा रहा है।

सार्क राष्ट्रों द्वारा आर्थिक सहयोग स्थापित करने हेतु 2004 ई. में इस्लामाबाद में आयोजित बारहवें सार्क सम्मेलन में 'साफ्टा' (SAFTA - South Asia Free Trade Agreement) पर सहमति बनी, जिसे 1 जुलाई, 2006 ई. से लागू कर दिया गया है। साफ्टा के प्रावधानों के अन्तर्गत सार्क के विकसित राष्ट्रों (भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान) द्वारा 2013 तक तथा अल्पविकसित राष्ट्रों (बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान) द्वारा 2016 तक अपने व्यापार शुल्क में कटौती कर इसे 0 - 5 % तक लाया जाएगा।

सार्क देशों की आर्थिक समस्याओं को दूर करने में साफ्टा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, परन्तु साफ्टा को पूर्णतः लागू नहीं किया जा सका है। वर्तमान में सार्क के सदस्य राष्ट्रों का आपसी व्यापार उनके कुल व्यापार का मात्र 6 % है। वहीं यूरोपीय यूनियन एवं आसियान के सदस्य राष्ट्रों का आपसी व्यापार उनके कुल व्यापार का क्रमशः 60 % व 25 % है। अतः क्षेत्रीय हित में यह आवश्यक है कि सार्क के सदस्य राष्ट्रों द्वारा यूरोपीय यूनियन एवं आसियान से प्रेरणा लेते हुए आपसी द्विपक्षीय विवादों को परे रख साफ्टा के प्रावधानों को लागू किया जाए।

♦ सामाजिक समस्याओं निदान में

सार्क देशों ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु 1990 ई. में माले में आयोजित पांचवें शिखर सम्मेलन में 'तस्करों के प्रत्यर्पण हेतु समझौता' किया गया है। इसी प्रकार 1998 ई. में कोलम्बो में आयोजित दसवें शिखर सम्मेलन में 'बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण हेतु सामाजिक चार्टर' को स्वीकार किया गया है।

सार्क देशों में स्वास्थ्य समस्याएं जैसे - मातृत्व व शिशु मृत्यु दर, गंभीर बीमारियों आदि के निदान हेतु भारत की पूर्णतः आर्थिक मदद से माले (मालदीव) में अत्याधुनिक इन्दिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल की स्थापना की गई है। साथ ही काठमाण्डू में 'सार्क तपेदिक केन्द्र' स्थापित किया गया है।

सार्क, जो कि जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, में मानव संसाधन के विकास हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 'सार्क मानव संसाधन विकास केन्द्र' की स्थापना की गई है।

सार्क के सदस्य राष्ट्रों में शिक्षा के विस्तार हेतु 2007 ई. में दिल्ली में आयोजित चौदहवें शिखर सम्मेलन में 'सार्क विश्वविद्यालय' के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यह विश्वविद्यालय 2010 से प्रारंभ हो गया है।

♦ सांस्कृतिक समस्याओं के निदान में

सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु 1990 ई. में माले में आयोजित 5वें शिखर सम्मेलन में 'सार्क महोत्सव' मानाने का निर्णय लिया गया था। श्रीलंका में 'सार्क सांस्कृतिक केन्द्र' तथा दिल्ली में 'सार्क संग्रहालय' की स्थापना की गई है। इसी प्रकार सार्क राष्ट्रों में समय - समय पर युवा अदान - प्रदान कार्यक्रम, सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिल्मोत्सव कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त सार्क के विभिन्न शिखर सम्मेलनों में वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु सामूहिक प्रयास पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सदस्य राष्ट्रों के मध्य पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वीजा शर्तों को सरल बनाया जा रहा है। यहां तक की भारत, नेपाल, भूटान की आपसी यात्रा को वीजा मुक्त रखा गया है। प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं से बचाव हेतु दिल्ली में 'आपदा प्रबंधन केन्द्र' की स्थापना की गई है। इसी प्रकार कृषि में अनुसंधान हेतु ढाका में 'सार्क कृषि केन्द्र' एवं 'मौसम विज्ञान अनुसंधान केन्द्र' स्थापित किया गया है।

□ समीक्षा एवं सुझाव

यद्यपि इस उपमहाद्वीप क्षेत्र का इतिहास व भूगोल कुछ ऐसा है कि सार्क राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक मतभेद निकट भविष्य में समाप्त होते नहीं दिखाई देते। पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के कारण कई बार (ग्यारहवां शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में तख्तापलट के कारण) सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित करने पड़े हैं। उसी प्रकार वर्तमान में भी सार्क राष्ट्रों में गरीबी, मानव विकास, शिशु मृत्यु दर, भ्रष्टाचार की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसके प्रमाण के रूप में विश्व निर्धनता सूचकांक, विश्व मानव विकास रिपोर्ट, शिशु मृत्यु दर पर UNO रिपोर्ट एवं ट्रांसपिरेन्सी इंटरनेशनल रिपोर्ट के आँकड़े देखे जा सकते हैं।

सार्क की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि सार्क के मंच से राजनीतिक विवादों को अलग रखते हुए इसका उपयोग आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु किया जाए। राष्ट्रों को आपसी झगड़ों को दरकिनार कर आतंकवाद का विरोध एवं साफ्टा को प्रभावी तरीके से लागू करना होगा। साथ ही सदस्य राष्ट्रों द्वारा व्यापार हेतु समान मुद्रा एवं पर्यटन हेतु मुफ्त वीजा की व्यवस्था स्थापित करनी होगी।

□ भारतीय परिप्रेक्ष्य में सार्क की प्रासंगिकता

सार्क की सफलता में भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि सदस्य राष्ट्रों में भारत जनसंख्या, क्षेत्रफल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं तकनीक में अग्रणी राष्ट्र है। सार्क की मजबूती से भारत को निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं -

- 1) भारत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों के लीडर के रूप में मजबूती से कार्य कर सकेगा।
- 2) आतंकवाद जैसी समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा।
- 3) भारत सार्क के अन्य राष्ट्रों के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकेगा।
- 4) भारत अपनी प्रौद्योगिकी का निर्यात कर सकेगा, जिससे व्यापार में वृद्धि और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।
- 5) विभिन्न प्राकृतिक समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा।

उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए भारत इस क्षेत्र में शांति व सौहार्द की स्थापना हेतु तथा अपने द्विपक्षीय विवादों को सुलझाने हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। भारत के सकारात्मक रूख का ही परिणाम है कि दक्षिण राष्ट्रों में कई विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं, जिनमें भारत ने अरबों रुपए की पूंजी निवेश की है। सार्क के 18वें शिखर सम्मेलन में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सार्क की मजबूती हेतु साफ्टा के क्रियान्वन, संचार व यातायात के साधनों के विकास तथा एकीकृत उपग्रह प्रणाली स्थापित करने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

□ निष्कर्ष

इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सार्क के सदस्य राष्ट्रों के समस्याओं के निदान में एवं इस क्षेत्र की शांति व समृद्धि की स्थापना में सार्क की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आवश्यकता अपने सीमित हितों से ऊपर उठ क्षेत्रीय हितों में सोचने एवं सामान्य हित में कार्य करने की है।

सार्क स्पीकर्स समिट

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 17 से 19 फरवरी, 2017 के दौरान सार्क स्पीकर्स का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में 'म्यांमार' तथा सार्क के 8 सदस्य देशों के संसद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सम्मिलित हुए। सम्मेलन की अध्यक्षता भारत की संसद स्पीकर सुमित्रा महाजन ने की। इस सम्मेलन में प्रमुख रूप से आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया तथा सभी ने इसकी समाप्ति के लिए एकजुट कार्य करने की बात कही। इस सम्मेलन में महिला-पुरुष समानता, जलवायु परिवर्तन के संकट का निराकरण, सतत् विकास आदि पर भी चर्चा हुई।

सम्मेलन में सभी देश मिलकर सम्पूर्ण क्षेत्र की खुशहाली एवं शांति के लिए कार्य करें, जिसके लिए सार्क देशों के पास मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग आवश्यक है। सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने महिला-पुरुष समानता के मुद्दे पर कहा कि 17वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं को शिक्षा एवं सम्पत्ति का अधिकार दिलवाया एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यन्त सराहनीय है, जिसके कारण वे लोगों के मन-मस्तिष्क में बसी हुई हैं।

□ सम्मिलित अतिथिगण

इस सम्मेलन में अन्तरसंसदीय संघ के अध्यक्ष साबिर चौधरी, अफगानिस्तान के नेशनल असेम्बली के स्पीकर अब्दुल रऊफ इब्राहिम, बांग्लादेश की स्पीकर डॉ. शिरीन शर्मिन चौधरी, भूटान के नेशनल असेम्बली के स्पीकर जिग्मे जांगपो एवं डीप्टी चेरपरसन सेरिंग दोरजी, श्रीलंका की संसद के स्पीकर कारू जयसूर्या, मालदीव की संसद के स्पीकर अब्दुला मोहम्मद तथा नेपाल की संसद के अध्यक्ष ओनसारी घरती शामिल हुए।

□ सम्मेलन स्थल - इंदौर

विगत कुछ में भारत में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन अधिकांशतः दिल्ली एवं आगरा जैसे बड़े शहरों में किया जाता रहा है। इस संदर्भ में विभिन्न देश के प्रतिनिधियों का कहना था कि हम आपके देश कुछ शहरों तक ही सीमित रह जाते हैं, इसलिए बैठकों का आयोजन दिल्ली से अलग स्थान पर भी होना चाहिए, ताकि हम भारत की सांस्कृतिक व प्राकृतिक विविधता व पर्यटन से भी परिचित हो सकें।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने इस तरह के आयोजन अलग-अलग स्थानों पर करने का निर्णय लिया। इससे स्थानीय अधिकारियों को भी ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों का अनुभव प्राप्त हो सकेगा। उदारणार्थ - इंदौर में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाना तथा आमंत्रित अतिथियों को प्रशासन के द्वारा उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, माण्डू आदि पर्यटन स्थानों पर भी ले जाया गया।

□ इंदौर घोषणा-पत्र

विश्व की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाने वाले दक्षिण एशिया में गरीबी-भूखमरी, जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग न कर पाना, लचर प्रशासनिक व्यवस्था जैसी कई समस्याएं मौजूद हैं तथा इनके समाधान के लिए एकजुट होकर गंभीर प्रयास का आभाव देखा गया है। इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु अन्तरसंसदीय सम्मेलन में 'इंदौर घोषणा-पत्र' जारी किया गया, जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं -

- 1) विकास लक्ष्यों प्राप्त करने के लिए सदस्य देशों के निवासियों को आपसी सहयोग के द्वारा सतत् विकास की ओर ले जाना।
- 2) दक्षिण एशिया में गरीबी उन्मूलन, लैंगिक भेदभाव, अपर्याप्त क्षेत्रीय सम्पर्क, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।
- 3) दक्षिण एशियाई देशों को सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को एक-दूसरे से जोड़कर एक ही मंच पर लाना होगा, जिससे उनके उपायों का क्रियान्वयन समन्वित रूप से किया जा सकेगा।
- 4) विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना होगा।
- 5) दक्षिण एशियाई देशों के नागरिकों का आपस में सम्पर्क बढ़ाने के लिए व्यापार, परिवहन, टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करना होगा।
- 6) सतत् विकास के माध्यम से संसाधनों के बेहतर प्रयोग पर बल देना होगा।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय संघ

European Economic Community & European Union

यूरोपीय संघ विश्व में क्षेत्रीय एकीकरण का सफलतम उदाहरण है। 1950 से लेकर अब तक इसका क्रमिक विकास हुआ है। इस क्षेत्रीय सहयोग की शुरुआत का मुख्य कारण निरन्तर आन्तरिक युद्धों से ग्रस्त यूरोप को अशान्ति से मुक्ति दिलाना था। इन युद्धों की परिणति द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखने में आई। इसकी शुरुआत 6 देशों - बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्जेमबर्ग तथा नीदरलैण्ड्स द्वारा 1950 में यूरोपीय कोल एण्ड स्टील समुदाय की स्थापना से हुई। इस समुदाय के कार्यक्षेत्र का विस्तार 1957 की रोम सन्धि द्वारा किया गया, जब यूरोपियन आर्थिक समुदाय (European Economic Community) की स्थापना की गई।



लिस्बन सन्धि द्वारा निर्माकित 5 विषय यूरोपीय संघ के विशेषीकृत क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) में रखे गए-

- 1) कस्टम यूनियन का संचालन
- 2) आन्तरिक बाजारों के लिए प्रतियोगिता सम्बन्धी नियमों का निर्धारण
- 3) सदस्य राष्ट्रों की मौद्रिक नीति
- 4) सामान्य मत्स्यपालन नीति तथा समुद्री जैविक संसाधनों का संरक्षण
- 5) सामान्य व्यापारिक नीति

वर्तमान में यूरोपीय संघ के कार्य का निष्पादन उसकी 7 आधार भूत संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं -

- 1) **यूरोपीय संसद** - यह यूरोपीय संघ का विधायी अंग है, जिसमें 751 सदस्य देशों की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
- 2) **कॉउन्सिल ऑफ यूरोपियन यूनियन** - इसमें सदस्य देशों के मंत्री भाग लेते हैं। यह संसद के साथ मिलकर संघ के कानूनों का निर्माण करती है।
- 3) **यूरोपीय आयोग** - यह संघ का कार्यकारी अंग है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश से एक सदस्य नामित होता है।
- 4) **यूरोपीय कॉउन्सिल** - यह संघ का सहायक कार्यकारी अंग है।
- 5) **यूरोपीय सेण्ट्रल बैंक** - यह संघ का केन्द्रीय बैंक है।
- 6) **यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडीटर्स** - यह संघ के वित्तीय मामलों का नियंत्रक अंग है।
- 7) **यूरोपीय न्यायालय** - यह संघ का न्यायिक अंग है।

□ यूरोपीय संघ सुधार सन्धि (लिस्बन सन्धि)

यूरोपीय संघ (EU) में निर्णय प्रक्रिया में सुधार हेतु एक महत्वपूर्ण सन्धि (लिस्बन सन्धि) पर सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर लिस्बन में किए थे। इस सन्धि के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं -

- 1) यूरोपीय संघ में 6-6 माह की चक्रीय क्रमानुसार अध्यक्षता के स्थान पर 2.5-2.5 वर्ष के कार्यकाल वाले अध्यक्ष का प्रावधान इसमें किया गया है।
- 2) यूरोपीय संसद में सर्वसम्मति से पारित होने की आवश्यकता वाले मुद्दों की संख्या घटाई गई है। इससे सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपेक्षाकृत कम मुद्दों पर वीटो किया जा सकेगा।
- 3) यूरोपीय संसद के आकार को छोटा करते हुए सदस्य राष्ट्रों को मतों का आवंटन इन राष्ट्रों की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। छोटे राष्ट्रों को इससे कोई नुकसान न हो, इसके लिए इस प्रावधान को 2014 के बाद लागू किया जाएगा।

4) सदस्य राष्ट्रों की कॉमन विदेशी नीति एवं सुरक्षा नीति सुनिश्चित करने के लिए विदेशी मामलों के प्रमुख का पद अधिक मजबूत किया जाएगा ।

□ ब्रेग्जिट (Brexit)

यूनाइटेड किंगडम द्वारा 23 जून, 2016 को कराए गए जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ से बाहर हो जाने के निर्णय को ब्रेग्जिट कहा जाता है। जो Britain के Br तथा exit के exit से मिलकर बना है। यूके में कराए गए जनमत संग्रह में 71.8 प्रतिशत (लगभग 30 मिलियन) लोगों ने भाग लिया। क्षेत्रीय स्तर पर जनमत संग्रह का परिणाम विखण्डित रहा।

जहां इंग्लैण्ड ने 46.6 प्रतिशत के मुकाबले 53.4 प्रतिशत लोगों ने यूरोपीय संघ से बाहर हो जाने का समर्थन किया, वहीं वेल्स में 52.5 प्रतिशत मतदाता यूरोपीय संघ छोड़ने के पक्षधर थे। लेकिन उत्तरी आयरलैण्ड (55.8 प्रतिशत) तथा स्कॉटलैण्ड (62 प्रतिशत) ने यूके को यूरोपीय संघ का सदस्य बने रहने का समर्थन किया।

इस परिणाम के बाद यूके के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। गृहमंत्री थेरेसा मे ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अधिकृत रूप से यूरोपीय संघ से यूके के अलग होने की प्रक्रिया लिस्बन सन्धि के अनुच्छेद 50 के तहत सदस्यता त्यागने तथा यूरोपीय संघ के बीच सदस्यता त्यागने की शर्तों पर 2 वर्ष के भीतर सहमति बन जाने पर प्रारम्भ होगी। यूके की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने संकेत दिया है कि यह प्रक्रिया मार्च, 2017 के अन्त तक प्रारम्भ हो सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मार्च, 2019 तक यूके औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा।



ब्रिक्स BRICS

क्षेत्रीय सहयोग के स्थापित संगठनों में ब्रिक्स नवीनतम है, जिसकी स्थापना मई, 2008 ई. में रूस के शहर येकतेरिनर्ग (Yekaterinburg) में हुई। उस समय इसका नाम ब्रिक था, जो इसके 4 सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत एवं चीन के नाम के प्रथम अक्षरों से लिखा गया था। 2010 ई. में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के पश्चात् यह 5 देशों का क्षेत्रीय संगठन बन गया, परन्तु तकनीकी रूप से यह क्षेत्रीय संगठन नहीं है, क्योंकि इसके सदस्य देश अलग-अलग महाद्वीपों से आते हैं। ब्रिक्स में ब्राजील दक्षिण अमेरिका, रूस यूरोप, भारत व चीन एशिया तथा दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप से आते हैं।

ब्रिक्स देशों में दुनिया की GDP का 30 प्रतिशत और दुनियाभर के व्यापार का 18 प्रतिशत हिस्सा है। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। ब्रिक्स के सभी सदस्य विकासशील या फिर नवोदित औद्योगिक देश हैं। रूस एक प्रकार से अपवाद है, क्योंकि वह अन्य सदस्यों से अधिक विकसित व औद्योगिक देश है, इसीलिए वह जी-8 का भी सदस्य था। ब्रिक्स की सामूहिक जनसंख्या लगभग 3 अरब है। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हूजिंताओ ने ब्रिक्स देशों को विकासशील देशों के रक्षक और प्रोत्साहनकर्ता की संज्ञा दी थी और उन्हें विश्व शांति का प्रतीक भी कहा था।

ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून, 2009 ई. को येकतेरिनबर्ग (रूस) में आरंभ हुआ। ब्राजील के लूला दि सिल्वा, रूस के राष्ट्रपति मेद्वेदेव, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं चीन के राष्ट्रपति हूजिंताओ आदि राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए। बैठक में प्रमुख रूप से वित्तीय संस्थाओं के सुधार पर चर्चा की गई एवं भविष्य में पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया गया। शिखर बैठक के पश्चात् सदस्य देशों में एक ऐसी विश्व रिजर्व मुद्रा की आवश्यकता पर बल दिया, जो कि विविध, प्रभावी और भविष्योपयोगी होगी। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जेकब जूमा ने 2011 के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन चीन स्थित सानया प्रांत में हुआ था। जून, 2012 में ब्रिक्स देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण देने की शक्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से 75 अरब अमेरिकी डालर देने का वचन दिया। यह निर्णय दिल्ली में हुए चौथे शिखर सम्मेलन मार्च, 2012 ई. में लिया गया।

□ ब्रिक्स बैंक (New Development Bank)

यद्यपि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आज भी कार्यरत है। फिर भी 2013-के ब्रिक्स के डरबन में आयोजित शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि एक नए विकास बैंक की स्थापना की जाए, ताकि समस्त सदस्य देश अवसंरचना (Infrastructure) के लिए धन जुटा सके। इन देशों ने 100 अरब अमेरिकी डालर का आपातकालिन रिजर्व कोष स्थापित करने का निर्णय लिया। बैठक में ब्रिक्स देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की। दक्षिण अफ्रीका ने संकेत दिया कि विश्व की 5 उभरती हुई शक्ति के साथ समस्त अफ्रीकी महाद्वीप को भी सम्बद्ध किया जाए।



विश्व की 30 प्रतिशत से अधिक जीडीपी लिए ब्रिक्स देशों ने 15 जुलाई, 2014 ई. को ब्राजील के फोर्टालिजा नामक शहर में 6वें शिखर सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank - NDB) की स्थापना की। इसके अन्तर्गत 100 अरब डालर की पूंजी में चीन द्वारा 41 अरब डालर, ब्राजील, रूस एवं भारत द्वारा 18-18 अरब डालर एवं दक्षिण अफ्रीका द्वारा 5 अरब डालर देने का वचन दिया गया। बैंक का मुख्यालय चीन की वाणिज्यिक राजधानी शंघाई में रखा गया है एवं इसका क्षेत्रीय केन्द्र दक्षिण अफ्रीका के जोहनसबर्ग शहर में स्थापित किया गया। 11 मई, 2015 ई. को ब्रिक्स बैंक के प्रथम अध्यक्ष के रूप में भारत के के. वी. कामथ को चुना लिया गया है। यह बैंक 2016 से ऋण देने का कार्य प्रारंभ करेगा। NDB के लिए 100 अरब डालर का एक और रिजर्व पूंजी व्यवस्था रखी गई है, ताकि यूरोपीय वित्तीय संस्थाओं के विकासशील देशों पर पड़ रहे प्रभाव को कम किया जा सके। ब्रिक्स बैंक का उद्देश्य दुनिया की कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को मदद पहुंचाना है। 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2015 में ऊफा (रूस) में आयोजित किया गया।

□ 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

15-16 अक्टूबर, 2016 को भारत की अध्यक्षता में 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का ध्येय वाक्य है - “उत्तरदायी, समावेशी तथा सामूहिक समाधान निरूपित करना”। सम्मेलन के समापन पर जारी गोवा घोषणा-पत्र में खासतौर पर सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां चला रहे आतंकवादी संगठनों का जिक्र करने के लिए भारत द्वारा पूरी कोशिश की गई, इसके बावजूद भारत ब्रिक्स के दूसरे सदस्यों को इस बात के लिए राजी करने में नाकाम रहा।

हालांकि घोषणा-पत्र में इस्लामिक स्टेट, सीरियाई इस्लामी विद्रोही संगठन जबात-अल-नसरा और संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल दूसरे आतंकवादी संगठनों के नाम हैं। ब्रिक्स में भारत पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां चला रहे आतंकवादी संगठनों का नाम घोषणा-पत्र में शामिल करने पर आम सहमति कायम नहीं कर सका, क्योंकि यह ब्रिक्स के सभी देशों की चिंता नहीं है। ब्रिक्स के दूसरे नेताओं खासकर रूप के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अपने भाषणों में ब्रिक्स की आर्थिक एकता पर ही जोर दिया। पुतिन ने **ब्रिक्स एनर्जी एजेंसी** बनाकर सदस्य देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को व्यापक बनाने का आह्वान किया।

15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पुतिन ने रूस और भारत के बीच गैस पाइप लाइन बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संरक्षणवाद के खिलाफ आगाह किया और कहा कि मंदी से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना सबसे जरूरी है। चीन के राष्ट्रपित ने यह भी प्रस्ताव रखा कि ब्रिक्स को मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का अध्ययन करना चाहिए। हालांकि दूसरे सदस्यों खासकर दक्षिण अफ्रीका ने यह आशंका जताई कि ऐसा करने पर उनके बाजार सस्ते चीनी सामान से भर जाएंगे।

सम्मेलन में **ब्रिक्स कृषि अनुसंधान प्लेटफार्म** के गठन पर समझौता हुआ, जो भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए मददगार हो सकता है। साथ ही रेलवे अनुसंधान पर व्यापक सहयोग भी भारत के लिए फायदेमंद होगा। सदस्यों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, अर्थात् - ब्रिक्स बैंक को मजबूत करने पर जोर दिया। इस बैंक की अगले साल तक ऋण बढ़ाकर 2.5 अरब डॉलर करने और अपने गठन के तीसरे वर्ष में कर्मचारियों की संख्या 60 से बढ़ाकर 350 करने की योजना है। सम्मेलन की अन्य उपलब्धियों में आर्थिक अनुसंधान एवं विश्लेषण के लिए **ब्रिक्स संस्थान** के गठन का फैसला और एनडीबी तथा सदस्यों के राष्ट्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कायम सहमति शामिल है।

ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका, भारत और रूस ने चीन का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है कि 2017 में नौवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में कराया जाए। चारों देश इस कार्य में चीन के साथ पूरा सहयोग करेंगे और उसे पूरा समर्थन देंगे। यह जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय के वेबसाइट पर प्रकाशित 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के गोवा घोषणा-पत्र में दी गई है। पिछले शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि ब्रिक्स एक प्रेरणादायी शक्ति है। उनकी इस बात से दूसरे सदस्य भी इत्तेफाक रखते हैं।

• सम्मेलन की उपलब्धियां

- कृषि अनुसंधान प्लेटफार्म के गठन पर समझौता।
- रेलवे अनुसंधान नेटवर्क के गठन पर चर्चा।
- सभी सदस्यों ने एनडीबी (न्यू डेवलपमेंट बैंक) को मजबूत बनाने पर प्रतिबद्धता जताई।
- ब्रिक्स संस्थान

□ ब्रिक्स महिला सांसद सम्मेलन

ब्रिक्स देश की महिला सांसदों के 2 दिवसीय (20-21 अगस्त, 2016) सम्मेलन का आयोजन जयपुर में हुआ। इस सम्मेलन में लोकसभा और राज्यसभा की 28 सांसदों सहित ब्रिक्स देशों की लगभग 42 महिला सांसदों ने हिस्सा लिया। समान सत्र को संबोधित करते हुए राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि महिलाओं में काफी क्षमताएं हैं, जिन्हें पहचानने की आवश्यकता है। विकास के पथ पर महिलाएं पुरुषों की प्रतिद्वन्दी नहीं, बल्कि उनकी पूरक हैं। दोनों मिलकर साथ चलें, तो कई बदलाव लाए जा सकते हैं। सम्मेलन के दौरान 3 महत्वपूर्ण विषयों, अर्थात् - सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के बारे में परिदृश्य, सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्तियों में नागरिकों को सहयोगी बनाने में महिला सांसदों की भूमिका और जलवायु परिवर्तन की रोकथाम में वैश्विक सहयोग की अनिवार्यता पर बल दिया गया।

दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन Association of South-East Asian Nations - ASEAN

एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का आरंभ 1967 ई. में तब हुआ, जब इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपिन्स, सिंगापुर एवं थाइलैण्ड ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान (ASEAN) की स्थापना की। इसे बैंकॉक घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। जनवरी, 1984 ई. में ब्रूनेई के स्वतंत्र होते ही उसे आसियान का सदस्य बना लिया गया। वियतनाम जुलाई, 1995 ई. में इसका सदस्य बना गया। 2 अन्य देश म्यांमार व लाओस को 1997 ई. के कुआलालम्पूर सम्मेलन में आसियान का सदस्य बना लिया गया। इसी प्रकार कम्बोडिया को भी 1999 ई. में सदस्य बना लिया गया, जिससे वर्तमान में आसियान के कुल सदस्यों की संख्या 10 हो गई।



आसियान देशों का सामूहिक क्षेत्रफल विश्व भूमि का मात्र 3 प्रतिशत है, परन्तु कुल जनसंख्या 60 करोड़ है, जो कि विश्व की जनसंख्या 8.8 प्रतिशत है। 2013 में वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑउटलुक के अनुसार आसियान 2.4 खरब डालर की जी. डी. पी. के साथ यह विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है।

♦ मुख्य बिन्दु

- आसियान के सभी 10 सदस्य देश - ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाइलैण्ड और वियतनाम ने एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आसियान को यूरोपीय संघ की तरह एक आर्थिक समुदाय घोषित किया गया है। इस आर्थिक संघ का नाम आसियान आर्थिक समुदाय (ASEAN Economic Community) है।
- आसियान को एक आर्थिक समुदाय घोषित करने का विचार सर्वप्रथम वर्ष 2002 में आया था।
- आसियान देशों के मध्य व्यापार संतोषजनक है और आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

□ उद्देश्य

दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन के क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, आपसी आर्थिक सहयोग में वृद्धि तथा स्थिरता स्थापित करना, वृहद क्षेत्रीय औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना, तकनीकी एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करना, समान उद्देश्यों एवं लक्ष्यों वाले अन्य क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सहयोग प्रदान करना आदि उद्देश्य हैं।

15 दिसम्बर, 2008 ई. को आसियान के सदस्य देशों ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान चार्टर की घोषणा की। इसके तहत आसियान को एक विधिक संगठन घोषित किया गया एवं इसके सदस्य देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौते की बात कही गई। वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी को इस चार्टर के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक खतरे के रूप में देखा गया एवं इससे बचने के लिए एशिया एवं यूरोप के प्रमुख देशों के साथ मुक्त व्यापार पर बल दिया गया। इसके तहत 'आसियान + 3', जिसमें आसियान के अतिरिक्त चीन, जापान व साऊथ कोरिया शामिल थे, के साथ सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। आसियान ने वैश्विक व्यापार को और बढ़ाने के लिए ईस्ट एशिया समिट (EAS) की रचना की, जिसमें आसियान + 3 के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, यू. एस. ए. एवं रूस शामिल हैं। 2006 ई. में संयुक्त राष्ट्र ने आसियान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया, जिसके बदले आसियान ने संयुक्त राष्ट्र को वार्ताकार मित्र (Dialogue Partner) का दर्जा दिया।

27 फरवरी, 2009 ई. को आसियान के 10 सदस्य देशों ने आपस में तथा ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैण्ड के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी, 2010 ई. से आसियान व चीन के मध्य मुक्त व्यापार समझौते के अन्तर्गत आसियान-चायना फ्री ट्रेड एरिया ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जिसके 2015 तक 500 अरब डालर पहुंचने की संभावना है। इसी दिन से AIFTA (Asean India Free Trade Area) भी लागू कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत भारत व आसियान देशों के मध्य होने वाले व्यापार में लगभग 4000 वस्तुओं पर 2016 तक प्रशुल्क 90 प्रतिशत तक घटा दिया जाएगा। भारत व आसियान के मध्य 2015 तक 70 अरब डालर के आपसी व्यापार का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 2012 में ही प्राप्त कर लिया गया।

फरवरी, 2013 ई. में बाली व इंडोनेशिया ने प्रथम दौर की बैठक में चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, न्यूजीलैण्ड एवं साऊथ कोरिया के साथ व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) पर चर्चा शुरू की। RCEP में विश्व की 45 प्रतिशत जनसंख्या एवं 1/3 जी. डी. पी. आती है। अतएव स्पष्ट है कि वैश्वकरण के इस युग में आसियान मुक्त व्यापार के द्वारा विश्व के प्रमुख आर्थिक शक्तियों से सहयोग प्राप्त कर गरीबी, भूखमरी एवं बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान कर तथा मानव संसाधनों में उन्नति कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहता है।

27वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालांपुर में 18 से 22 नवम्बर, 2015 तक हुआ। इस शिखर सम्मेलन में भी आतंकवाद से निपटने के उपाय जुटाना अहम मुद्दा रहा। 13 नवम्बर, 2015 को पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद वैश्विक समुदाय आतंकवाद को बड़ी चुनौती मानने लगा है, इसलिए स्वाभाविक ही आसियान शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे पर अधिक जोर दिया गया। चीन ने आसियान देशों में आधारभूत ढांचे के विकास हेतु 10 अरब डॉलर का ऋण देने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा चीन आसियान के कम विकसित देशों को 56 करोड़ डॉलर की सहायता और भी देगा।

□ आसियान 28वां एवं 29वां शिखर सम्मेलन

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का 28वां और 29वां शिखर सम्मेलन का आयोजन वियनतियाने, लाओस में 6-8 सितम्बर, 2016 को किया गया। लाओस के प्रधानमंत्री थॉंगलौन सिसौलिथ ने शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। शिखर सम्मेलन का विषय था “Turning Vision Into Reality for a Dynamic ASEAN Community”। शिखर सम्मेलन में आसियान के सभी 10 देशों - ब्रुनेई, कंबाडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाइलैण्ड और वियतनाम के नेताओं ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन में आसियान के नेताओं ने बाहरी सहयोगियों के साथ आसियान समुदाय विजन - 2025 के कार्यान्वयन और बढ़ाने में सहयोग पर चर्चा की। आसियान समुदाय विजन 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्धता की पुष्टि की। साथ ही आसियान एकता कार्य योजना (IAI) - III के लिए पहल और आसियान संयोजकता 2025 पर मास्टर प्लान को आसियान समुदाय विजन - 2025 के एक अभिन्न अंग के रूप में अपनाया गया।

♦ भारत-आसियान सहयोग

वर्ष 1992 में भारत के क्षेत्रीय-स्तरीय भागीदार बनने के साथ आसियान के साथ भारत के सम्बन्धों का और विकास हुआ। भागीदार बनने की यह प्रक्रिया उसी समय सम्पन्न हुई, जब भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रियाओं का शुभारंभ किया जा रहा था। इन घटनाक्रमों से भारत ने आसियान के साथ अपनी ‘पूर्वोन्मुख’ नीति को नया स्वरूप प्रदान किया। हमारे दक्षिण-पूर्व एवं पूर्व एशियाई पड़ोसी देशों के साथ सभ्यता मूलक सम्बन्धों को नवीकृत करना और दक्षिण-पूर्व एवं पूर्व एशिया के साथ एकीकृत होने की आवश्यकता इस नीति के अनिवार्य घटक थे। उल्लेखनीय है कि उच्च विकास के मार्ग पर अग्रसर गतिशील भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इन अर्थव्यवस्थाओं की अपार संभावनाएं थीं।

14वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 8 सितम्बर, 2016 वियनतियाने, लाओस में सम्पन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में भारत तथा आसियान के मध्य व्यापार को अगले 3 वर्षों में 2 गुना करने की बात कही गई है। वर्तमान में कार्यरत भारत और आसियान के 30 संवाद मंचों को और अधिक सुदृढ़ करने की घोषणा भी इस शिखर सम्मेलन में की गई। इस संवाद मंचों में शिखर सम्मेलन के साथ ही विदेशी मामलों, वाणिज्य, पर्यटन, कृषि, पर्यावरण, अक्षय ऊर्जा एवं दूरसंचार सहित 7 मंत्रीस्तरीय बैठकें भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि हमारी सामरिक भागीदारी में आसियान गतिविधियों के तीनों प्रमुख क्षेत्रों सुरक्षा, आर्थिक व सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को शामिल किया गया है। साथ ही आसियान के साथ क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) को शीघ्र सम्पन्न करने पर भी बल दिया गया।

वर्ष 2017 भारत-आसियान संबंधों के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष वार्ता भागीदारी के 25 वर्ष, शिखर वार्ता के 15 वर्ष तथा सामरिक भागीदारी के 5 वर्ष पूर्ण होंगे। इस उपलक्ष्य में एक स्मारक शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया जाएगा। इसमें वाणिज्यिक सम्मेलन, सीईओ फोरम, कार रैली व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे।

राष्ट्रमण्डल

राष्ट्रमण्डल की स्थापना 1926 में हुई थी। इसके कुल 53 सदस्य देश हैं, जिनमें ब्रिटेन एवं उसके पूर्व उपनिवेश शामिल हैं। इस संगठन का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक, तकनीकी, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास करना है। इसका मुख्यालय मार्लबरो हाऊस (लंदन) में स्थित है। इस संगठन के सदस्य राष्ट्रों में परस्पर प्रतिनियुक्त राजनायिक प्रतिनिधि उच्चायुक्त कहलाते हैं, न कि राजदूत। राष्ट्रमण्डल देशों के शासनाध्यक्षों का सम्मेलन चोगम (Commonwealth Heads of Government Meeting - CHOGM) प्रत्येक दूसरे वर्ष आयोजित किया जाता है।

□ राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन 2015

राष्ट्रमण्डल का 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 27 से 29 नवम्बर, 2015 तक माल्टा की राजधानी वालेटा में हुआ। राष्ट्रमण्डल का शिखर सम्मेलन 13 नवम्बर, 2015 को पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद यूरोप में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय था - “विश्व की उन्नति करना, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद का सामना करना”। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रमण्डल के सदस्य देशों ने ग्लोबलवार्मिंग पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता जताई। राष्ट्रमण्डल की सदस्य देशों ने कानूनी रूप से बाह्य COP-21 को लागू करने पर भी बल दिया। राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन में लगभग 30 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासन प्रमुखों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में मुख्यरूप से आतंकवाद से लड़ने के अतिरिक्त जलवायु संकट से निपटने के तरीकों पर चर्चा हुई।

इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैलकम टर्नबुल, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डैविड कैमरन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडेजा और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शामिल हुए। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया। इस सम्मेलन में राष्ट्रमण्डल के देश छोटे और गरीब देशों के लिए कोष तक पहुंच सुगम बनाने में सहायता के लिए एक परिवर्तन केन्द्र स्थापित करने पर सहमत हुए। यह निर्णय ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए विकासशील देशों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन मुहैया कराने की भार की मांग के अनुरूप है। उल्लेखनीय है कि 53 सदस्यों वाले राष्ट्रमण्डल की ओर से केन्द्र स्थापित करने का फैसला पेरिस में जलवायु संकट पर वैश्विक सम्मेलन से पहले आया। इस सम्मेलन में भ्रष्टाचार और कट्टरता पर भी चर्चा की गई।

इस सम्मेलन में ब्रिटेन की पूर्व चीफ प्रोक्यूरेटर प्रतिनिधि पैट्रीसिया स्कॉटलैण्ड को महासचिव नियुक्त किया गया, जो राष्ट्रमण्डल के इतिहास में पहली महिला महासचिव हैं। पैट्रीसिया स्कॉटलैण्ड के चुनाव में दूसरे 2 उम्मीदवारों को हराकर यह पद प्राप्त किया। उन्होंने 1 अप्रैल, 2016 से औपचारिक तौर पर पद संभाल लिया है। अगला राष्ट्रमण्डल सम्मेलन ब्रिटेन में होगा। राष्ट्रमण्डल का शिखर सम्मेलन हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है।

जी-20

जी-20 विश्व की प्रमुख विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है, जिसका गठन मूलतः 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में 1999 में किया गया था। वैश्विक वित्तीय बाजार में स्थिरता लाने के उद्देश्य से गठित यह मंच मूलतः वित्त मंत्रियों व केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों का एक साझा मंच था। गठन के बाद से ही इसके सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों व केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों की वार्षिक बैठकें होती रही थीं। जी-20 की शिखर बैठकों का सिलसिला 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बीच शुरू हुआ था। ऐसा पहला सम्मेलन नवम्बर, 2008 में वाशिंगटन (अमरिका) में, दूसरा अप्रैल, 2009 में लंदन (ब्रिटेन) में, तीसरा सितम्बर, 2009 में पिट्सबर्ग (अमरिका) में, चौथा जून, 2010 में टोरंटो (कनाडा) में तथा पांचवां शिखर सम्मेलन नवम्बर, 2010 में रियोल (दक्षिण कोरिया) में सम्पन्न हुआ था। वैश्विक मंदी से उबरने के तौर-तरीकों व इस संकट से उपजी अन्य समस्याओं से निपटने के लिए वैश्विक रणनीति पर विचार इन सम्मेलनों में किया गया था। मंदी की तीव्रता पर नियंत्रण के पश्चात् 2011 से यह शिखर सम्मेलन वर्ष में एक-एक बार ही होने लगा है।

20 अर्थव्यवस्थाओं के इस समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटेन व अमरीका के अतिरिक्त यूरोपीय संघ शामिल हैं। जी-20 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद् (EC) के अध्यक्ष व यूरोपीय केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। जी-20 की शक्ति एवं सार्थकता आकलन इससे किया जा सकता है कि विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या जी-20 देशों में निवास करती है तथा वैश्विक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 85 प्रतिशत भाग का उत्पादन इन देशों द्वारा किया जाता है तथा वैश्विक व्यापार का 80 प्रतिशत इन देशों द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

जी-20 का कोई स्थानीय सचिवालय व मुख्यालय नहीं है। सदस्य देशों में ही बारी-बारी से किसी देश में इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। आगामी शिखर सम्मेलन का मेजबान देश इस मंच के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। इस दृष्टि से जर्मनी, जहां 2017 में शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है, वर्तमान में जी-20 का अध्यक्ष है।

□ जी-20 का 11वां शिखर सम्मेलन

विश्व की प्रमुख विकसित एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के मंच जी-20 का 11वां शिखर सम्मेलन चीन के प्रमुख वाणिज्यिक शहर हांगझू में 4-5 सितम्बर, 2016 को सम्पन्न हुआ। यह दूसरा अवसर था, जब इस सम्मेलन का आयोजन एशिया में हुआ। इससे पूर्व 2010 में जी-20 का पांचवां शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया के सियोल में हुआ था।

आर्थिक एवं वित्तीय प्रशासन को अधिक दक्ष बनाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश में मजबूती लाने पर चर्चा इस सम्मेलन में मुख्यतः की गई। इनके अतिरिक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी चर्चा का विषय रहे। जलवायु परिवर्तन, शरणार्थियों के मुद्दे, आतंकवाद व वैश्विक जनस्वास्थ्य के मुद्दे इनमें शामिल थे। वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूदा चुनौतियों व खतरों के परिप्रेक्ष्य में सुदृढ़, सतत, संतुलित एवं समावेशी विकास हेतु समग्र आर्थिक नितियों में समन्वय की आवश्यकता महसूस की गई। इनोवेटिव ग्रोथ पर जी-20 ब्ल्यू प्रिंट सर्वसम्मति से सम्मेलन में स्वीकार किया गया। एनर्जी एक्सेस, नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता हेतु एक कार्ययोजना को मंजूरी सम्मेलन में दी गई। वैश्विक व्यापार में वृद्धि के लिए जी-20 व्यूहरचना तथा अन्तर्राष्ट्रीय निवेश के लिए जी-20 निर्देशक सिद्धान्तों की दिशा में विचार इस सम्मेलन में किया गया।

| जी-20 शिखर सम्मेलन | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| क्र. | तिथि | आयोजन स्थल |
| 1 | नवम्बर, 2008 | वाशिंगटन डी. सी. (अमरीका) |
| 2 | अप्रैल, 2009 | लंदन (ब्रिटेन) |
| 3 | सितम्बर, | 2009 पिट्सबर्ग (अमरीका) |
| 4 | जून, 2010 | टोरंटो (कनाडा) |
| 5 | नवम्बर, 2010 | सियोल (दक्षिण कोरिया) |
| 6 | नवम्बर, 2011 | कान (फ्रांस) |
| 7 | जून, 2012 | लॉस काबोस (मैक्सिको) |
| 8 | सितम्बर, 2013 | सेंट पीटर्सबर्ग (रूस) |
| 9 | नवम्बर, 2014 | ब्रिस्बेन (ऑस्ट्रेलिया) |
| 10 | नवम्बर, 2015 | अंताल्या (टर्की) |
| 11 | सितम्बर, 2016 | हांगझू (चीन) |
| 12 | 7-8 जुलाई, 2017 | हैम्बर्ग (जर्मनी) (प्र) |
| 13 | 2018 | अर्जेंटीना (प्र.) |

समावेशी एवं अन्तर्संबंधित वैश्विक विकास हेतु प्रतिबद्धता सदस्य देशों ने सम्मेलन में व्यक्त की। सतत् विकास हेतु एजेण्डा 2030 कार्य योजना का निर्धारण भी सम्मेलन में किया गया। सम्मेलन के समापन पर हांगझू घोषणा-पत्र (Hangzhou Communique) को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

सम्मेलन के समापन पर अपने समापन अध्यक्षीय भाषण में चीनी राष्ट्रपति ने जी-20 को 'क्राइसेस रिस्पॉन्डिंग मेकेनिज्म' से 'लांग टर्म गवर्नेंस मेकेनिज्म' में रूपान्तरित करने का आह्वान किया तथा समूह का फोकस अल्पकालिक नितियों के स्थान पर अल्पकालिक, मध्यकालिक व दीर्घकालिक नितियों पर करने का आह्वान भी किया। सम्मेलन की सफलता के लिए सभी भागीदारों को धन्यवाद देते हुए मेजबान राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन एक नई यात्रा के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।



गुटनिरपेक्ष आन्दोलन

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन (Non Aligned Movement - NAM) का जन्म 1961 में शीतयुद्ध काल में हुआ था। शीतयुद्ध के बचने के लिए ऐसे देशों ने एक संगठन बनाया, जो न तो अमरीका के साथ रहना चाहते थे और न ही तत्कालीन सोवियत संघ के साथ। 1961 में बेलग्रेड में 25 विकासशील देशों की शुरुआती सदस्यता के साथ इस संगठन का गठन किया गया। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप ब्राज टीटो, तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, तत्कालीन इण्डोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना के तत्कालीन राष्ट्रपति क्वामी कुमाह ने इसकी स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अगस्त, 2012 में तेहरान शिखर सम्मेलन में 2 नए सदस्य – अजरबैजान व फिजी के ‘नाम’ में शामिल किए जाने से इस समूह के सदस्यों की संख्या 120 हो गई है। दुनिया की आधी आबादी इन सदस्य देशों में निवास करती है। इन देशों का शिखर सम्मेलन अब सामान्यतः हर तीसरे वर्ष आयोजित होता है।

□ आधारभूत तत्व

1961 ई. में नेहरू नासिर और टीटो ने इसके 5 आधारभूत तत्व स्वीकर किए, जो निम्नलिखित हैं –

- 1) सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो।
- 2) सदस्य देश किसी गुट का सदस्य न हो।
- 3) सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो।
- 4) सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो।
- 5) सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाजत न दी हो।

□ स्वरूप

गुटनिरपेक्षता

आन्दोलन के रूप में

- 1) साम्राज्यवाद के विरुद्ध
- 2) उपनिवेशवाद के विरुद्ध
- 3) हथियारों की दौड़ के विरुद्ध
- 4) रंग - भेद के विरुद्ध

विदेश नीति के रूप में

- 1) स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति

भारत गुटनिरपेक्ष के संस्थापकों में से एक है (1961 में इस समूह की स्थापना भारत, मिस्र व तत्कालीन यूगोस्लाविया की पहल पर हुई थी) तथा 1983 में इसके 7वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के मौजूदा 120 सदस्यों में 53 देश अफ्रीका के, 39 एशिया के, 26 लैटिन अमरीका व कैरीबियाई क्षेत्र के तथा 2 देश (बेलारूस व अजरबेजान) यूरोप के हैं। 17 अन्य देशों व 10 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा इसमें प्राप्त है।

□ 17वां शिखर सम्मेलन

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का 17वां शिखर सम्मेलन 17-18 सितम्बर, 2016 को वेनेजुएला के मार्गरीटा द्वीप के पोरलामार शहर में सम्पन्न हुआ। वेनेजुएला का मारगरीटा द्वीप, जहां ‘नाम’ का 17वां शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ, अपनी खूबसूरती के कारण कभी ‘पर्ल ऑफ द कैरीबियन’ कहलाता था। 120 सदस्यीय ‘नाम’ का यह शिखर सम्मेलन मूलतः वेनेजुएला में ही 2015 में प्रस्तावित था, किन्तु इसे उस समय एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया था।

शीतयुद्ध के दिनों में दोनों गुटों से दूरी बनाकर रखने वाले देशों द्वारा गठित यह संगठन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् अपनी सार्थकता खोने लगा है। इसका ही परिणाम यह कहा जा सकता है कि केवल 12 देशों के ही राष्ट्राध्यक्षों ने ही 120 देशों के संगठन के इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज करने के स्थान पर अपना रिकॉर्डेड वीडियो संदेश ही इसमें भेजा। वेनेजुएला में चल रहा गंभीर आर्थिक संकट व त्रिअंकीय मुद्रास्फीति भी राष्ट्र प्रमुखों की कम उपस्थिति के कारणों में शामिल थे। इससे पूर्व 2012 में ईरान में सम्पन्न सम्मेलन में 35 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी उपस्थिति तेहरान में दर्ज की थी।

सम्मेलन में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री के स्थान पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया। 1961 में समूह की स्थापना के पश्चात् यह दूसरा अवसर है, जब भारत की ओर से प्रधानमंत्री ने इसमें भाग नहीं लिया है। इससे पूर्व 1979 में तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह क्यूबा में हवाना में सम्पन्न छठे शिखर सम्मेलन में नहीं गए थे। सम्मेलन में भागीदारी हेतु हामिद 15 सितम्बर को वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए थे। शिखर सम्मेलन से पूर्व विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए विदेश राज्य मंत्री एम. जे. अकबर पहले ही वेनेजुएला पहुंच गए थे। 18 सितम्बर को शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए आतंकवाद पर गंभीर प्रहार भारतीय उपराष्ट्रपति ने किए तथा इस समस्या से निपटने के लिए 120 सदस्यीय 'नाम' के तहत एक कार्य दल गठित करने पर बल दिया। आतंकवाद को अन्तर्राष्ट्रीय शांति व राष्ट्रों की स्वायत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए इसे मानवता के विरुद्ध बड़ा अपराध एवं विकास के मार्ग का बड़ा अवरोध भी बताया।

संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि 1945 में केवल 51 देशों के साथ अस्तित्व में आए मंच के सदस्यों की संख्या अब 193 में हो चुकी है तदनुसार इसकी व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता उन्होंने बताई। इसके लिए सुरक्षा परिषद् के विस्तार पर विशेष बल सम्मेलन में दिया गया।

सम्मेलन के समापन पर स्वीकार किए घोषणा पत्र में जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया गया, वहीं सतत् विकास हेतु एजेंडा 2030 की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करने, जलवायु परिवर्तन की चुनौती का मिलकर सामना करने व दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) को बढ़ावा देने पर विशेष बल इस पर दिए गया है। सभी तरह के आतंकवाद की भर्त्सना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय एवं सुरक्षा के लिए इसे गंभीर खतरा बताया गया है।



शंघाई सहयोग संगठन

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की स्थापना शंघाई (चीन) में 1996 में चीन, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, रूस तथा तजाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा द्वारा 'शंघाई पांच' के नाम से की गई थी। इन पांच मूल सदस्यों के अतिरिक्त 2000 में उज्बेकिस्तान के आब्जर्वर सदस्य के दर्जे के रूप में संगठन के साथ जोड़ा गया। संगठन के प्रमुख उद्देश्य - आपसी साझा सीमा पर सदस्य देशों द्वारा सैन्य बलों को कम करना, एक-दूसरे के विरुद्ध सैन्य बलों के प्रयोग को रोकना, क्षेत्रीय स्थायित्व भंग करने वालों के खिलाफ साझा लड़ाई तथा आपसी सीमा विवादों का स्थायी समाधान शामिल है।

अपने उद्देश्यों को पूरा करने के सम्बन्ध में संगठन की शंघाई (1996), मास्को (1997), अलमाटी (1998) बैठकों में आतंकवाद तथा संगठित अपराधों पर नियंत्रण के साझा प्रयत्नों का निर्णय लिया गया। शंघाई पांच के दुशांबे (तजाकिस्तान) सम्मेलन (5 जुलाई, 2000) में सभी सदस्य देशों के राष्ट्रपतियों की बैठक में रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने संगठन का नाम 'शंघाई फोरम' किए जाने का प्रस्ताव रखा। सदस्य देशों ने किर्गिस्तान में 'आतंकवाद विरोधी केन्द्र' की स्थापना की घोषणा की।

शंघाई पांच का अब औपचारिक रूपान्तर 'शंघाई सहयोग संगठन' के रूप में हो गया है। नवगठित शंघाई सहयोग संगठन में छठे संस्थापक सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया है। नए नाम के साथ संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन 14-15 जून, 2001 को शंघाई (चीन) में सम्पन्न हुआ। शंघाई सहयोग संगठन के 6 सदस्य राष्ट्रों ने संगठन के 'चार्टर' पर 7 जून, 2002 को हस्ताक्षर कर उसे औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बना दिया। सेंट पीटर्सबर्ग (रूस) में आयोजित संगठन की शिखर बैठक में इस आशय का निर्णय हुआ। शिखर सम्मेलन के संगठन की प्राथमिकताओं सम्बन्धी घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर कराए गए। संगठन के वर्ष 2003 में हुए बीजिंग शिखर सम्मेलन (23 सितम्बर, 2003) में सदस्य देशों ने व्यापारिक सम्बन्धों को प्रगाढ़ करने तथा पूंजी निवेश को बढ़ाने से सम्बन्धित एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सम्मेलन में एक क्षेत्रीय आतंकवादरोधी निकाय बनाने का भी निर्णय किया गया।

16वां शिखर सम्मेलन

शंघाई सहयोग संगठन 16वां शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद 23-24 जून, 2016 को सम्पन्न हुआ। 2001 में स्थापित इस संगठन का यह शिखर सम्मेलन संगठन की 15वीं वर्षगांठ के रूप में आयोजित था। भारत के लिए यह सम्मेलन इस लिए भी महत्वपूर्ण था कि इस शिखर सम्मलेन में भारत को इसका सदस्य बनाने की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो गई। इसी के तहत सदस्यता के दायित्वों का ज्ञापन (Memorandum of Obligations) पर भारत ने हस्ताक्षर 24 जून को किए हैं। भारत के साथ-साथ पाकिस्तान ने भी ऐसे ही दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2005 से संगठन में प्रवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। कुछ और औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् भारत व पाकिस्तान आगामी शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में भाग ले सकेंगे।

दोनों देशों की सदस्यता की सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद SCO के सदस्यों की संख्या 8 हो जाएगी। 24 जून को सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन में भारत की सदस्यता इस क्षेत्र की समृद्धि में योगदान देगी तथा उसकी सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत SCO देशों के साथ एकजुट होकर कार्य करेगा तथा SCO देशों के भारत का सम्पर्क एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करेगा, जो विश्व के लिए आर्थिक प्रगति का वाहक होगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि सम्पूर्ण SCO क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना इस संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही इस क्षेत्र में आतंकवाद के विरुद्ध क्षेत्रीय ढांचा तैयार किया जाएगा।

सम्मेलन की समाप्ति पर ताशकंद घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं -

- यूरेशियन यूनियन व चीन की सिल्क रोड इकोनामिक बेल्ट को जोड़ने के लिए वार्ता शुरू करना।
- नवस्थापित वित्तीय संस्थाओं - ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई बैंक, एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक व यूरेशियन बैंक के द्वारा SCO की बहुपक्षीय आर्थिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अपेक्षा की गई है।
- जन स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, पर्यटन, संस्कृति, संरक्षण आदि के बारे में बहुपक्षीय सहयोग देने की बात की गई है।

विश्व व्यापार संगठन एवं भारत पर इसके प्रभाव

WTO & its Effect on India

प्रारंभ में WTO को GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) नाम से जाना जाता था, जिसका मुख्यालय जेनेवा (स्वीट्जरलैण्ड) में था। 1947 ई. में 23 देशों ने मिलकर GATT की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के मध्य सीमा शुल्क को समाप्त कर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना था। यह 1948 ई. से प्रारंभ हुआ एवं भारत इसका वास्तविक संस्थापक देशों में से एक है। आपसी व्यापार के मुद्दों को हल करने एवं एक न्यायासंगत व्यापारिक नियमों की रचना करने के लिए GATT ने कई वर्षों तक बैठकें (Rounds) आयोजित की। 1947 ई. से 1994 ई. तक ऐसी 8 बैठकें हुईं, जो निम्नलिखित हैं -

- 1) हवाना राउंड (क्यूबा) - 1947 ई., 23 देशों ने मिलकर GATT की स्थापना की।
- 2) ऐनेसी राउंड (फ्रांस) - 1949 ई.।
- 3) टॉरके राउंड (इंग्लैण्ड) - 1950 ई.।
- 4) जेनेवा राउंड (स्वीट्जरलैण्ड) - 1956 ई.।
- 5) डिलन राउंड (स्वीट्जरलैण्ड) - 1960-61 ई., यह बैठक जेनेवा में हुई, परन्तु डगलस डिलन के नाम पर इसे जाना गया, जो उस समय अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे।
- 6) केनेडी राउंड (स्वीट्जरलैण्ड) - 1962-67 ई., यह बैठक भी जेनेवा में हुई, परन्तु अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी नाम से इसे जाना जाता है।
- 7) टोक्यो राउंड (जापान) - 1973-79 ई.।
- 8) उरुग्वे राउंड (उरुग्वे) - 1986 ई.-1994 ई., उरुग्वे राउंड की समाप्ति के पश्चात् WTO की स्थापना की गई।

यह 9 वर्षों तक चली। पूर्व सोवियत संघ के बिखरने एवं विकसित औद्योगिक राष्ट्रों के प्रभाव के कारण विश्व व्यापार के लिए एक ऐसे संगठन की स्थापना पर बल दिया गया, जो मुक्त व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, कृषि एवं सेवा से जुड़े नियमों की रचना करें। ये नियम बाध्यकारी हो एवं संगठन के सदस्य देशों के आपसी लाभ के लिए रचे गए हों। परन्तु विकासशील देशों के द्वारा नए नियमों का कई मुद्दों पर पुरजोर विरोध किया गया। तत्पश्चात् तात्कालिन डायरेक्टर जनरल आर्थर डंकल द्वारा एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसे **डंकल ड्राफ्ट** की संज्ञा दी गई। सहमति होने के पश्चात् इसे **मराकाश संधि** (1994 ई., मोरक्को) का नाम दिया गया एवं WTO की स्थापना कर दी गई, जिसने 1 जनवरी, 1995 ई. से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। इसमें 123 देशों ने हस्ताक्षर किए।

♦ GATT व WTO में अन्तर (Difference between GATT & WTO)

| GATT | WTO |
|---|---|
| - यह केवल एक संधि थी। | - यह एक आधुनिक संस्थान है। |
| - इसमें व्यापारिक मतभेद सुलझाने के लिए कोई संस्था नहीं थी। | - इसमें व्यापारिक मतभेद सुलझाने के लिए नियमित संस्था है। |
| - यह केवल सीमा शुल्क एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न देशों के कोटे के निर्धारण तक सीमित थी। | - यह व्यापार से जुड़े सभी मुद्दों पर नियम बनाती है एवं सम्पूर्ण विश्व में मुक्त व्यापार के लिए प्रयासरत है। |
| - इसमें केवल विकसित देशों का ही प्रभुत्व था। | - इसमें सभी देशों का समान प्रभुत्व है। |

□ WTO (World Trade Organization)

1 जनवरी, 1995 ई. में GATT के स्थान पर WTO की विधिवत शुरुआत हो गई। इसका एक डायरेक्टर जनरल होता है, जिसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं। यह सीमा शुल्क कम करते हुए बातचीत द्वारा व्यापारिक मतभेद को दूर करने के लिए कार्य करती है। यह एक बहुउद्देशीय व्यापारिक संगठन है, जो उदारीकरण एवं निजीकरण को बढ़ावा देता है। इसमें प्रत्येक देश को एक ही वोट प्राप्त है।

◆ उद्देश्य

- जीवनस्तर में वृद्धि करना।
- पूर्ण रोजगार व प्रभावपूर्ण मांग में वृहद स्तरीय, परन्तु ठोस वृद्धि करना।
- वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन व व्यापार का प्रसार करना।
- अविरोध विकास (Sustainable Development) की अवधारणा को स्वीकार करना।
- पर्यावरण संरक्षण व उसकी सुरक्षा करना है।

◆ प्रमुख कार्य

- विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय व बहुवचनीय समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन व परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना।
- व्यापार व प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के मध्य विचार-विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना।
- विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों व प्रक्रियाओं को प्रशासित करना।
- व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना।
- वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामन्जस्य भाव लाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से सहयोग करना।
- विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना है।

◆ संरचना (Structure)

- **मंत्री स्तरीय सम्मेलन (Ministerial Conference)** - यह निर्णय लेने वाली मुख्य संस्था है। इसकी बैठक 2 वर्षों में 1 बार होती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देशों के उद्योग मंत्री शामिल होते हैं।
- **जनरल काउंसिल** - यह संस्था मिनिसटिरियल कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करती है। यह जेनेवा में स्थित है। इसका प्रमुख डायरेक्टर जनरल होता है।
- **विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body)** - इसके सदस्य प्रत्येक सदस्य देशों से लिए जाते हैं। इस निकाय का कार्य विभिन्न राष्ट्रों के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठनों के व्यापार नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर विचार करना है। किसी शिकायत विशेष के गहन अध्ययन के लिए यह विशेषज्ञों की समिति गठित कर सकती है। इसमें विवादों का निपटारा आपसी समझ और परस्पर सहमति से किया जाता है।
- **व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया निकाय (Trade Policy Review Body)** - यह मुख्यतः व्यापार से जुड़े नियमों को बनाती है एवं गरीब व अल्प विकसित राष्ट्रों को विशेष महत्व देती है। इसका कार्य सदस्य राष्ट्रों की व्यापार नीति की समीक्षा करना है। सभी बड़ी व्यापारिक शक्तियों की व्यापार नीति की दो वर्ष में एक बार समीक्षा की जाती है।

इनके अलावा भी 3 अन्य महत्वपूर्ण समितियां हैं -

- 1) वस्तु व्यापार परिषद् (Council for Trade in Goods)।
- 2) सेवा व्यापार परिषद् (Council for Trade in Services)।
- 3) बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यापार संबंधी पहलुओं पर परिषद् (Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)।

♦ WTO के सदस्य एवं पर्यवेक्षक (WTO Members & Observers)

वर्तमान में WTO के 164 सदस्य देश हैं (164वां अफगानिस्तान 26 जुलाई, 2016)। इसके अलावा लगभग 22 देश पर्यवेक्षक का दर्जा रखते हैं (यूरोपीयन यूनियन WTO का सदस्य है)। WTO का सदस्य बनने के लिए सदस्यों को एक सम्प्रभु राष्ट्र होना कोई बाध्यता नहीं है। केवल बाहरी व्यापार की स्वतंत्रता ही सदस्यता पाने के लिए पर्याप्त है। उदाहरणार्थ – हांगकांग, ताइवान आदि। ईरान एक ऐसा देश है, जो बड़ी अर्थव्यवस्था के होते हुए भी WTO का सदस्य नहीं है।

□ WTO के प्रमुख समझौते

♦ व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार

(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPs)

जब कोई व्यक्ति विशेष अथवा निजी संस्था अपने बौद्धिक बल के द्वारा व्यापारिक हितों के लिए किसी उत्पाद को उत्पन्न करती है, तो वह बौद्धिक संपदा की श्रेणी में आता है। उदाहरणार्थ – दवाइयां, किताबें, पेंटिंग, नई तकनीक आदि। बौद्धिक संपदा अधिकार के अन्तर्गत इन वस्तुओं अथवा उत्पादों का संरक्षण विशिष्ट व्यापारिक चिह्नों (Trade Marks) एवं पेटेंट (Patents) के द्वारा एक निश्चित समय किया जाता है एवं इनके व्यापार से होने वाला लाभ उक्त व्यक्ति अथवा संस्था को ही प्राप्त होता है।

ट्रिप्स के तहत सदस्य देशों को कानूनी रूप से बौद्धिक अधिकारों के पेटेंट का पालन करना होता है, जिनमें कॉपी राइट अधिकार, औद्योगिक संरचना, भौगोलिक संकेतक, सर्किट डिजाइन, दवाइयां, ट्रेड मार्क, नए वस्तुओं एवं पादकों के उत्पादन के एकाधिकार सम्मिलित हैं। ट्रिप्स विवाद के निपटारे के लिए विवाद निपटान संस्था के रूप में भी कार्य करता है।

ट्रिप्स के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार के 7 प्रकार हैं –

1) एक नए, उपयोगी एवं अप्रचलित आविष्कार के लिए किसी व्यक्ति को सामान्यतः 20 वर्षों के लिए पेटेंट प्रदान किया जा सकता है। 20 वर्षों तक इस आविष्कार से होने वाला वाणिज्यिक लाभ उक्त व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। पेटेंट अधिकार के बदले में आविष्कारक 20 वर्षों के उपरान्त वस्तु के उत्पादन पर अपना एकाधिकार समाप्त मानकर आम जनता के लिए उसके व्यापारिक प्रयोग की अनुमति प्रदान करता है। पेटेंट आविष्कारकर्ता एवं नए आविष्कारों को प्रोत्साहित करता है। इससे अनुसंधान एवं विकास का कार्य अनवरत रूप से जारी रहता है।

WTO के अन्तर्गत वस्तु एवं प्रक्रिया दोनों पर ही पेटेंट प्रदान किया जा सकता है। वस्तु पेटेंट के अन्तर्गत किसी वस्तु को बनाने के प्रत्येक प्रक्रिया का पेटेंट उसके आविष्कारक को प्रदान कर दिया जाता है, जिससे उस वस्तु को निरपेक्ष संरक्षण प्राप्त होता है। जबकि प्रक्रिया पेटेंट के अन्तर्गत एक ही वस्तु को बनाने की अलग-अलग प्रक्रियाओं का पेटेंट अलग-अलग आविष्कारकों को दिया जा सकता है। अतः इसमें एक ही वस्तु बनाने के लिए अलग-अलग तकनीकी एवं प्रक्रियाओं को संरक्षण प्राप्त होता है। इसके अन्तर्गत रिवर्स इंजीनियरिंग संभव है एवं एक ही वस्तु को बनाने की कई प्रक्रियाओं की खोज होती है। इसी की सहायता से विकाशील देश महंगी दवाइयों को सस्ते दामों पर बेचते हैं, जिसका मुख्य उदाहरण भारत है। ट्रिप्स के अन्तर्गत वस्तु पेटेंट केवल खाद्य, दवाइयां, औषधियां एवं रसायन को प्राप्त होते हैं। यह पेटेंट 20 वर्षों के लिए मान्य होता है, विकाशील देशों को ट्रिप्स के अनुबंधों को मानने के लिए 10 वर्षों का समय दिया गया है, जबकि विकसित देशों ने इस 1995 ई. से मान लिया है।

2) किसी रचनात्मक कार्य के लिए, जैसे – पेंटिंग, किताबें, फिल्में, संगीत, साफ्टवेयर आदि, कॉपी राइट्स प्रदान किए जाते हैं। कॉपी राइट प्राप्त करने वाला व्यक्ति या संस्था एक निश्चित समय के लिए उक्त रचनात्मक कार्यों का व्यापारिक उत्पादन एवं वाणिज्यिक उपयोग करता है।

3) व्यापारिक चिह्न (Trade Mark) एक ऐसा चिह्न है, जो किसी उत्पाद या सेवा को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है एवं उसके व्यापारिक हितों की रक्षा करता है।

4) एक औद्योगिक रचना अधिकार किसी औद्योगिक वस्तु के आकार, बनावट आदि के दुरुपयोग को रोकता है एवं उसकी विशिष्ट पहचान को बनाए रखता है (हवाई जहाजों एवं मोटर कारों के डिजाइन, फर्नीचर एवं टेक्सटाइल)।

5) इन्टिग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा।

6) व्यापार संबंधी गुप्त सूचना।

7) भौगोलिक संकेतक (GI) के अन्तर्गत वस्तुतः कुछ ऐसे प्रसिद्ध उत्पादों को लिया जाता है, जो किसी क्षेत्र विशेष में ही उत्पन्न होते हैं और उनका उत्पादन उसी भौगोलिक परिस्थिति में संभव है, जैसे - भारत में बासमती चावल, दार्जीलिंग चाय, काँचीपुरम सिल्क, अल्फान्सो आम, नागपुर संतरे, कोल्हापुरी चप्पल, बीकानेरी भुजिया, आगरा पेठा, मैसूर के चंदन आदि। इसके तहत पेटेंट ऐसी समूह या संस्था को प्रदान किए जाते हैं, जो इन उत्पाद के हितों की रक्षा कर सके। यह पेटेंट किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया जाता। मुख्यतः 10 वर्षों के लिए यह पेटेंट दिया जाता है। यह उत्पाद कृषिगत, प्राकृतिक या विनिर्मित (Manufactured) हो सकता है। विनिर्मित उत्पाद का प्रसंस्करण (Processing) उसी क्षेत्र विशेष में होना चाहिए। उत्पाद की सभी विशेषताएं भी उसमें निहित होनी चाहिए।

1999 में संसद ने भौगोलिक वस्तु संकेतक अधिनियम (Geographical Indications of Goods) पारित किया, जिसमें भौगोलिक क्षेत्र विशेष के वस्तुओं को संरक्षण दिया गया। इसका क्रियान्वन पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क महानियंत्रक (Controller General of Patents, Designs and Trade Marks) द्वारा करवाया जाएगा, जो भौगोलिक संकेतक के रजिस्ट्रार भी हैं। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई में स्थित है। इसी प्रकार पेटेंट एक्ट, 2005 भी लागू किया गया, जिसमें खाद्य पदार्थ, दवाइयां एवं रसायन आदि के पेटेंट संबंधी प्रावधान WTO के ट्रिप्स अनुबंध के अनुसार रखे गए हैं।

♦ व्यापार संबंधी निवेश उपाय (Trade Related Investment Measures - TRIMs)

ट्रिप्स का सम्बन्ध कुछ शर्तों या प्रतिबन्धों से है, जिन्हें किसी देश के द्वारा अपने देश में विदेशी विनियोगों के सम्बन्ध में लगाया जाता है। विकासशील देशों ने ट्रिप्स का प्रयोग बहुत अधिक किया। ट्रिप्स के सम्बन्ध में समझौतों में यह व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य देश कोई ऐसे ट्रिप्स को लागू नहीं करेगा, जो WTO के अनुच्छेद की व्यवस्था करने के विरुद्ध हो। 1991 के पूर्व भारत में ट्रिप्स का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में उनमें से अधिकांश नियम समाप्त कर दिए गए हैं।

- वस्तुओं में व्यापार के बहुपक्षीय समझौते (Multilateral Agreements on Trade in Goods - MATG)
- सेवाओं एवं व्यापार का सामान्य संझौता (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT)
- व्यापार के बहुपक्षीय समझौते (Plurilateral Trade Agreements - PTA)

□ कृषि से संबंधित मुद्दे (Issue Related with Agriculture)

उरुग्वे दौर (1986-94) की वार्ता के बाद से ही कृषि प्रमुख विषय बनकर उभरा। जब 1994 में मराकाश संधि पर हस्ताक्षर हुए, तब विकासशील देशों ने कई मुद्दों पर अपना विरोध प्रकट किया। जिन पर वर्तमान में दोहा दौर के पश्चात् भी गतिरोध बना हुआ है। इसके मुख्यतः 3 आधार हैं -

1) **घरेलू सहायता (Domestic Help)** - इसके अन्तर्गत उन सभी सब्सिडियों को रखा गया है, जिससे किसानों को बीज, खाद्य, उर्वरक, ऊर्जा, एवं पानी उपलब्ध कराया जाता है। इन सब्सिडियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें एम्बर बाक्स, ब्ल्यू बाक्स एवं ग्रीन बाक्स का नाम दिया गया है।

a) **एम्बर बाक्स (Amber Box)** - इसके अन्तर्गत वे सभी सब्सिडियां आती हैं, जिनसे उत्पादन एवं व्यापार प्रभावित होता है, जैसे - भारत में दी जाने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऊर्जा, उर्वरक, कीटनाशक एवं सिंचाई के लिए दी जाने वाली सब्सिडी। दोहा दौर की बैठक में तय किया गया है कि विकासशील देश अपने कुल कृषि उपज का 10 प्रतिशत एवं विकसीत देश कुल कृषि उपज का 5 प्रतिशत ही सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं, परन्तु विकासशील देशों के गतिरोध के कारण इन प्रावधानों को 2016 तक स्थगित कर दिया गया है।

b) **ब्ल्यू बाक्स (Blue Box)** - प्रत्येक ऐसी सब्सिडी जो एम्बर बाक्स के सीमाओं का उल्लंघन करती है, वह ब्ल्यू बाक्स सब्सिडी के अन्तर्गत आती है। इसीलिए इसे शर्तों के साथ एम्बर बाक्स सब्सिडी कहते हैं। इनमें शर्तें इस प्रकार रखी जाती हैं कि यह उत्पादन को प्रभावित होने से रोके। इसके अन्तर्गत कृषकों को उत्पादन नियंत्रण करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी एवं सरकार द्वारा दी जाने वाली सीधी सहायता राशि भी सम्मिलित होती है। वर्तमान में इसमें खर्च की जाने वाली राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

c) **ग्रीन बाक्स (Green Box)** - प्रत्येक ऐसी सब्सिडी जो उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है, वह ग्रीन बाक्स सब्सिडी के अन्तर्गत आती है। यह एक वृहद बाक्स है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सब्सिडियाँ आती हैं -

- i) खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक संग्रहण (Public Storage for Food Security)।
- ii) कीट एवं बीमारी रोकथाम उपाय (Pest & Disease Control)।
- iii) अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास (Research & Technology Development)।
- iv) पर्यावरण संरक्षण (Environment Conservation)।
- v) फसल बीमा (Crop Insurance)।

विकासित देशों द्वारा ग्रीन बाक्स के अन्तर्गत रखी गई उपरोक्त सब्सिडियों में बड़े पैमाने पर नकद राशि कृषकों को दी जाती है, जिससे उनके उत्पाद सस्ते एवं विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बेहतर हो जाते हैं। विकासशील देशों द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया है। दोहा दौर की वार्ता के पश्चात् कई देशों ने इसे हटाने का आग्रह किया है, क्योंकि यह गरीब देशों के उत्पादों को बाजार से बाहर कर देता है।

जी33 - यह 33 विकासशील देशों का समूह है। ये देश इंडोनेशिया की अगवाई में WTO से ऐसे नियमों को बनाने में प्रयासरत हैं, जिससे उनके कृषि उत्पाद विश्व बाजार में विकसित देशों के कृषि उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर सकें एवं घरेलू स्तर पर उपलब्ध मांगों को भी पूरा कर सकें। ये WTO के कृषकों को उनकी कृषि उपज का अधिकतम 10 प्रतिशत सब्सिडी देने के नियम का विरोध करते हैं एवं चाहते हैं कि सब्सिडी का मूल्यांकन 1986-88 के मूल्य सूचकांक आधारित न होकर वर्तमान समय के मूल्य सूचकांक पर आधारित हो एवं उसमें मुद्रास्फिति को भी शामिल किया जाए।

2) **निर्यात सब्सिडी (Export Subsidies)** - इसके अन्तर्गत विकसित देशों को उनके द्वारा दी जाने वाली सब्सिडियों को उस स्तर तक घटाना होता है, जिससे किसी वस्तु के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े एवं विकासशील देशों द्वारा उत्पादित वस्तु प्रतिस्पर्धा में बनी रहे।

3) **बाजार उपलब्धता (Market Access)** - इसके अन्तर्गत प्रत्येक देश को अपने बाजार को अन्य देशों के कृषि उत्पादों के लिए खोलना, सीमा शुल्क में कटौती करना तथा मुक्त व्यापार की ओर अग्रसर होना शामिल है।

□ मंत्रीस्तरीय सम्मेलन

यह निर्णय लेने वाली मुख्य संस्था है। इसकी बैठक 2 वर्षों में 1 बार होती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देशों के उद्योग मंत्री शामिल होते हैं। पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन 1996 ई. में सिंगापुर में हुआ था। इसके पश्चात् क्रमशः दूसरा जिनेवा 1998, तीसरा सिएटल 1999, चौथा दोहा 2001, कान्कुन 2003, हांगकांग 2005, जेनेवा 2009 व 2011, नॉवी बाली 2013 एवं 10वीं नैरोबी 2015 में सम्पन्न हुआ।

उपरोक्त सभी संधियों पर वार्ता एवं समस्याओं का निराकरण मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में किया जाता है। 2001 दोहा में हुआ चौथा मंत्रीस्तरीय सम्मेलन अब तक की सबसे लंबी बैठक है, जिसका समापन बाली (इंडोनेशिया) में 2013 की बैठक में हुआ। 11वीं मंत्रीस्तरीय बैठक का आयोजन दिसम्बर, 2017 में ब्यूनस आयर्स में किया जाएगा।

♦ दोहा मंत्रीस्तरीय बैठक

WTO की चौथी मंत्रीस्तरीय बैठक नवम्बर, 2001 में कतार की राजधानी दोहा में संपन्न हुई। इस बैठक में सदस्य देशों ने दोहा घोषणा पत्र (जिसे दोहा विकास कार्यावली या भी कहा जाता है) पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं -

1) **समझौतावार्ता के नए दौर की शुरुआत** - दोहा की मंत्रीस्तरीय बैठक शुरू होने से पहले भारत सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि समझौतावार्ता का अधिक विस्तार करने से पहले जो समझौते हो चुके हैं उनका कार्यान्वयन किया जाए। इसे Implementation before Expansion कहा गया। अन्य विकासशील देशों ने भी भारत सरकार के तर्क का समर्थन किया क्योंकि इन सभी देशों का विश्वास है कि WTO के अधीन जो समझौते किए गए हैं, विकसित देशों ने उनका पालन नहीं किया है, परन्तु विकसित देशों के दबाव में आकर दोहा घोषणा-पत्र में समझौतावार्ता का एक नया दौर शुरू करने की बात मान ली गई। इसे दोहा दौर की संज्ञा दी गई है।

- 2) **व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य** - विकासशील देशों के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्यापार संबद्ध बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को अनदेखा करने करने की छूट दे दी गई। अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए किन्हीं खास दवाइयों की किसी विकासशील देश में उत्पादन करने की क्षमता नहीं है तो वह देश उन दवाइयों के लिए किसी अन्य विकासशील देश को अनिवार्य लाइसेंस दे सकता है।
- 3) **कृषि सहायता** - हालांकि दोहावार्ता शुरू होने पर ऊरुग्वे दौर पुरे हुए 7 वर्ष हो चुके थे तथापि विकसित देशों ने कृषि सहायता को कम करने की अपनी वचनबद्धता पूरी नहीं की थी। वस्तुतः अमेरिका और युरोपीय यूनियन ने (जो 2 सबसे बड़े कृषि निर्यातक है) कृषि सहायता कम करने के स्थान पर बढ़ा दी थी। इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें विकासशील देशों में व्याप्त घरेलू कीमतों से कम थी।
- इन बातों को ध्यान में रखते हुए दोहा घोषणा पत्र में यह खासतौर पर कहा गया कि समझौतावार्ता में सभी निर्यात सहायता को कम किया जाएगा, ताकि अन्ततः उन्हें समाप्त किया जा सके। विकासशील देशों को विकसित देशों के बाजारों में और प्रवेश करने की सुविधा दी जाएगी तथा व्यापार -निरूपित करने वाले घरेलू समर्थन (SUBSIDY) को कम किया जाएगा। घोषणा पत्र में विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तथा ग्रामीण विकास की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया। इस प्रकार, भारत जैसे देश जिनमें व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वे उसे बनाए रख सकते हैं और साथ ही वे अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक घरेलू समर्थन भी दे सकते हैं।
- 4) **औद्योगिक वस्तुओं के बाजार** - घोषणा पत्र में समझौतावार्ता के अधीन प्रशुल्कों को कम करने तथा अन्य मात्रात्मक प्रतिबंधों को कम करने पर विचार करने की सहमति व्यक्त की गई विशेषकर उन औद्योगिक वस्तुओं के लिए जिनमें विकासशील देशों की रुचि है।
- 5) **पर्यावरण और श्रम मुद्दे** - विकसित देशों में अपनी कृषि वस्तुओं का बाजार पाने के लिए तथा उनके द्वारा घरेलू स्तर पर कृषि सहायता कम करने को राजी करने के लिए विकासशील देशों को पर्यावरण के मुद्दे को समझौतावार्ता में शामिल करने की स्वीकृति देनी पड़ी, परन्तु वे श्रम से संबंधित मुद्दों को दूर रखने में इस तर्क के आधार पर सफल हो गए कि इन मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तत्वावधान में विचार करना चाहिए, अर्थात - WTO श्रम मुद्दे उठाने का सही मंच नहीं है।
- 6) **विशेष और विभेदक व्यवहार व्यवस्था** - विभिन्न देशों की अलग-अलग परिस्थितियों के मद्देनजर तथा विकासशील देशों की विशेष विकास आवश्यकताओं को देखते हुए GATT में विशेष और विभेदक व्यवहार व्यवस्था का प्रावधान रखा गया था, परन्तु ऊरुग्वे दौर में इन्हें बहुत कम कर दिया गया। विकासशील देशों को और बाजार उपलब्ध कराने के आश्वासन के स्थान पर केवल परिवर्ती अवधियों तथा तकनीकी सहायता की बात की गई। ये नई व्यवस्थाएं भी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं थी और केवल प्रयास करने की बात कहीं गई थी। यह विकासशील देशों के लिए एक अत्यंत चिंताजनक विषय था। 12 विकासशील देशों के प्रतिवेदन पर दोहा घोषणा पत्र में इस बात को स्वीकार किया गया कि S&DT व्यवस्थाएं WTO के समझौते का अभिन्न हिस्सा हैं और यह भी कहा गया कि इन पर पुनः अवलोकन किया जाएगा। ताकि इन्हें अधिक स्पष्ट प्रभावी तथा लागू करने लायक बनाया जा सके।
- 7) **सिंगापुर मुद्दे** - इसमें निम्नलिखित 4 मुद्दे शामिल हैं -
- व्यापार एवं पूंजी निवेश, सरकारी क्रय में पारदर्शिता एवं व्यापार में प्रतिस्पर्धा संबंधी नियम।
 - विश्व व्यापार में कम विकसित गरीब देशों को शामिल करके बढ़ावा देना।
 - WTO के विभिन्न नियमों एवं कानूनों का कार्यान्वयन अनिवार्य करना।
 - औद्योगिक शुल्क व्यापार एवं श्रम मानक, व्यापार एवं पर्यावरण, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में तालमेल आदि।

सिंगापुर में हुए प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन में इस बात पर सहमति हो गई थी कि निवेश, प्रतिस्पर्धा नीति, सरकारी वसूली तथा व्यापार सरलीकरण मुद्दों का अध्ययन किया जाएगा, परन्तु उन्हें समझौतावार्ता का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा।

दोहा में यह मुद्दा फिर से गंभीर मसले के रूप में उभरा। जब बहुपक्षीय व्यापार समझौतावार्ता के नये दौर को लागू किया जा रहा था, तब कुछ विकसित देशों ने दबाव डालना शुरू किया कि इन मुद्दों को समझौतावार्ता में शामिल किया जाए, परन्तु भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों ने यह कोशिश नाकाम कर दी और इन मुद्दों को कैनुन में होने वाली 5वीं मंत्री स्तरीयवार्ता के लिए टाल दिया गया।

दोहा घोषणा पत्र में विभिन्न मुद्दों के लिए एक समयबध्य कार्य सूची बनाई गई। उदाहरण के लिए -

- 1) सदस्यों देशों को S&DT व्यवस्थाओं में शामिल मुद्दों के परिणामों को जुलाई, 2002 तक अंतिम रूप देना था।
- 2) TRIPs तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य समझौतों को दिसम्बर, 2002 तक अंतिम रूप देना था।
- 3) कृषि संबंधी समझौतों की रूपरेखा को मार्च, 2003 तक तैयार करना था।
- 4) उद्योग संबंधी समझौता ढांचा मई, 2003 तक तैयार करना था।

इनमें से कोई भी काम निर्धारित समयवधि में नहीं हो सका। TRIPs तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में अमेरिका ने समझौते से इंकार कर दिया। दिसम्बर, 2002 को बाकी के सभी 145 देशों के सुझाव को अमेरिका ने नकार दिया। इसमें यह कहा गया था कि गरीब देशों में पेटेंटशुदा दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर पेटेंट की अवेहलना करना जायज होना चाहिए। अमेरिका इस बात पर अड़ा रहा कि पेटेंट की शर्तों का केवल AIDS, तपेदिक तथा मलेरिया जैसी महामारियों के फैलने की स्थिति में ही उल्लंघन हो। कृषि में बाजार सुविधाओं के प्रश्न पर भी विकसित देश अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहे, जबकि विकासशील देशों ने कई सुविधाएं विकसित देशों का उपलब्ध कराई। इससे विकासशील देशों के लिए विकसित देशों के कृषि बाजार अभी तक नहीं खुल पाए हैं एवं विकसित देश अपनी कृषि को अभी भी भारी घरेलू समर्थन व सहायता प्रदान कर रहे हैं।

♦ बाली मंत्री स्तरीय बैठक

9वीं मंत्री स्तरीय बैठक 3-7 दिसम्बर, 2013 के बीच बाली (इंडोनेशिया) में आयोजित की गई। इस बैठक में बाली पैकेज को अपनाया गया जिसका उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाना विकासशील देशों को अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के और विकल्पों की अनुमति देना। सबसे गरीब देशों के व्यापार को प्रोत्साहित करना तथा विकास में मदद करना था। बाली पैकेज में मुख्यतः 2 समझौते हुए -

- 1) **खाद्य सहायता (Food Subsidy)** - भारत ने खाद्य सहायता समझौते में विशेष भूमिका अदा की और इस बात पर बल दिया कि भयंकर गरीबी से जुझ रहे करोड़ों लोगों उपयुक्त मात्रा में खाद्यानों की आपूर्ति हो। मौजूदा नियमों के तहत खाद्य सहायता की कुल मात्रा उत्पादन के मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक हो सकती है, परन्तु इसका अनुमान 2 दशक पूर्व की कीमतों पर किया जाता है, जो अन्यायपूर्ण है। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि गरीबों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए उच्चतम सीमा का अतिक्रमण करने पर भी कोई जुर्माना नहीं लगना चाहिए। अतः बाली पैकेज में इस बात पर समझौता हो गया कि जब तक स्थायी समाधान खोज नहीं लिया जाता, तब तक विकासशील देश अपने लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा सकते हैं एवं 10 प्रतिशत की उच्चतम सीमा का अतिक्रमण करने पर भी उन पर जुर्माने का प्रावधान नहीं होगा।
- 2) **व्यापार सरलीकरण (Trade Facilitation)** - दूसरा समझौता व्यापार सरलीकरण के क्षेत्र में किया गया इस समझौते में यह व्यवस्था है कि सदस्य देश लाल फीताशाही को कम करेंगे, ताकि वस्तुओं का सुगम तरीके से आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जा सके। इसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रणाली को आसान बनाना, व्यापार को सस्ता, तेज और सरल बनाना, कार्य कुशलता व पारदर्शिता सुनिश्चित करना, प्रशासनिक देरी को दूर करना और भ्रष्टाचार कम करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति का लाभ उठाना है। इनमें उन देशों के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए भी कुछ कदम सुझाए गए हैं जो समुद्र तट से दूर है तथा अन्य देशों की सीमाओं से घिरे हुए हैं।

विश्व व्यापार संगठन के स्थापना के पश्चात् बाली पैकेज 159 सदस्यों देशों द्वारा अपनाया गया पहला व्यापार सुधार समझौता है। वाशिंगटन के पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनामिक्स ने अनुमान लगाया है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से विश्व व्यापार में 960 बिलियन डालर की वृद्धि होगी तथा 21 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसर प्रदान किए जा सकेंगे। इनमें से 19 मिलियन रोजगार के अवसर विकासशील देशों में होंगे, परन्तु कई आर्थिक विशेषज्ञ यह मानते हैं कि व्यापार सरलीकरण समझौते को लागू करने की लागत

इतनी अधिक होगी की कई विकासशील व निर्धन देश अपनी सामाजिक सुरक्षाओं एवं सेवाओं पर कम खर्च कर इस समझौते के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों का इंतजाम करने को बाध्य होंगे।

♦ 10वां मंत्रिस्तरीय सम्मलेन

विश्व व्यापार संगठन का 10वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC10) कीनिया की राजधारी नैरोबी में 15-18 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न हुआ। यह सम्मेलन मूलतः 15 दिसम्बर के लिए प्रस्तावित था, किन्तु वार्ता लम्बी चलने के कारण यह एक दिन बाद तक चला। सम्मेलन में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। विकसित देशों के प्रतिरोध के चलते 14 वर्ष से लम्बित दोहा दौर के समझौतों पर कोई सहमति इस सम्मेलन में नहीं बनी तथा खाद्य सुरक्षा हेतु पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का मुद्दा भी अनसुलझा रहा, तथापि भारत के दबाव में सदस्य राष्ट्रों में यह सहमति बन गई, जिसके तहत विकासशील देशों को अपने किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सेफगार्ड मेकेनिज्म (SSP) का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।

वर्ष 2015 WTO की स्थापना का 20वां वर्ष होने के नाते इस संगठन का यह सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण था। सम्मेलन में स्वीकार किए गए नैरोबी घोषणा-पत्र में बहुपक्षीय नियम आधारित व्यापार प्रणाली के महत्व को रेखांकित करने हुए मराकेश समझौते में स्वीकार किए गए सिद्धान्तों व उद्देश्यों के प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

□ MFN (Most Favoured Nation)

MFN से तात्पर्य इतना है कि एक संगठन में सीमा शुल्क संबंधी अधिकार सभी देशों को समान रूप से दे दिए जाएं, किसी भी देश के साथ कोई भेदभाव न हो। कुछ कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश आपस में मिलकर अपने व्यापारिक हितों के लिए बड़े देशों के कुछ उत्पादों को अतिरिक्त सीमा शुल्क की श्रेणी में रख सकते हैं, परन्तु सैद्धान्तिक रूप से सीमा शुल्क सभी देशों के लिए समान रखा जाता है। अपने नाम के इतर MFN से तात्पर्य यह नहीं है कि किसी एक देश को विशेष दर्जा दिया जाए, बल्कि इसमें सभी देशों को समान दर्जा देने की बात की गई है। इसका प्रभाव न तो नकारात्मक होता है और न ही सकारात्मक, बल्कि यह व्यापार के लिए सामान्य रिश्तों पर बल देता है। WTO के सदस्य एक-दूसरे को यह दर्जा देते हैं।

□ WTO द्वारा गरीब देशों के लिए MFN सिद्धान्त के इतर व्यवस्था

- 1) अतिगरीब देशों द्वारा निर्यातित वस्तुओं पर शून्य अथवा बहुत कम सीमा शुल्क लगाया जाता है। इसे जनरल सिस्टम ऑफ प्रीफरेंस (GSP) कहते हैं।
- 2) क्षेत्र विशेष के देशों के लिए पारस्परिक मुक्त व्यापार एवं GSP के तहत छूट प्रदान की जाती है।
- 3) GATT के अनुच्छेद XXIV तहत कुछ देश आपस में अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर MFN के इतर मुक्त व्यापार के नियमों को आवश्यकतानुसार अनुसरण कर सकते हैं। जैसे - भारत-पाकिस्तान। जहां भारत ने पाकिस्तान को MFN का दर्जा दिया है, वहीं पाकिस्तान ने भारत को यह दर्जा नहीं दिया है।

□ WTO से सदस्य देशों को होने वाले लाभ

- 1) 164 देशों के समूह में MFN (Most Favoured Nation) का दर्जा प्राप्त होता है।
- 2) न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में प्रवेश।
- 3) निष्पक्ष व्यापार विवाद निपटान संस्था के होने से व्यापारिक विवादों का न्याय संगत समाधान प्राप्त होता है। इसके अलावा गरीब देशों को विशेष सहायता भी प्रदान की जाती है।
- 4) ऐसे देश जो आयात पर निर्भर हैं, वे वैश्विक रूप से उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं को न्यूनतम मूल्य पर मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि WTO सीमा शुल्क को सभी देशों के लिए समान रखने पर बल देता है।
- 5) सीमा शुल्क समान रहने पर सभी देशों का आपसी व्यापार जटिल प्रशासनिक कार्यवाहियों से बच जाता है एवं व्यापार सुगम रूप से जारी रहता है।
- 6) घरेलू कंपनियों के अनावश्यक एवं अन्यायपूर्ण मांगों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है, क्योंकि WTO के नियम वैश्विक होते हैं।

□ भारत और विश्व व्यापार संगठन

भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य होने के कारण इस संगठन के नियमों का पालन करता है। विश्व व्यापार संगठन भारत पर इस बात के लिए दबाव डालता रहा है कि वह आयात शुल्कों को कम करे, उपभोग वस्तुओं के आयात पर लगाई गई पाबन्दियों को हटाए तथा मात्रात्मक प्रतिबन्ध कम करे आदि। चूंकि भारत ने ईमानदारी से इस संधि का अनुकरण किया, सीमा शुल्कों को वर्ष-प्रतिवर्ष घटाया गया, ताकि वे विश्व व्यापार संगठन के प्रस्तावों से युक्तिसंगत बन जाएं। उदाहरणार्थ - आयात शुल्कों द्वारा दिया गया संरक्षण धीरे-धीरे हटा लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योगों को विदेशी वस्तुओं के साथ बढ़ती हुई स्पर्धा का सामना करना पड़ा।

WTO के अनुसार वर्ष 2005 तक बहुफाइबर समझौते (Multi-Fibre Agreement) के समाप्त होने से विकासशील देशों को बहुत लाभ मिल रहा है, क्योंकि भारत वस्त्रों का पर्याप्त निर्यात करता है। MFA खत्म करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है उसमें ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि कोटा का 49 प्रतिशत अंतिम वर्ष (अर्थात् 2005-06) में ही समाप्त किया जाएगा। इस प्रकार MFA समाप्ति के लिए जो मूल 10 वर्ष की अवधि (1995-2005) निर्धारित की गई थी, उसमें पहले 9 वर्षों के केवल 51 प्रतिशत कोटा समाप्त किए जाने और आखिरी वर्ष में 49 प्रतिशत कोटा समाप्त करने का प्रावधान रखा गया था।

WTO के समझौते के अन्तर्गत सेवा क्षेत्र को भी खोलने की व्यवस्था की गई। जैसे-जैसे विदेशी निवेशकों का भारत के सेवा क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे उनकी आय भी बढ़ती जाएगी और भारत को लाभ, ब्याज, रॉयल्टी आदि के रूप में विदेशी विनिमय का काफी भुगतान करना पड़ेगा, जिससे विदेशी मुद्रा संकट की भी स्थिति आ सकती है।

विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों द्वारा कृषि पर समझौता दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद यह अनुमान था कि भारत को कृषि वस्तुओं के निर्यात से अधिक आय प्राप्त होगी, परन्तु वास्तव में इसके लिए विपरीत बाद के वर्षों में कृषि वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी से गिरावट आई है, जिससे भारत की कृषि वस्तुओं से निर्यात आय कम हुई है।

□ भारत की वचनबद्धता (India's Commitments)

- 1) 67 प्रतिशत शुल्क लाइनों पर अधिकतम प्रशुल्कों की घोषणा की गई, जो ऊरूग्वे राउंड तक 6 प्रतिशत थी।
- 2) गैर कृषि वस्तुओं (Non-Agriculture Goods) पर कुछ एक अपवादों को छोड़कर अंतिम वस्तुओं पर 40 प्रतिशत मुल्यानुसार शुल्क व मध्यवर्ती वस्तुओं, मशीन, उपकरण पर 25 प्रतिशत शुल्क निर्धारित किया गया।
- 3) MFA के तहत कपड़ों के कोटे को 1 जनवरी, 2005 को समाप्त कर दिया गया।
- 4) TRIPs में पेटेंट व कॉपीराइट संरक्षण की व्यवस्था हैं। अमेरिका व सहयोगी देशों ने भारत की शिकायत की, कि भारत ने अभी तक पेटेंट अधिनियम में उचित परिवर्तन नहीं किए हैं। इसके लिए पेटेंट (संशोधन) एक्ट 1999 संसद में पारित किया, जिसे क्रमशः 2002 एवं 2005 में पुनः संशोधित किया गया। इस प्रकार 2005 से भारत ने वस्तु पेटेंट को अपना लिया। जहां तक कॉपीराइट का संबंध है, 1957 कॉपीराइट एक्ट (1994 में संशोधित), TRIPs के अनुरूप हैं। ट्रेडमार्क के लिए Trade & Merchandise Marks Act, 1958 अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। दिसंबर 1999 में पारित विधेयक के द्वारा सेवा मार्क प्रदान करने की भी व्यवस्था हैं।
- 5) जहां तक TRIMs का संबंध है, विकासशील देशों को संक्रमण अवधि तक उल्लंघन की छूट है (विधिवत सूचना के बाद), भारत ने अब तक दो अधिसूचना दी हैं। इस संक्रमण काल को बढ़ाने की सिप्टल में भारत एवं अन्य विकासशील देशों द्वारा मांग की गई।
- 6) जहां तक सेवाओं के व्यापार संबंधी सामान्य समझौते की बात हैं, भारत ने 33 गतिविधियों के संदर्भ में अपनी वचनबद्धता प्रकट की। इन गतिविधियों में विदेशी सेवा संभरकों को हिस्सा लेने की छूट होगी।

□ भारत पर प्रभाव (Impact on India)

- 1) विश्व बैंक, ओईसीडी व गेट के अनुसार ऊरूग्वे दौर के समझौतों के बाद विश्व आय में प्रतिवर्ष 213 से 274 बिलियन डालर की वृद्धि होगी, जिससे भारत व अन्य विकासशील देश लाभान्वित होंगे।

- 2) कपड़ों, कृषि-वन व मछली उत्पादन, परिष्कृत खाद्य सामग्री में सर्वाधिक वृद्धि होने की संभावना है। यह वह क्षेत्र है, जिनमें भारत को तुलनात्मक लाभ प्राप्त हैं। अतः भारत इनके निर्यात से लाभान्वित होगा।
- 3) व्यापार प्रसार में भारत का हिस्सा 0.5 प्रतिशत (94-95) से बढ़कर 1 प्रतिशत हो जाएगा एवं प्रतिवर्ष निर्यात से, 2.7 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।
- 4) MFA(Multi-Fibre Arrangement) समझौते के समाप्त (2005) होने से भारत को वस्त्र निर्यात में फायदा होगा।
- 5) TRIPs से दवाइयों को नुकसान, पहले प्रक्रिया पर पेटेंट लेने की जरूरत थी, अब उत्पाद पर पेटेंट लेना होगा।
- 6) कृषि क्षेत्र में अधिक चिंता, बीजों के पेटेंट में MNC की घुसपैठ व TRIPs के अधीन सूक्ष्म जीवों पर भी पेटेंट देने की सुविधा से MNC का दबदबा बढ़ेगा।
- 7) TRIMs (Trade Related Investment Measures) से विकसित देशों के विदेशी निवेशकों के व्यापार संबंधी निवेश विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देशों को अधिक लाभ पहुंचाएंगे।
- 8) WTO सेवा से, विदेशी निवेशकों का विकासशील देशों के सेवा क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ता जाएगा, उनकी आय भी बढ़ती जाएगी और विकासशील देशों को लाभ, ब्याज, रॉयल्टी इत्यादि के रूप में विदेशी विनिमय का काफी भुगतान करना पड़ेगा।

□ नामा (Non-agricultural Market Access - NAMA) एवं भारत

विकसित देश विकासशील देशों से यह मांग करते आए हैं कि वे अपने बाजार उनके उत्पादित वस्तुओं के लिए खोल दें, इस मांग को ही नामा कहा गया। इसके अन्तर्गत गैर-कृषि उत्पादों एवं औद्योगिक उत्पादों के व्यापार से जुड़े नियम बनाए जाते हैं। नामा की बैठक में मुख्यतः सदस्य देश सीमा शुल्क एवं मुक्त व्यापार से जुड़े मुद्दों का नियमन करते हैं। इसमें किसी भी उत्पाद के आयात में लगाए जाने वाले अधिकतम सीमा शुल्क की जानकारी होती है। यह सीमा शुल्क बाध्यकारी होता है एवं सदस्य देश इससे अधिक सीमा शुल्क नहीं ले सकते हैं। इसके अन्तर्गत समुद्री उत्पाद, रसायन, रबर उत्पाद, लकड़ी, वस्त्र, चमड़ा, सेरेमिक, कांच, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो मोबाइल, इंजीनियरिंग, खिलौने, खेलकूद के सामान आदि आते हैं।

♦ नामा वार्ता के मुख्य तत्व (Elements of NAMA Negotiations)

इसके अन्तर्गत मुख्यतः निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया गया है -

- 1) सीमा शुल्क घटाने के लिए एक ऐसे सूत्र का प्रतिपादन करना, जो गरीब एवं अमीर देशों की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया हो।
- 2) संवेदनशील नामा उत्पादों को बचाने के लिए नियमों का सरलीकरण करना।
- 3) सीमा शुल्क को समाप्त करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कर क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ना, जिससे उक्त देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- 4) नॉन टैरिफ बैरियर का नियमन करना।

भारत, ब्राजील, चीन सहित कई विकासशील देश विकसित देशों की इस मांग को पूरी तरह मानने से इनकार करते आए हैं, क्योंकि इससे उनके घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी संभावनाएं हैं। विकसित देश भी कृषि सुधारों का बहाना बनाकर विकासशील देशों की कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई मांगों को नकारते रहे हैं। कृषि विकासशील देशों के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि इससे उनकी खाद्य सुरक्षा, रोजगार एवं आत्मनिर्भरता निर्धारित होती है। विकसित देश सेवा क्षेत्र (शिक्षा, बीमा, स्वास्थ्य आदि) में भी विकासशील देशों को अधिक उदारीकरण के नीति अपनाने हेतु बाध्य करने का प्रयास करते हैं, जो कई मौकों पर WTO बैठकों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न कर देता है।

□ नाभिकीय प्रौद्योगिकी व विनाशक हथियार के नियंत्रण से संबंधित संगठन

| संगठन का नाम | स्थापना | सदस्य संख्या | कार्य |
|--|--------------|--------------|--|
| न्यूक्लियर सप्लाय ग्रुप (NSG) | 1974 | 48 | परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का समूह है, जो कि ऐसे परमाणु उपकरण, मटेरियल और टेक्नोलॉजी के निर्यात पर रोक लगाता है, जिनका प्रयोग परमाणु हथियार बनाने में हो सकता है। |
| मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम (MTCR) | अप्रैल, 1987 | 35 | अनौपचारिक संगठन है, जो प्रक्षेपास्त्र व मानवरहित विमान (ड्रोन) से जुड़ी प्रौद्योगिकी के विस्तार पर नियमन व रोक लगाता है। (27 जून, 2016 को भारत ने इसकी सदस्यता ली) |
| वासेनार अरेंजमेंट | 1996 | 41 | परम्परागत हथियार तथा द्वि-उपयोगी पदार्थ व तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण हेतु बनाया गया संगठन। (पूर्ववर्ती संगठन - कोकोम (COCOM)) |
| ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप | 1985 | 42 | केमिकल व बायोलॉजिकल हथियारों व तकनीक के विस्तार पर नियंत्रण हेतु अनौपचारिक संगठन। |

उपरोक्त चारों संगठनों के द्वारा सम्पूर्ण विश्व में परम्परागत हथियारों तथा नई प्रौद्योगिकी के अस्त्र-शस्त्र के विस्तार एवं आयात-निर्यात का नियंत्रण किया जाता है। वस्तुतः यह नियंत्रण सम्पूर्ण विश्व में विनाशक हथियारों की होड़ को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से कारगर रहा है। कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो इन चारों संगठनों के द्वारा ही परमाणु प्रौद्योगिकी, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि को पूरे विश्व में प्रसार से रोका गया है।

इन संगठनों में प्रवेश का अर्थ है कि वर्णित प्रौद्योगिकी के अबाध अनुप्रयोग एवं विकास की सुविधा प्राप्त होना और यही कारण है कि भारत इन चारों संगठनों में प्रवेश हेतु प्रयासरत है। वस्तुतः 1974 व 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत की स्थिति वैश्विक परमाणु परिदृश्य में अछूत की भाँति हो गई थी। इसे दूर करने का प्रथम प्रयास वर्ष 2005 में भारत के द्वारा अमेरिका से परमाणु समझौते के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें अन्ततः 2008 में सफलता प्राप्त हुई।

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत ने उपरोक्त वर्णित चारों संगठनों की सदस्यता हेतु आवेदन किया हुआ था, जिसे वर्ष 2014 अमेरिकी समर्थन के बाद बल मिला। इसी की परिणति 27 जून, 2016 को देखने को मिली, जब भारत MTCR का सदस्य बना। यद्यपि इसी के साथ ही NSG में भारत की सदस्यता का प्रयास विफल हो गया, किन्तु आगामी वर्षों में NSG में भारत की सदस्यता लगभग सुनिश्चित हो गई है।

MTCR में भारत की सदस्यता के महत्त्व निम्नलिखित हैं -

- 1) भारत की तकनीकी क्षमता को मान्यता मिलना।
- 2) भारत को अन्तर्राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त होना।
- 3) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भारत की कूटनीतिक विजय है।
- 4) भारत में जटिल क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण व तीव्र विकास की संभावनाएं प्रशस्त होना।
- 5) मिसाइल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भारत को प्रतिष्ठा प्राप्त होना।
- 6) अन्तर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार में भारत को छूट का लाभ मिलना।

दक्षिणी चीन सागर विवाद South China Sea Dispute

□ दक्षिणी चीन सागर विवाद

दक्षिणी चीन सागर (South China Sea) के स्वामित्व के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक न्यायाधिकरण ने अपना बहुप्रतीक्षित फैसला 12 जुलाई, 2016 को सुनाया, जिसमें इस सागर पर चीन के स्वामित्व का दावा खारिज किया गया है। न्यायाधिकरण के फैसले में कहा गया है कि ऐसा कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि दक्षिणी चीन सागर पर पहले कभी चीन का अधिकार था। सागर के एक हिस्से पर फिलीपींस के दावे की पुष्टि न्यायाधिकरण ने की है।

12 जुलाई, 2016 का उपर्युक्त फैसला किसी भी देश के लिए बाध्यकारी नहीं है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है और न्यायाधिकरण के फैसले का पालन करना सम्बन्धित पक्षों की इच्छा पर निर्भर करता है। दक्षिणी चीन सागर पर अधिकार को लेकर विवाद की स्थिति दशकों से बनी हुई है। चीन इस सागर के मध्य में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर उन पर हवाई पट्टियाँ भी चीन ने बना ली हैं तथा मिसाइलों की तैनाती भी की है, जबकि अमरीका समुद्र को सार्वजनिक सम्पत्ति बताते हुए यदा-कदा वहाँ अपने लड़ाकू विमान व युद्धपोत भी भेजता रहा है।



न्यायाधिकरण ने कहा कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाकर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ सी का उल्लंघन किया है। उल्लेखनीय है कि चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाने से वहाँ के कोरल रीफ (Reef) को खतरा है। एक अनुमान के मुताबिक दक्षिण चीन सागर के 162 स्क्वायर किलोमीटर का कोरल रीफ क्षेत्र नष्ट हो चुका है। वहीं चीन का कहना है कि दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप के निर्माण से वहाँ के कोरल रीफ को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कृत्रिम द्वीप का निर्माण काफी अनुसंधान के बाद किया जा रहा है। अनुसंधान में इस बात पर बल दिया गया है कि कृत्रिम द्वीप के निर्माण से दक्षिण चीन सागर के पर्यावरण और कोरल रीफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप का निर्माण रुकना चाहिए। इससे वहाँ पर्यावरण और कोरल रीफ को खतरा है।

दक्षिण चीन सागर का सामरिक महत्व है और यह हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण बिंदु है। दक्षिण चीन सागर में तेल व प्राकृतिक गैस के प्रचुर भण्डार स्थित हैं। मूंगे की चट्टानों के साथ-साथ मछलियों की भी बहुतायत इस क्षेत्र में है। इस क्षेत्र से तेल व गैस निकालने के फिलीपींस, वियतनाम व मलेशिया के प्रयासों पर चीन आपत्ति जताता रहा है, विश्व का खरबों डॉलर का व्यापार इस समुद्री मार्ग के जरिए होता है।

सागर पर अपने अधिकार को लेकर ही फिलीपींस ने हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में याचिका 2013 में दायर की थी। इसी पर सुनाए अपने फैसले में न्यायालय ने कहा है कि चीन का पूरे दक्षिणी चीन सागर पर कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता। फिलीपींस ने जहाँ न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया, वहीं चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। न्यायालय में इस फैसले की सुनवाई से भी वह दूर रहा था। फैसले को स्वीकार करने से इनकार करते हुए चीन ने कहा है कि उसकी सेनाएं देश की सम्प्रभुता की रक्षा के लिए हैं। चीन इस मामले में समुद्री जल सीमा पर संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 1982 के कन्वेंशन को भी नहीं मानता।

चीन के साथ सम्बन्धों की खातिर भारत ने अमरीकी दबाव के बावजूद इस सागर के मामले में चीन का प्रत्यक्ष विरोध अभी तक नहीं किया था, किन्तु हाल ही के दिनों में विभिन्न मोर्चों पर चीन के भारत विरोधी रुख को देखते हुए भारत ने भी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करने की अपील कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय की 12 जुलाई, 2016 की ही एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि चीन सागर पर आए फैसले से न्यायिक स्थिति स्पष्ट हो गई है और सभी पक्षों को इसका सम्मान करना चाहिए।

- दक्षिणी चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है, जोकि प्रशांत महासागर का भाग है।
- चीन के दक्षिण में, वियतनाम व कम्बोडिया के पूर्व में व फिलीपींस के पश्चिम में स्थित लगभग 35 लाख वर्ग किमी क्षेत्र का यह जल क्षेत्र 5 महासागरों के पश्चात् विश्व के सबसे बड़े जल क्षेत्रों में से एक है।
- तेल व प्राकृतिक गैस के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक समुद्री सम्पदाओं के इसमें विद्यमान होने का दावा किया जाता है तथा वस्तुओं के व्यापार हेतु यह एक प्रमुख समुद्री मार्ग है।
- अनेक छोटे-छोटे बिना बसे हुए द्वीप इसमें स्थित हैं, जिन पर सम्प्रभुता की उनके तट से लगे विभिन्न देशों की दावेदारी है.
- इन दावेदारियों के चलते एशिया में तनाव का एक बड़ा मुद्दा इसे माना जाता है तथा किसी सशस्त्र संघर्ष को टालने के लिए कई बार विभिन्न देशों के संयुक्त आयोग समय-समय पर गठित किए जाते रहे हैं।

चीन के विदेश मंत्रालय ने इसकी घोषणा की कि चीन न्यायाधिकरण के फैसले को न मानता है और न ही मान्यता देता है। चीन के इस फैसले से इस क्षेत्र में और तनाव बढ़ने की संभावना है।

□ चीन के तर्क

- 1) दक्षिण चीन सागर से उसके नागरिकों के 2000 साल पुराने संबंध हैं।
- 2) ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां चीनी नागरिक ही व्यापार करते थे।
- 3) चीन ने 1948 में एक नक्शा जारी किया था जिसमें नाइन डैश लाइन के मार्फत इस क्षेत्र को दिखावा था।

□ क्या है नाइन डैश लाइन?

कुछ वर्ष पूर्व चीन ने दक्षिणी चीन सागर के काफी हिस्से को अपने दायरे में लेने की घोषणा कर दी थी, जिसमें कई बड़े छोटे द्वीप भी शामिल हैं। इस सन्दर्भ में चीन ने वहद लाइनों (डैश) के द्वारा दक्षिणी चीन सागर के नक्शे में अपनी सीमा को प्रदर्शित किया। इस दावे वाले नक्शे में 9 रेखाओं (डैश) के प्रयोग के कारण इसे नाइन डैश लाइन का नाम दिया गया। उसने इस पर अपना ऐतिहासिक दावा बताया। उसकी इस आक्रामकता ने न केवल विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का अतिक्रमण किया बल्कि फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम और मलेशिया जैसे कई देशों के लिए खतरा पैदा किया जिनके द्वीप इन क्षेत्रों में हैं।

अब इस क्षेत्र के समुद्र और आकाश से गुजरने के लिए चीन की इजाजत आवश्यक हो गई है। इस आक्रामकता ने समुद्री सीमाओं के प्रयोग के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों और समझौतों को चुनौती पेश की। प्रभावित देशों ने इस कदम का विरोध किया और उनमें से एक फिलीपींस ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की।

